राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक: 07| चौदहवीं विधान सभा के सातवें सत्र का दूसरा दिवस |संख्या: 02

शुक्रवार,

02 सितम्बर 2016

(राजस्थान विधान सभा की बैठक 11.00 बजे

राजस्थान विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई)

(श्री कैलाश चन्द्र मेघवाल, अध्यक्ष, पदासीन)

अनुरोध एवं मांग

गौ-हत्याओं पर चर्चा की मांग

श्री अध्यक्ष: नमस्कार। नमस्कार।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): इन गौ-भक्तों को देखो, अध्यक्ष महोदय, यह ढोंगी गौ-भक्त देखो। गाय की बात कर रहे हैं यह। (व्यवधान)

नारेबाजी

(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारे)

श्री कालू लाल गुर्जर (सरकारी मुख्य सचेतक): अध्यक्ष महोदय, इनको यह मालूम नहीं था कि गौ-माता क्या है? (व्यवधान) गौ-माता आज इनको कैसे याद आयी?

श्री मदन राठौड़ (उप मुख्य सचेतक): अध्यक्ष महोदय, यह नकली गौ-भक्त हैं। यह हमेशा गाय का विरोध करते रहे हैं। यह गौ-भक्त नहीं हैं। ये नकली गौ-भक्त हैं और इनके हाथ से सारे मामले छिन गये हैं। जय श्री राम भी बोलो।

श्री सुरेश धाकड़ (बेगूं): काहे को घड़ियाली आंसू बहा रहे हो गाय का नाम लेकर।

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष): हम, विपक्ष मांग कर रहा है कि इसकी विस्तृत चर्चा हो....(भारी व्यवधान)

श्री मदन राठौड़ (उप मुख्य सचेतक): अध्यक्ष महोदय, प्रश्न काल कराओ।

डा. किरोड़ी लाल (लालसोट): जितना भी गबन किया, घोटाला किया। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: प्रश्न काल होने दीजिये। कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिये।

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष): यह सरकार जनता की नहीं अध्यक्ष महोदय, यह सरकार हत्यारी है और इस पर विस्तृत चर्चा होनी चाहिये सदन के अन्दर।

श्री अध्यक्ष: कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिये।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, मुख्य मंत्रीजी से जवाब दिलवाइये। माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रश्न काल, प्रश्न यह बड़ा है कि गायों की हत्याएं हो रही हैं, कानून-व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं है। इन पर मुख्य मंत्रीजी जवाब दें, यही हमारा और राजस्थान की जनता का प्रश्न है। इससे बड़ा कोई प्रश्न आज की तारीख में नहीं है। हमें चपरासी नहीं लगाने, हमें और कुछ नहीं करना केवल हमें गौ माता को बचाना है। हमें राजस्थान की सरकार जो घोटाले कर रही है उनका जवाब .....(भारी व्यवधान)

श्री कालू लाल गुर्जर (सरकारी मुख्य सचेतक): प्रतिपक्ष के माननीय सदस्य प्रश्न काल को नहीं होने देना चाहते और सदन का समय जाया कर रहे हैं। एक प्रश्न का जवाब आने में सरकार के लाखों रुपये खर्च होते हैं। अध्यक्ष महोदय, यह प्रश्न काल नहीं होने देना चाहते हैं। जनता के हितों पर कुठाराघात कर रहे हैं। यह गुमराह कर कर रहे हैं।

(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में व्यवधान और नारे)

श्री अध्यक्ष: नीचे उतरो। एक मिनट में नीचे उतरो नहीं तो मार्शल से कहकर हटवा दूंगा। (भारी व्यवधान)

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): यह नौटंकी है, नौटंकी। संसदीय परम्पराओं का अन्याय कर रहे हैं। नियमों और कायदों का अन्याय कर रहे हैं।

श्री कालू लाल गुर्जर (सरकारी मुख्य सचेतक): अध्यक्ष महोदय, यह सदन का समय जाया कर रहे हैं। (भारी व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): आपमें हिम्मत है तो प्रस्ताव लेकर आओ। (भारी व्यवधान)

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): अध्यक्ष महोदय, इनको तुरन्त प्रभाव से बर्खास्त करो।

श्री कालू लाल गुर्जर (सरकारी मुख्य सचेतक): अध्यक्ष महोदय, इतना महत्वपूर्ण प्रश्न काल है और प्रश्न काल के माध्यम से विभिन्न समस्याओं पर चर्चा होनी चाहिये। यह जान-बूझकर समय जाया कर रहे हैं। (भारी व्यवधान)

श्री मदन राठौड़ (उप मुख्य सचेतक): अध्यक्ष महोदय, यह हमेशा अनर्गल बातें ही करते रहते हैं और केवल अख़बार की सुर्खी बनने के लिये यह फालतू की बातें उठाते रहते हैं।

श्री कालू लाल गुर्जर (सरकारी मुख्य सचेतक): इतने दिन कहां गये थे गाय के रखवाले। (व्यवधान) इतने दिन तो गौ-माता नहीं थी। आज गौ-माता आ गयी आपके पास। क्या सोनिया गांधी ने भेजी है, क्या राहुल गांधी ने भेजी है? (व्यवधान)

श्री मदन राठौड़ (उप मुख्य सचेतक): आपके कार्यकाल में हजारों गायें मरी हैं। (व्यवधान) इन्होंने कुछ नहीं किया। (व्यवधान)

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): गौ-माता के नाम पर राजनीति मत करो।

श्री कालू लाल गुर्जर (सरकारी मुख्य सचेतक): यह गौ-माता इटली से लाये हो क्या? (व्यवधान)

श्री मदन राठौड़ (उप मुख्य सचेतक): अध्यक्ष महोदय, इनको बतायें कि 2000 के अन्दर पांच हजार गायें मरीं तब अशोक जी गहलोत मुख्य मंत्री थे। हिंगोनिया में यह किस प्रकार की स्थिति हुई। (व्यवधान) 2000 के अन्दर इनके राज में पांच हजार गायें हिंगोनिया में मरी थीं। कुछ भी नहीं, यह मगरमच्छी आंसू और दिखावा करने की कोशिश कर रहे हैं। (व्यवधान) केवल अखबारों की सुर्खियों में आने के लिये इस प्रकार कर रहे हैं।

श्री कालू लाल गुर्जर (सरकारी मुख्य सचेतक): गौ-माता आपके राज में कहां से आ गयी यह तो बताओ। सोनिया गांधी इटली से लेकर आयी हैं क्या?

श्री मदन राठौड़ (उप मुख्य सचेतक): मैं इनके कच्चे चिट्ठे लेकर आया हूं। किस प्रकार से 2000 के अन्दर पांच हजार गायें हिंगोनिया में मरी थीं, पिंजरापोल गौशाला में कितनी गायें मरी थीं 2001 से लेकर 2003 का

(श्री मदन राठौड़)

और 2009 से लेकर 2013 तक का इनका पूरा कच्चा चिट्ठा मैं लेकर आया हूं कि एक दिन में कितनी गायें इनके समय में मरी थीं। यह देखिये, हां, यह ऐसे क्या करते हो। यह सही स्थिति है तो नियमों में आओ। किसी भी विषय पर चर्चा करना चाहते हो तो, मैं आपका कच्चा चिट्ठा लेकर सदन के अन्दर आया हूं और इनके समय में इतनी गायें मरीं पर इन्होंने कोई भी, कभी भी परवाह नहीं की।

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): इनको समझ में नहीं आयेगी मदन जी, आप किसको बता रहे हो?

श्री मदन राठौड़ (उप मुख्य सचेतक): यह देखिये सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा इनके राज के समय में। (व्यवधान)

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): इनका राज तो था ही नहीं, अन्याय का राज था। (व्यवधान)

श्री मदन राठौड़ (उप मुख्य सचेतक): यह कांग्रेस राज का कच्चा चिट्ठा है, यदि हिम्मत है तो नियमों के तहत आइये, हम जवाब देने के लिये तैयार हैं। यह मगरमच्छी आंसू मत बहाइये। (व्यवधान)

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): यह नौटंकी मत कीजिये। (व्यवधान) गौ माता के नाम से राजनीति मत कीजिये।

श्री मदन राठौड़ (उप मुख्य सचेतक): केवल सुर्खियों में आने के लिये, सहानुभूति लेने के लिये नहीं, आप नियमों में आओ। ऐसे हल्ला करने से बैठने वाला नहीं हूं। आपमें हिम्मत है तो नियमों में आओ। आपके राज में हिंगोनिया में कितनी गायें मरी थीं, कांग्रेस शासन में कितनी गायें मरीं, यह कच्चा चिट्ठा लेकर मैं आया हूं। हिम्मत है तो आओ ना नियमों में। हम अपनी बात रखेंगे और अध्यक्ष महोदय, यह देखिये। (व्यवधान)

(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा व्यवधान और नारे)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): अध्यक्ष महोदय, आप क्वेश्चन पुकारिये। अध्यक्ष महोदय, प्रश्न काल महत्वपूर्ण है। सरकार माननीय सदस्यों के प्रश्नों के उत्तर देना चाहती है। आप प्रश्न पुकारिये अध्यक्ष महोदय। यह सदन को बाधित करना चाहते हैं। यह इनकी पुरानी आदत है। यह बहस से बचना चाहते हैं, यह बहस नहीं करना चाहते। (भारी व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: चलिये अब बहुत हो गया, आप अपना स्थान ग्रहण कीजिये। अब अपना स्थान ग्रहण कीजिये, बहुत हो गया। आपने ध्यान आकर्षित कर दिया, अपना स्थान ग्रहण कीजिये। प्रश्न करा देते हैं। अब प्रश्न काल होने दीजिये। आपने ध्यान खींच लिया, अब प्रश्न काल होने दीजिये। माननीय सदस्यगण, प्रश्न काल होने दीजिये। (व्यवधान) माननीय सदस्यगण, कोई नहीं भग रहा है, आप प्रश्न काल होने दीजिये।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): अध्यक्ष महोदय, अगर प्रश्न काल के बाद यह किसी नियमों में आते हैं, प्रक्रियाओं में आते हैं तो सरकार जवाब देने के लिये तैयार है। पर सिर्फ हंगामा करना इनकी आदत है। अध्यक्ष महोदय, आप प्रश्न पुकारिये। अध्यक्ष महोदय, मंत्रीगण जवाब देना चाहते हैं। (व्यवधान)

श्री मदन राठौड़ (उप मुख्य सचेतक): अध्यक्ष महोदय, आप प्रश्न काल करायें। (भारी व्यवधान)

श्री कालू लाल गुर्जर (सरकारी मुख्य सचेतक): यह सौ-सौ चूहे खाकर बिल्ली हज करने जा रही है। (व्यवधान)

श्री मदन राठौड़ (उप मुख्य सचेतक): आप नियमों में आओ, हम जवाब देने के लिये तैयार हैं। (व्यवधान) जवाब देने के लिये तैयार हैं, आप नियमों में आओ। ऐसे केवल डोटा मारने से कुछ नहीं होता। यह डोटासरा जी केवल डोटे मारते हैं, फर्जी डोटे मारते हैं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: प्रश्न काल होने दीजिये। कृपया प्रश्न काल होने दीजिये। (व्यवधान)

श्री मदन राठौड़ (उप मुख्य सचेतक): अध्यक्ष महोदय, प्रश्न काल करायें, सरकार जवाब देने के लिये तैयार है। अध्यक्ष महोदय, कृपया प्रश्न काल करायें। (व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, आप प्रश्न काल कराओ। यह तो वास्तव में नकली गौ-भक्त हैं और इनके समय में यह हालत थी कि गायें दम तोड़ती रहीं और यह लोग फीता काटते रहे। अध्यक्ष महोदय, गायें दम तोड़ती रहीं और कांग्रेस के मंत्री फीता काटते रहे और यह देखिये, यही नहीं, अध्यक्ष महोदय, इनके लिये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि यह गौ-शाला नहीं, यह कत्लगाह है। कांग्रेस के शासन में गौशालाएं कत्लगाह बनकर रह गयीं। अध्यक्ष महोदय, यही नहीं यह देखिये। यह गौशालाएं हैं या कत्लखाना है। कांग्रेस राज में गौशालाओं के लिये कत्लखाना तक कहा गया। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): पहले अपने गिरहबान में झांककर देखो। (व्यवधान)

तारांकित प्रश्नोत्तर

प्रश्न संख्या 1

श्री अध्यक्ष: प्रश्न काल। श्रीमती सोना देवी।

(अनुपस्थित : कृपया आगे देखें)

श्री हीरालाल नागर।

कोटा विश्वविद्यालय, कोटा के खेल मैदान

2. **श्री हीरालाल नागर** (सांगोद): क्या उच्च शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) कोटा विश्वविद्यालय, कोटा में संचालित स्नातकोत्तर विभागों में अध्ययनरत छात्रों के लिये शैक्षणिक सत्र 2014-15 में कुल कितने-कितने क्षेत्रफल में आउट डोर व इनडोर खेल मैदान की सुविधा उपलब्ध करायी गयी तथा उक्त खेल मैदान कहां-कहां स्थित थे? पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त विश्वविद्यालय में शैक्षणिक सत्र 2012-13 से 2014-15 तक पुस्तकालय हेतु कितनी राशि की किताबों व जर्नल्स की खरीद की गयी? सत्रवार पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि उक्त विश्वविद्यालय ने नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क पोर्टल पर राट्रीय स्तर की रैंक हासिल करने के लिये गत वर्ष आवेदन किया था? यदि हां, तो आवेदन करते समय विश्वविद्यालय ने छात्रों को मुहैया करायी जा रही सुविधाओं में कितने क्षेत्रफल के खेल मैदान व कितनी मूल्य की किताबों व जर्नल्स की खरीद के आंकड़े प्रस्तुत किये तथा क्या यह आंकड़े विश्वविद्यालय रिकार्ड के आधार पर सही हैं? पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखें।

उच्च शिक्षा मंत्री (श्री कालीचरण सराफ): (1) कोटा विश्वविद्यालय, कोटा में संचालित स्नातकोत्तर विभागों में अध्ययनरत छात्रों के लिये शैक्षणिक सत्र 2014-15 में कुल 26,800 वर्ग मीटर क्षेत्रफल में आउटडोर खेलों के लिये तथा 1640 वर्ग मीटर क्षेत्रफल में इनडोर खेलों के लिये सुविधाएं उपलब्ध करवायी गयी हैं, जिनका विस्तृत विवरण परिशिष्ट-क पर संलग्न है।

(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में भाषण एवं नारे)

(श्री कालीचरण सराफ)

(2) कोटा विश्वविद्यालय, कोटा में शैक्षणिक सत्र 2012-13, 2013-14 व 2014-15 में पुस्तकालय हेतु पुस्तकों के क्रय पर व्यय की गयी राशि का वर्षवार विवरण निम्नानुसार है:-

i	सत्र 2012-13	:	कुल रुपये 18.06 लाख
ii	सत्र 2013-14	:	कुल रुपये 31.70 लाख
iii	सत्र 2014-15	:	कुल रुपये 14.16 लाख

(3) जी हां। कोटा विश्वविद्यालय, कोटा ने नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क पोर्टल पर राष्ट्रीय स्तर की रैंक हासिल करने के लिए आवेदन किया था। आवेदन करते समय विश्वविद्यालय में छात्रों को मुहैया करवायी जा रही सुविधाएं निम्नानुसार हैं :-

1. खेल मैदान

i	आउटडोर खेल मैदान	-	26800 वर्ग मीटर
ii	इनडोर खेल मैदान	-	1640 वर्ग मीटर

2. पुस्तकालय के लिए भौतिक संसाधन एवं पुस्तकों की खरीद पर व्यय :-

i	सत्र 2012-13	:	कुल रुपये 22.53 लाख
ii	सत्र 2013-14	:	कुल रुपये 71.00 लाख
iii	सत्र 2014-15	:	कुल रुपये 86.22 लाख

इसका विस्तृत विवरण परिशिष्ट-ख पर संलग्न है।

जी हां। विश्वविद्यालय द्वारा एन.आई.आर.एफ. पोर्टल पर दर्शाये गये आंकड़े पोर्टल के दिशा-निर्देशानुसार निर्माणाधीन खेल सुविधाओं एवं पुस्तकालय में पुस्तक खरीद के साथ-साथ पुस्तकालय के लिए विकसित किये गये भौतिक संसाधनों पर आधारित थे, जो विश्वविद्यालय के रिकार्ड के अनुसार सही है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में भाषण एवं नारे)

श्री अध्यक्ष: पूरक प्रश्न नम्बर एक।

श्री हीरालाल नागर (सांगोद): माननीय मंत्री महोदय ने मेरे प्रश्न के खण्ड एक के जवाब में कोटा विश्वविद्यालय में सत्र 2014-15 में अध्ययनरत छात्रों के लिए 26,800 वर्गमीटर आउटडोर और 1640 वर्गमीटर क्षेत्रफल इनडोर खेलों के लिए सुविधा विकसित करने का जो बताया है, इसमें 2014-15 में कुल कितने क्षेत्रफल में आउटडोर व इनडोर खेल मैदानों की सुविधा विद्यालय के विभागों में अध्ययनरत छात्रों के लिए सत्र 2014-15 में उपलब्ध करायी गयी, यह पूछा था।

(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारे)

श्री अध्यक्ष: अपना स्थान ग्रहण कीजिए।

श्री हीरालाल नागर (सांगोद): माननीय मंत्री महोदय ने विद्यालय परिसर में निर्माणाधीन और अभी तक भी विकसित की जा रही, यानी 20 हजार वर्गमीटर क्षेत्रफल का खेल मैदान, जो एथलेटिक ट्रेक क्रिकेट, फुटबाल आदि खेलों के लिए है, की सुविधाओं का उल्लेख किया है, जो सुविधाएं आज तक भी छात्रों के खेलने के लिए उपलब्ध नहीं है। जबकि एन.आई.आर.एफ. ने सत्र 2014-15 में उपलब्ध खेल मैदान, यानी विकसित खेल मैदान के आंकड़े मांगे थे। विश्वविद्यालय ने परिशिष्ट-'क' के निर्माणाधीन खेल मैदान को विकसित खेल मैदान में दर्शा कर एन.आई.आर.एफ. को गलत आंकड़े दिये हैं, भ्रमित किया है।

श्री अध्यक्ष: नीचे जाओ। नीचे जाओ। देखो, नीचे जाओ। देखो नीचे जाओ। नीचे जाओ, मैं कह रहा हूं आपको। नो, नीचे जाओ। मार्शल, बुलाओ सबको, ... दो इनको बाहर। नीचे जाओ। नो, नो, नो, नीचे उतरो। मैं फिर कह रहा हूं, नीचे उतरो। एक मिनट, मैं फिर कह रहा हूं नीचे उतरो। (व्यवधान) नीचे उतरो। मैं कह रहा हूं, नीचे उतरो। प्लीज, नीचे उतरो।

श्री हीरालाल नागर (सांगोद): इसके अलावा इस बिन्दु के जवाब में 30 हजार वर्गमीटर मैदान 2014-15 में छात्रों को उपलब्ध कराना दिखाया गया है। जबकि परिशिष्ट-'क' में स्पष्ट रूप से लिखा है कि यह खेल मैदान निर्माणाधीन हैं। इससे स्पष्ट है कि जवाब में विधान सभा को गलत जानकारी देकर गुमराह किया गया है और एन.आई.आर.एफ. पोर्टल पर भी विश्वविद्यालय ने गलत आंकड़े प्रस्तुत किये गये हैं। और जवाब में स्वयं ने माना है कि 20 हजार वर्गमीटर खेल मैदान अभी निर्माणाधीन हैं।

श्री अध्यक्ष: मार्शल आइये, इनको बुलाइये सब को, दीजिए सब को बाहर। बुलाओ, बुलाओ, बुलाओ उनको। यहां टेबल पर आ रहे हैं और देख रहे हो ...(व्यवधान) निकालो इनको बाहर। निकालो इनको बाहर, नीचे उतारो। मजाक समझ रखी है? सब मर्यादाएं तोड़ दीं आप लोगों ने। नीचे, नीचे, नीचे उतरो, ले जाओ इसको नीचे, बुलाओ सब को ...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): यह क्या हो रहा है, अध्यक्ष महोदय। यह क्या है, अध्यक्ष महोदय। (व्यवधान) नहीं, अध्यक्ष महोदय, हम आसन का अपमान नहीं सहेंगे। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: इनको भी ले जाओ। इन सबको बाहर निकालो। इन सब को बाहर निकाल दो। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): यह आसन का अपमान कर रहे हैं। (व्यवधान) यह क्या हो रहा है।

श्री अध्यक्ष: हटाओ इनको सबको। ले जाओ इसको भी, ले जाओ इसको भी। ले जाओ, सबको बाहर निकाल दो। सब को बाहर निकाल दो। ले जाओ सबको। इनको ले जाओ, यह खड़े हैं, सब +++ हैं ये। विधायक नहीं हैं ये +++ हैं। (व्यवधान) करने आये हैं (व्यवधान) निकालो सबको बाहर।

श्री हीरालाल नागर (सांगोद): मैंने बिन्दु नम्बर दो में यह पूछा था कि शैक्षणिक सत्र 2012-13 से 2014-15 तक सत्रवार कितनी किताबों व जर्नल्स की खरीद की गयी है? जिसके जवाब में पुस्तकों के क्रय पर आपने 18.06 लाख, 31.70 लाख और 14.16 लाख की राशि विश्वविद्यालय द्वारा ई-जर्नल्स ...(व्यवधान) यानी ई-बुक इत्यादि पर व्यय की गयी राशि कितनी थी तथा एन.आई.आर.एफ. के पोर्टल पर ...(व्यवधान) जर्नल्स और बुक्स पर कितनी राशि व्यय करना दिखाया गया है, यह तीनों वर्षों के आंकड़ेवार दिये जाएं। (व्यवधान)

माननीय मंत्री महोदय, बिन्दु तीन में पूछा गया था कि एन.आई.आर.एफ. पोर्टल पर आवेदन करते समय विश्वविद्यालयों में छात्रों को मुहैया करायी जा रही सुविधाओं में कितने ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: निकालो, सबको निकाल दो जो यहां हैं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): बाहर निकालो, अध्यक्ष महोदय, हम प्रस्ताव लेकर आयेंगे, बाहर निकालो इनको। (व्यवधान) आसन का अपमान कर रहे हैं यह। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: निकालो इसको भी। (व्यवधान)

श्री कालू लाल गुर्जर (सरकारी मुख्य सचेतक): अध्यक्ष महोदय, यह आसन के विपरीत आचरण कर रहे हैं ...(व्यवधान) आसन को धमकाया जा रहा है। (व्यवधान)

श्री मदन राठौड़ (उप मुख्य सचेतक): यह आसन की अवहेलना कर रहे हैं (व्यवधान) हम प्रस्ताव लाने के लिए तैयार हैं।

श्री कालू लाल गुर्जर (सरकारी मुख्य सचेतक): इनको बाहर निकाला जाए। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: निकालो इसको भी, +++ है ये। (व्यवधान) आ जाओ और बुलाओ उनको भी। (व्यवधान)

श्री मदन राठौड़ (उप मुख्य सचेतक): हम प्रस्ताव लायेंगे। (व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, इनके खिलाफ कार्यवाही करने का हम प्रस्ताव लाने के लिए तैयार हैं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: इन सब को निकाल दो। हां, हां +++ निकालो इनको। निकालो। आ जाओ, सब आ जाओ, सबको निकाल दो इधर का, सबको निकाल दो। महिलाएं इधर आओ और गोलमा देवी, इनको भी निकाल दो। निकाल दो इसको भी, +++ कर रहे हैं ये। (व्यवधान) निकाल दिया जायेगा। मैं कह रहा हूं, निकाल दिया जायेगा। (व्यवधान)

(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारे बाजी)

श्री मदन राठौड़ (उप मुख्य सचेतक): नेता प्रतिपक्ष, अमर्यादित नेता प्रतिपक्ष...(व्यवधान) यह क्या तरीका है? (व्यवधान) ऐसे कैसे हल्ला मचा रहे हो। शर्म आने की बात है, आप कैसा व्यवहार कर रहे हैं। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य: यह आपकी दादागीरी नहीं चलेगी। (व्यवधान)

श्री मदन राठौड़ (उप मुख्य सचेतक): यह नेता प्रतिपक्ष गैर-मर्यादित व्यवहार कर रहे हैं नेता प्रतिपक्ष, शर्मनाक व्यवहार है आपका। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: यह +++ नहीं चलने दूंगा मैं। (व्यवधान) +++ नहीं चलने दूंगा। (व्यवधान) इनको निकालो यहां से। (व्यवधान)

श्री मदन राठौड़ (उप मुख्य सचेतक): नेता प्रतिपक्ष का व्यवहार निंदनीय है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: मार्शल, फोर्स बुलाइये। मार्शल, पूरी फोर्स बुला लो ... (व्यवधान) बाहर निकाल दीजिए। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य: नेता प्रतिपक्ष उकसा रहे हैं उलटे। (व्यवधान)

श्री मदन राठौड़ (उप मुख्य सचेतक): नेता प्रतिपक्ष गरिमा के प्रतिकूल व्यवहार कर रहे हैं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: नहीं चलने दूंगा। नहीं चलने दूंगा। (व्यवधान) ये सब हैं ...(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य: इनको बाहर निकाला जाए। (व्यवधान)

श्री कालू लाल गुर्जर (सरकारी मुख्य सचेतक): अध्यक्ष महोदय, इनको बाहर निकाला जाए। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य: सौ चूहे खा कर बिल्ली हज को चली, बात करते हो आप। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: मार्शल पूरी फोर्स बुला लो, एक-एक को पकड़ कर निकालो न। (व्यवधान) क्या कर रहे हो? नहीं, नहीं क्या है? निकालो इनको। सबको बुलाओ। (व्यवधान) सब आ जाओ। (व्यवधान)

नो, नो, नो एडजोर्नमेंट। नो एडजोर्नमेंट, निकालो +++ को। यहां नहीं रह सकते विधान सभा में। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): स्थगित ... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: नो एडजोर्नमेंट। को सबको निकालो एक-एक को पकड़ कर। नो एडजोर्नमेंट। को निकालो, विधायक नहीं हैं ये। मजाक कर रखी है। निकालो सबको। मार्शल, निकालो। (व्यवधान) नो एडजोर्नमेंट, नो एडजोर्नमेंट। निकालो सबको बाहर। नहीं, बाहर निकालो इनको। (व्यवधान) निकालो सबको बाहर, निकालो इनको।

श्री मदन राठौड़ (उप मुख्य सचेतक): मुट्ठी भर विपक्ष के लिए आपको किसी को आने की जरूरत नहीं है। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): फर्जी गौ-भक्तों का नाश हो। फर्जी गौ-भक्तों का नाश हो। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: निकालो +++ को। बाहर निकालो। (व्यवधान) आप उधर ही रहिये। मैं इस तरह की बर्दाश्त नहीं करूंगा। नो एडजोर्नमेंट। निकालो इनको

(श्री अध्यक्ष)

बाहर। (व्यवधान) निकालो इनको सबको। मिस्टर रमेश। इधर आओ, इधर आओ। इस रमेश को पकड़कर ले जाओ उधर। ले जाओ इसको, +++ है ये। ले जाओ इसको। नहीं, अपने इधर से नहीं आयेंगे ...(व्यवधान)

श्री मदन राठौड़ (उप मुख्य सचेतक): यह विपक्ष का व्यवहार अमर्यादित है। अध्यक्ष महोदय, विपक्ष का व्यवहार अमर्यादित है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: नो एडजोर्नमेंट। +++ हैं ये। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य: भगाओ, भगाओ, बाहर भगाओ इनको। ऐसे नहीं मानेंगे। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: +++ है। ... बर्दाश्त नहीं करूंगा। (व्यवधान)

श्री मदन राठौड़ (उप मुख्य सचेतक): अध्यक्ष महोदय, वास्तव में कांग्रेस के पास में कोई मुद्दा नहीं है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: +++ बर्दाश्त नहीं करूंगा। (व्यवधान)

श्री मदन राठौड़ (उप मुख्य सचेतक): ये किसी विषय पर चर्चा करने को तैयार नहीं हैं। ये केवल हंगामा करके सुर्खियों में आना चाहते हैं ...(व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, यह शर्मनाक व्यवहार है कांग्रेस का ...(व्यवधान) कोई+++ थोड़े ही हो आप लोग। कांग्रेस के सारे एम.एल.ए. +++ पर क्यों उतर आये हैं, समझ में नहीं आया है। ये सुरक्षा कर्मियों से क्यों उलझ रहे हैं यह समझ में नहीं आया है। इनको पता ही नहीं है नियम कायदे क्या हैं? सदन की गरिमा का इनको ख्याल भी नहीं है।

(सदन कूप में प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा नारे)

श्री अध्यक्ष: निकाल दो इसको भी। निकालो, +++ ...(व्यवधान)

श्री शंकरसिंह राजपुरोहित (आहौर): कांग्रेस की दादागीरी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: सदन की कार्यवाही एक घंटे की लिए स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की बैठक 11.20 बजे एक घंटे के लिए स्थगित हुई)

(12:20 बजे)

पुनः समवेत् होने पर

(श्री कैलाश चन्द्र मेघवाल, अध्यक्ष, पदासीन)

अनुरोध एवं मांग

गौ-हत्याओं पर चर्चा की मांग

(प्रतिपक्ष के अनेक माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारे)

श्री मदन राठौड़ (उप मुख्य सचेतक): माननीय अध्यक्ष महोदय, ये हमेशा शर्मिंदा रहेंगे क्योंकि इन्होंने बहुत +++ किए हैं। इसलिए हमेशा शर्मिंदा रहेंगे ही रहेंगे।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, डिप्टी कुछ होता ही नहीं है, उप तो उप ही होता है।

श्री मदन राठौड़ (उप मुख्य सचेतक): आप बोलते हैं न कि हम शर्मिंदा हैं, शर्मिंदा आपको होना चाहिए क्योंकि आपने आजीवन बहुत +++ किए हैं, बहुत +++ किए हैं।

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष): आप कर लो धर्म। माननीय अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष: फरमाइए।

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाह रहा हूं कि इस तरह से ...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, कौनसे नियमों में अनुमति दे रहे हैं आप?

श्री अध्यक्ष: आप प्रतिपक्ष के नेता हैं, इनको बोल लेने दीजिए, इनका अधिकार है। आप बोलिए।

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष): माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारी मांग थी कि राजस्थान के अन्दर कितने ज्वलंतशील मुद्दे हैं, उन मुद्दों पर हमने हमारी मांग रखी और जिस तरीके से माननीय अध्यक्ष महोदय, हमें लगता है कि आप सरकार की पूरी की पूरी नुमाइंदगी कर रहे हैं और जिस तरीके से आपका रवैया रहा है ...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): यह आसन पर आरोप है ...(व्यवधान)

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष): जिस तरीके से आपका रवैया रहा है ...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): अध्यक्ष महोदय, यह आसन पर आरोप लगा रहे हैं, ...(व्यवधान)

श्री मदन राठौड़ (उप मुख्य सचेतक): यह आसन पर आरोप लगा रहे हैं, यह ठीक बात नहीं है ...(व्यवधान) आसन पर आक्षेप लगाना ठीक बात नहीं है। आप आसन पर आरोप नहीं लगा सकते। (व्यवधान) आसन की व्यवस्थाओं पर किसी प्रकार का आक्षेप नहीं हो सकता है।

श्री कालू लाल गुर्जर (सरकारी मुख्य सचेतक): यह आसन की अवमानना और पूरे सदन का अपमान है। (व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, आसन का अपमान सदन का अपमान है। (व्यवधान) माननीय अध्यक्ष महोदय, जिस प्रकार से इन्होंने आसन पर आरोप लगाए हैं वह निंदनीय है।

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष): ...(व्यवधान) एक नुमाइंदा होकर के जिस प्रकार से विपक्ष से व्यवहार कर रहे हैं यह हम बर्दाश्त नहीं कर सकते।

श्री कालू लाल गुर्जर (सरकारी मुख्य सचेतक): अध्यक्ष महोदय, यह आसन पर आरोप लगा रहे हैं, यह हम भी बर्दाश्त नहीं कर सकते। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रतिपक्ष के नेता ने न तो कोई नोटिस दिया है, जिस प्रकार से मुद्दे उठा रहे हैं और आसन पर जिस प्रकार से आरोप लगा रहे हैं यह संसदीय नियम और प्रक्रियाओं के विपरीत है। (व्यवधान)

(प्रतिपक्ष के कई माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारे)

श्री मदन राठौड़ (उप मुख्य सचेतक): नेता प्रतिपक्ष आसन पर जिस प्रकार से आरोप लगा रहे हैं, आसन पर इस प्रकार का आरोप लगाना निंदनीय व्यवहार है नेता प्रतिपक्ष का। आसन पर इस प्रकार का आरोप लगाना आपकी खुद की गरिमा के खिलाफ है, आप इस पद के अयोग्य हैं पूर्ण रूप से। (व्यवधान)

श्री कालू लाल गुर्जर (सरकारी मुख्य सचेतक): आपने नेता प्रतिपक्ष का धर्म ही नहीं निभाया है। (व्यवधान) आप इस आसन के योग्य ही नहीं हैं नेता प्रतिपक्ष।

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष): आप जिस तरह से सदन छोड़कर भाग रहे हैं, आप चर्चा नहीं करवाना चाहते ...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): आप जिस प्रकार से आसन पर आरोप लगा रहे हैं यह ठीक नहीं है। (व्यवधान)

श्री मदन राठौड़ (उप मुख्य सचेतक): हम चर्चा से भागना नहीं चाहते, चर्चा कराना चाहते हैं लेकिन आप नियमों में आओ। (व्यवधान) आप नियमों में मामला रखो तो सही। (व्यवधान) आप केवल हंगामा करना चाहते हैं, यह बात ठीक नहीं है। आप नियमों में आइए, हम चर्चा करने को तैयार हैं। (व्यवधान) आप नियमों में आइए।

श्री रमेश (सपोटरा): आप सदन को चलाना नहीं चाहते, आप सदन में बहस नहीं करना चाहते। (व्यवधान)

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष): हमारी प्रतिपक्ष की मांग है कि प्रदेश के ज्वलंतशील मुद्दों पर यहां सदन में चर्चा कराओ। (व्यवधान) यदि आप चर्चा के लिए तैयार हैं तो हां भरो न। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): आप नियमों में आइए, यह सब्जी मंडी नहीं है।

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष): हम चर्चा के लिए तैयार हैं, आप कराओ। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): आप नियमों में आइए।

श्री कालू लाल गुर्जर (सरकारी मुख्य सचेतक): आपका कोई भी मैटर है तो नियमों में लाइए।

श्री मदन राठौड़ (उप मुख्य सचेतक): नेता प्रतिपक्ष को नियमों का पता नहीं है क्या? नेता प्रतिपक्ष को नियमों का पता नहीं है। (व्यवधान) नियम जानते नहीं हो तो नियम पढ़ो। (व्यवधान) आप नियमों के तहत आओ न हम जवाब देने के लिए तैयार हैं। सदन चलाने के, चर्चा कराने के नियम हैं। (व्यवधान) विधान सभा के प्रक्रिया एवं कार्य संचालन सम्बन्धी नियम है। आप नियमों में क्यों नहीं आते हैं? आप हंगामा क्यों करते हैं? आप नियमों में आओ। प्रतिपक्ष के उप सचेतक जी, आपको भी नियमों की यह किताब मिली है कि सदन की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन सम्बन्धी नियम क्या है, आप नियमों में आइए। आप नियमों में क्यों नहीं आते हो? (व्यवधान) आप सुर्खियों में आने के लिए अनर्गल बातें बोलते रहते हो। (व्यवधान)

(प्रतिपक्ष के कई माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, यह लोकतंत्र के मंदिर के लिए शर्मनाक है। (व्यवधान)

श्री विश्वनाथ (संसदीय सचिव): ऐसे आसन को धमकाकर +++ नहीं चलने देंगे। (व्यवधान) आप आसन को धमका रहे हैं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, ये अपने नेतृत्व के खिलाफ हैं, जीएसटी के बिल पर चर्चा होनी है, जीएसटी पर कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी, सबने अपना समर्थन दिया है। ये अपने नेतृत्व के खिलाफ हैं।

श्री मदन राठौड़ (उप मुख्य सचेतक): माननीय अध्यक्ष महोदय, कांग्रेस के नेताओं को यह भी नहीं पता है कि गौशाला और कांजी हाउस में फर्क है। यह आप थोड़ा समझा करो कि कांजी हाउस क्या होता है और गौशाला क्या होती है। (व्यवधान) आप जिस विषय की बात करते हो वह कांजी हाउस है, थोड़ा आप समझा करो। जब आप पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा। आप पढ़ते तो हो नहीं, तैयारी आपकी है नहीं, केवल सुर्खियों में आने के लिए हंगामा करते हो। यह ठीक बात नहीं है, माननीय अध्यक्ष महोदय, आप इनको निर्देश दो नहीं तो कोई इनकी क्लास ले। (व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़): इन्होंने +++ किया है इनको तो जेल में होना चाहिए। (व्यवधान)

श्री कालू लाल गुर्जर (सरकारी मुख्य सचेतक): आपका गौमाता पर इतना प्रेम कैसे उमड़ा यह तो बता दो? ...(व्यवधान) डोटासराजी, आप यह तो बताओ आपको गौमाता पर इतना प्रेम कैसे उमड़ा? (व्यवधान) आपके खुद के राज में कितनी गायें मरी तब तो आपने नहीं देखा, तब तो कभी मामला नहीं उठाया, आपके राज में कितनी गायें मरीं तब तो कोई मामला नहीं उठाया, आज गौमाता पर प्रेम कैसे आ गया? (व्यवधान)

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): माननीय अध्यक्ष महोदय, सच्ची बात तो यह है कि हम गाय माता का दूध पीते हैं, यह तो भैंस का दूध पीते हैं, भैंस का दूध पीते हैं, भैंस का। ये गाय का दूध नहीं पीते हैं और न गाय इन्होंने पाली हैं कभी, तभी यह आसन को वहां जाकर बता रहे हैं, ...(व्यवधान) यदि सच्चे हैं तो आप अपनी सीट पर जाकर बोलिए। केवल यूं बातें करने से काम नहीं चलता। (व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़): ऐसे +++ को तो जेल में होना चाहिए, लाखों-करोड़ों गायों को मार दिया। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, आप तो आज की कार्य सूची लीजिए इनको तो यूं ही करने दीजिए। (व्यवधान) आप तो कार्य सूची पूरी कराएं माननीय अध्यक्ष महोदय। इनको बहस करनी ही नहीं है। इन्होंने आसन को आक्षेपित कर दिया इससे बुरी बात और क्या हो सकती है? आसन पर ही आरोप लगा दिया फिर किस प्रकार से यह कार्यवाही चलाना चाहते हैं? (व्यवधान)

श्री मदन राठौड़ (उप मुख्य सचेतक): माननीय अध्यक्ष महोदय, इनको यह पूछा जाए कि गाय को माता कहते हैं, यह बैल को क्या कहते हैं? (व्यवधान) इनको यह भी पता नहीं है। माननीय अध्यक्ष महोदय, सौ चूहे खाने के बाद बिल्ली हज करने चली है। कांग्रेस सरकार के अन्दर कितनी गायें मरी हैं? वहां जाकर देखो, यहां वैल में नहीं बोला जाता है। (व्यवधान)

इनको पूछो आपके कार्यकाल के अन्दर कितनी गायें मरी हैं। गाय के नाम पर राजनीति करते हैं। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): आप भूल गये हो। आपके कार्यकाल में क्या हुआ?

श्री मदन राठौड़ (उप मुख्य सचेतक): गाय के लिए कम से कम सरकार से अनुरोध करना चाहिए, गाय माता की रक्षा के लिए और कदम उठाये जायं। ये कहते हैं गौभक्त हैं। 2000 के अन्दर जब अशोक गहलोत जी मुख्यमंत्री थे तो 4 साल में 5 हजार गायें मरीं। उस समय के अखबारों की सुर्खियां हैं। यही नहीं, इनके समय पिंजरापोल गौशाला में 2 हजार गायें मरीं, यह 25 फरवरी, 2000 की बात है। माननीय अध्यक्ष महोदय, श्रीराम गौशाला में 25 जून, 5 जून को, इनके समय में 2219 गायें मरीं। अब ये क्या बातें कर रहे हैं? 3 दिन में 17 बछड़े, (व्यवधान) यह सारी सूची आपके सामने है। (व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, 2009 से 2013 तक...(व्यवधान) एक खास बात है, एक दिन में 4 हजार गायों की मृत्यु हुई। उसका कारण क्या है? ये आंकड़े रखते नहीं थे और जिस दिन सर्वे के लिए कोई गया उस दिन गायें कम मिलीं तो इन्होंने बता दिया कि 1200 गायें मर गयीं। एक दिन में 1200 गायें? उनकी डैड बाडीज कहां थीं? आपके भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा है। आप किस मुंह से यहां बात करने के लिए आये हो। आप जो लेकर आये हो कि आप शर्मिंदा हो। वास्तव में आपको शर्मिंदा होना चाहिए।

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष): माननीय अध्यक्ष महोदय, ये

(श्री रामेश्वर लाल डूडी)

तो अपनी सरकार की तरफ से बयान दे रहे हैं। (व्यवधान) आपके राज के अन्दर कितनी गायें मरी हैं?

श्री मदन राठौड़ (उप मुख्य सचेतक): है किसी के पास गाय? अपनी सीट पर जाकर बोलो कि किसने गायों को पाला है। (व्यवधान)

(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारे व व्यवधान)

हंगामा करने से काम नहीं चलेगा। आप गये कांजी हाउस, कितनी गायें लेकर आये, यह तो बताओ। कोई एक भी गाय लेकर आया क्या? कांजी हाउस से एक भी गाय लेकर आया? कोई लेकर नहीं आया। केवल राजनीति करने के लिए गायों का दुरुपयोग कर रहे हो। (व्यवधान) जरा हिम्मत है तो जय श्रीराम भी बोल दो। आपकी आका आपको सबक सिखा देंगी। किससे निर्देश प्राप्त करके आप हंगामा कर रहे हो? अध्यक्ष महोदय, इनके सारे चिट्ठे मैं बताना चाहता हूं, ये किस-किस प्रकार से भ्रष्टाचार करते थे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इनकी गौशाला है या वध-शाला। इस प्रकार की बात भी वहां पर कही गयी है। आपको यदि चर्चा करनी है...(व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, आप इनको एक बात कहें। हम चर्चा करने के लिए तैयार हैं। ये नियमों में आएं, चर्चा कराएं, हम भी जवाब देने की स्थिति में हैं और जवाब देने के लिए तैयार हैं, लेकिन हंगामा करने से काम नहीं चलता। केवल हंगामा करके सुर्खियों में आने के लिए सदन का दुरुपयोग कर रहे हो। (व्यवधान)

श्री कालू लाल गुर्जर (सरकारी मुख्य सचेतक): इनके समय 4 हजार गायें मरी हैं। (व्यवधान)

श्री मदन राठौड़ (उप मुख्य सचेतक): आज इतना महत्वपूर्ण बिल है जिस पर पूरा हिन्दुस्तान एकमत है। (व्यवधान) इस बिल पर चर्चा होनी चाहिए। थोड़ा ज्ञान मिलेगा, थोड़ा चर्चा में भाग लो, आपका नालेज बढ़ेगा तो आप जनता को भी समझा सकोगे। केवल हंगामा करने से काम चलने वाला नहीं है। आज जीएसटी जैसा महत्वपूर्ण बिल है जिसका 1976 से इंतजार कर रहे हैं। आज तक इंतजार करते रहे। अभी राज्य सभा और लोक सभा में पारित हुआ। कई प्रदेशों ने इसको पारित कर दिया। हम भी पारित करने के लिए तैयार हैं। अपनी सीट पर जाकर चर्चा करिए। आप बैठिए तो सही। (व्यवधान) केवल हंगामा करने से काम नहीं चलता। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): अध्यक्ष महोदय, ये नियमों में आते हैं तो हम जवाब देने के लिए तैयार हैं। इनको कहो, सीट पर

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

जाएं। वहां जाकर बात करें कोई बात हो तो। यह कोई तरीका थोड़े ही है। आप भी साक्षी रहे हैं कई विधान सभाओं में। सदन में इस प्रकार का व्यवहार आपने कभी नहीं देखा होगा। ये किस प्रकार का व्यवहार कर रहे हैं? आप बिजनेस लीजिए अध्यक्ष महोदय। इनको चर्चा नहीं करनी है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आप घोषणा चाहते हैं बहस करने के लिए? (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): कोई नहीं मानेगा इनकी। इनके बस की बात नहीं है। प्रतिपक्ष के नेता कांग्रेस के छोटे से गुट के नेता हैं। 22 माननीय सदस्यों में 4 लोगों के नेता हैं ये। ये कभी वैल में जाते हैं, कभी वैल से बाहर जाते हैं। (व्यवधान) प्रतिपक्ष के नेता, आप तीन लोगों के नेता हो, काहे के नेता हो आप? कौन मान रहा है आपकी बात? इसलिए मेरा निवेदन है आप बिजनेस पुकारिए। अध्यक्ष महोदय, आपसे प्रार्थना है, आप बिजनेस पुकारिए। (व्यवधान)

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष): आप चर्चा चाहते हो? (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): अध्यक्ष महोदय, कृपा करो ना। (व्यवधान) ये नेता प्रतिपक्ष के नियंत्रण में नहीं हैं। ये किसी के नियंत्रण में नहीं हैं। ये नियंत्रणविहीन प्रतिपक्ष है। मेरी प्रार्थना है इस बिजनेस को आगे पुकारें या हाउस को आर्डर में लाएं, हम बात करने को तैयार हैं। (व्यवधान)

श्री मदन राठौड़ (उप मुख्य सचेतक): नेता प्रतिपक्ष यह बता दें कि जीएसटी किसको कहते हैं? ऐसी बात मत करो, आप अपने सदस्यों को बिठाओ, चर्चा करो। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): माननीय भाभी, कौनसे दिन गाय पाली है आपने? यहां शहरों में रही हो। गांव छोड़कर आ गयी हो। कौनसे दिन गाय पाली आपने? गाय का दूध निकाला क्या? गाय का दूध निकालना जानती हो? (व्यवधान) क्या बात करती हो? आप यहां डा. किरोड़ीलाल जी के साथ शहरों में रही हो। हमारे घरों में रहती हैं गाय का दूध निकालने वाली। (व्यवधान)

श्री मदन राठौड़ (उप मुख्य सचेतक): अध्यक्ष महोदय, आप कार्यवाही चलाओ। (व्यवधान) पूरा सदन तैयार है। ये तो हंगामा करना चाहते हैं। इनको

(श्री मदन राठौड़)

सुर्खियों में आना है। ये भाग लेना नहीं चाहते। हम भाग लेना चाहते हैं। पूरा सत्ता पक्ष इन विषयों के प्रति गम्भीर है। हम जीएसटी बिल पास करना चाहते हैं और उपभोक्ताओं को लाभ दिलाना चाहते हैं। (व्यवधान)

श्री कालू लाल गुर्जर (सरकारी मुख्य सचेतक): अब तो सुर्खियों में आ गये। अख़बार में आ जाएगा, अब तो बैठो। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): अध्यक्ष महोदय, अब इनकी वाणी भी अवरुद्ध हो गयी है, आप तो आगे का बिजनेस लें। अब इनमें दम नहीं है।

श्री अध्यक्ष: अब लगता है आप थक गये हैं। (व्यवधान) आप मुझे कह देना। (व्यवधान)

श्री कालू लाल गुर्जर (सरकारी मुख्य सचेतक): अध्यक्ष महोदय, ये गौमाता का गुणगान करते-करते थक गये हैं।

श्री मदन राठौड़ (उप मुख्य सचेतक): यह भैंस का दूध है। धीरज गुर्जर और ये सब हांफ गये हैं। गाय के दूध में ताकत रहती है। भैंस के दूध से जल्दी हांफ जाते हैं। (व्यवधान) शकुन्तला जी, आप तो बीमार हो, आप तो आराम करो। आपका आपरेशन हुआ है, आप तो आराम करो। जोर से मत बोलो, आपने आपरेशन कराया है।

श्री कालू लाल गुर्जर (सरकारी मुख्य सचेतक): किसी ने गाय देखी भी नहीं है और गाय कैसी होती है यह भी देखा नहीं होगा। डेयरी का दूध पीकर कह रहे हैं गौमाता, गौमाता। ये भैंस का दूध पीने वाले हैं।

श्री मदन राठौड़ (उप मुख्य सचेतक): अध्यक्ष महोदय, बानसूर की माननीय विधायक को कहो ये बीमार हैं, अभी आपरेशन हैं। हम आपके लिए शुभकामनाएं दे रहे हैं आप बैठो अपने आसन पर।

श्री कालू लाल गुर्जर (सरकारी मुख्य सचेतक): आप भैंस का दूध पीते हैं, गाय कभी आपने देखी नहीं। (व्यवधान)

श्री मदन राठौड़ (उप मुख्य सचेतक): बकरी का दूध पीना गुनाह है? आप तो भैंस का दूध पीते हो। यदि आप गम्भीर हो तो अपनी सीट पर जाओ, नियमों से आओ। सरकार जवाब देने को तैयार है। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): अध्यक्ष महोदय, इस विधान सभा के सदन में राजस्थान के आवाम के लिए चर्चा होनी चाहिए

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

थी वहां ये बकरी पर चर्चा कर रहे हैं, ये बकरी की चिन्ता कर रहे हैं, भैंस की चिन्ता कर रहे हैं। मैं समझता हूं इससे शर्मनाक बात हो नहीं सकती। इसलिए मेरी प्रार्थना है इनको कहिए अपनी सीट पर जाएं। कोई बात कहनी है तो अपनी सीट पर जाएं। और कोई बात कहनी है तो सीट पर जाकर कहें। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आप सब अपनी सीट पर जाइये। (व्यवधान) आप सब अपनी सीट पर जाइये। भंवर जी की तरह जाकर बैठ जाइये। भंवर लाल शर्मा डिसिप्लिंड विधायक हैं। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): नहीं, किरोड़ी लाल जी हैं नेता। (व्यवधान) आप एमएलए हैं लेकिन किरोड़ी लाल जी हैं नेता।

(सदन कूप में प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा नारे)

श्री अध्यक्ष: भंवर लाल शर्मा डिसिप्लिंड विधायक हैं। (व्यवधान) अनुशासित विधायक हैं आप।

श्री मदन राठौड़ (उप मुख्य सचेतक): अध्यक्ष महोदय, आप सदन चलायें। सत्ता पक्ष गम्भीर है और सदन चलाना चाहता है। इनको सदन चलाना नहीं है, इनको कोई मतलब ही नहीं है इसलिए आप तो कृपया आगे कार्यवाही चलायें। (व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, एक रोचक बात आपको बताता हूं। इनका नेता यहां पर राजस्थान में आया था और उन्होंने डेल्टा, जिसका ये नाम ले रहे हैं, उसके घर गया और वहां जाकर पूछा कि डेल्टा किसको कहते हैं। उस नेता ने राजस्थान में भाषण दिया कि नदियां जहां आपस में मिलती हैं उसको डेल्टा कहते हैं। उनको डेल्टा का मतलब ही मालूम नहीं है और किसी के यहां बैठने जाओगे तो उसको यह पूछोगे क्या कि इसका यह नाम क्यों रखा? यह क्या बात हो गई, अध्यक्ष महोदय? डेल्टा किसको कहते हैं यह आपको पता ही नहीं है। न इनके नेता को पता है, न इनको पता है। जहां नदी समुद्र में मिलती है और वहां पर फैलती है उसको डेल्टा कहते हैं। इन्होंने कह दिया कि नदियां, राहुल गांधी ने कहा कि नदियां जहां आपस में मिलती हैं उसको डेल्टा कहते हैं, उसको डेल्टा नहीं कहते हैं। सबसे बड़ी बात तो यह है कि किसी के यहां बैठने जाओगे तो यह पूछोगे क्या कि इसका नाम डेल्टा क्यों रखा? कैसी हास्यास्पद स्थिति है इनके नेता की। ऐसी गैर गम्भीर चर्चाएं ये करते रहते हैं इसलिए, अध्यक्ष महोदय, आप तो कार्यवाही चलायें, सत्ता पक्ष कार्यवाही चलाना चाहता है।

(सदन कूप में प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा नारे)

श्री अध्यक्ष: इनके गले अभी तक थके नहीं हैं। मैं सोचता हूं कि जब तक गले थकें, ये गले साफ करके आ जाएं। एक घण्टे के लिए मैं सदन की कार्यवाही स्थगित करता हूं।

(तदनन्तर सदन की बैठक 12.42 बजे 13.42 बजे तक के लिए स्थगित हुई)

(13.42 बजे)

पुनः समवेत् होने पर

(श्री कैलाश चन्द्र मेघवाल, अध्यक्ष, पदासीन)

श्री अध्यक्ष: नमस्कार। जीरो आवर समाप्त। अधिसूचनाएं। श्री राजपाल सिंह शेखावत। (व्यवधान) बिजनस लेने दीजिये। बिजनस लेने दीजिये। आप बैठ जाइये। बिजनस लेने दीजिये। (व्यवधान)

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, इतने बड़े घोटाले हो रहे हैं प्रदेश में। जलदाय विभाग में घोटाले...(व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, हमारी बात कौन सुनेगा? (व्यवधान) आप नहीं सुनोगे तो हमारी कौन सुनेगा? (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: मैंने बहुत बर्दाश्त कर लिया है। यह जो आप इतना बोल रहे हो ना, मैंने बहुत बर्दाश्त कर लिया है। (व्यवधान) अब मैं अपने हिसाब से हाउस चलाऊंगा। (व्यवधान) श्री राजपाल सिंह शेखावत।

सदन पटल पर रखे गये पत्र

अधिसूचनाएं

वित्त विभाग

श्री राजपाल सिंह शेखावत (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से कार्य सूची में किये गये उल्लेख के अनुसार वित्त विभाग की निम्न 21 अधिसूचनाएं सदन की मेज पर रखता हूं:-

1. अधिसूचना संख्याः एफ.2(30)वित्त/कर/2015-6 दिनांक 30.4.2016 जिसके द्वारा पंजीयन अधिनियम, 1908 की धारा-6 के अन्तर्गत तहसीलदार/नायब तहसीलदार को पंजीयन कार्य सम्पादित करने हेतु अधिकार प्रदान किये गये हैं ;

(श्री राजपाल सिंह शेखावत)

2. अधिसूचना संख्याः एफ.12(80)वित्त/कर/2014-7 दिनांक 6 मई, 2016 जिसके द्वारा अर्द्धसिले वस्त्रों को दिनांक 8 मार्च, 2016 से 31 मार्च, 2016 तक करों में छूट प्रदान की गई है ;

3. अधिसूचना संख्याः एफ.12(80)वित्त/कर/2014-8 दिनांक 6 मई, 2016 जिसके द्वारा राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 की अनुसूची-IV में संशोधन किया गया है ;

4. अधिसूचना संख्याः एफ.12(80)वित्त/कर/2014-9 दिनांक 6 मई, 2016 जिसके द्वारा राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 की अनुसूची-VI में संशोधन किया गया है ;

5. अधिसूचना संख्याः एफ.12(80)वित्त/कर/2014-10 दिनांक 6 मई, 2016 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्याः एफ.12(59)वित्त/कर/2014-18 दिनांक 14.7.2014 (समय-समय पर यथा संशोधित) में संशोधन किया गया है ;

6. अधिसूचना संख्याः एफ.12(80)वित्त/कर/2014-11 दिनांक 6 मई, 2016 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्याः एफ.12(84)वित्त/कर/2009-21 दिनांक 8.7.2009 (समय-समय पर यथा संशोधित) में तत्काल प्रभाव से संशोधन किया गया है ;

7. अधिसूचना संख्याः एफ.12(79)वित्त/कर/2014-15 दिनांक 23 मई, 2016 जिसके द्वारा राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर नियम, 2006 में संशोधन किया गया है ;

8. अधिसूचना संख्याः एफ.2(44)वित्त/कर/2015-16 दिनांक 27 मई, 2016 जिसके द्वारा विद्युत निगमों को वर्ष 2008-2009 से 2011-2012 के दौरान आबंटित भूमि के सम्बन्ध में निष्पादित लीज डीड पर देय स्टाम्प ड्यूटी में छूट प्रदान की गई है ;

9. अधिसूचना संख्याः एफ.2(10)वित्त/कर/2016-17 दिनांक 30 मई, 2016 जिसके द्वारा स्पैनफैड लिमिटेड के पक्ष में 38.18 बीघा के अमलगमेशन आदेश एवं विक्रय दस्तावेजों पर देय स्टाम्प ड्यूटी की छूट प्रदान की गई है ;

10. अधिसूचना संख्याः एफ.7(22)वित्त/कर/2011 दिनांक 30 मई, 2016 जिसके द्वारा राजस्थान वाणिज्यिक कर सेवा की कैडर स्ट्रेन्थ का पुनर्निर्धारण किया गया है ;

(श्री राजपाल सिंह शेखावत)

11. अधिसूचना संख्याः एफ.12(34)वित्त/कर/2015-21 दिनांक 01 जून, 2016 जिसके द्वारा कैपटीव पावर पर जल संरक्षण उपकर में सशर्त छूट प्रदान की गई है ;

12. अधिसूचना संख्याः एफ.12(34)वित्त/कर/2015-22 दिनांक 01 जून, 2016 जिसके द्वारा कैपटीव पावर पर नगरीय उपकर में सशर्त छूट प्रदान की गई है ;

13. अधिसूचना संख्याः एफ.12(75)वित्त/कर/2013-23 दिनांक 03 जून, 2016 जिसके द्वारा मै. हेमदा मेडीरिसोर्सेज प्रा. लि. किशनगढ़ को मेडिकल कॉलेज एवं हास्पिटल से सम्बन्धित गतिविधियों में उपभुक्त ऊर्जा के लिये विद्युत शुल्क से छूट प्रदान की गई है ;

14. अधिसूचना संख्याः एफ.12(61)वित्त/कर/2014-पार्ट-1-25 दिनांक 16 जून, 2016 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्याः एफ.12(23)वित्त/कर/2015-211 दिनांक 9.3.2015 (समय-समय पर यथा संशोधित) में संशोधन किया गया है ;

15. अधिसूचना संख्याः एफ.12(61)वित्त/कर/2014-पार्ट-1-26 दिनांक 16 जून, 2016 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्याः एफ.12(23)वित्त/कर/2015-211 दिनांक 9.3.2015 (समय-समय पर यथा संशोधित) की क्रम संख्या-48 में उल्लेखित माल के प्रवेश पर चुकाये गये कर में छूट प्रदान की गई है ;

16. अधिसूचना संख्याः एफ.12(79)वित्त/कर/2014-27 दिनांक 20 जून, 2016 जिसके द्वारा राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर नियम, 2006 में संशोधन किया गया है ;

17. अधिसूचना संख्याः एफ.2(30)वित्त/कर/15-28 दिनांक 27 जून, 2016 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्याः एफ.2(30)वित्त/कर/2015-6 दिनांक 30.4.2016 में संशोधन किया गया है ;

18. अधिसूचना संख्याः एफ.12(79)वित्त/कर/2014-29 दिनांक 11.7.2016 जिसके द्वारा राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर नियम, 2006 में संशोधन किया गया है ;

19. अधिसूचना संख्याः एफ.24(9)वित्त/कर/2016-30 दिनांक 14.7.2016 जिसके द्वारा हिन्दी फिल्म धनक को दिनांक 18.6.2016 से 17.6.2017 तक मनोरंजन कर से सशर्त छूट प्रदान की गई है ;

(श्री राजपाल सिंह शेखावत)

20. अधिसूचना संख्याः एफ.24(1)वित्त/कर/2014-31 दिनांक 18.7.2016 जिसके द्वारा डेली न्यूज एण्ड एनालाईसिस (डीएनए) को गोलछा थियेटर, जयपुर में 18.7.2016 से 31.8.2016 तक बाल फिल्म महोत्सव चरण-2 के प्रदर्शन पर मनोरंजन कर में छूट प्रदान की गई है ; एवं

21. अधिसूचना संख्याः एफ.12(111)वित्त/कर/2009-पार्ट-33 दिनांक 9 अगस्त, 2016 जिसके द्वारा विद्युत शुल्क की दर में संशोधन सम्बन्धी अधिसूचना संख्याः एफ.12(111)वित्त/कर/2009-पार्ट-114 दिनांक 6 जनवरी, 2011 के सम्बन्ध में स्पष्टीकरण जारी किया गया है।

आबकारी विभाग

मैं अधिसूचना संख्या एफ.4(12)वित्त/आब/2014 दिनांक 1 अगस्त, 2016 जिसके द्वारा राजस्थान आबकारी नियम, 1956 में संशोधन किया गया है, को सदन की मेज पर रखता हूं।

नगरीय विकास विभाग

मैं कार्य सूची में किये गये उल्लेख के अनुसार नगरीय विकास विभाग की निम्न सात अधिसूचनाएं सदन की मेज पर रखता हूं। (व्यवधान)

1- अधिसूचना संख्याः एफ.1(1)नविवि/3/76पार्ट-II दिनांक 3 सितम्बर, 2015, जिसके द्वारा श्रीगंगानगर के नगरीय क्षेत्र जिसमें कतिपय राजस्व ग्राम/चक सम्मिलित होंगे, का सिविक सर्वेक्षण करने एवं मास्टर प्लान क्षैतिज वर्ष, 2035 तैयार करने हेतु अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक (पश्चिम) राजस्थान, जयपुर को नियुक्त किया गया है ;

2- अधिसूचना संख्याः एफ.10(21)नविवि/3/2011 दिनांक 18 सितम्बर, 2015, जिसके द्वारा पूर्व में अनुमोदित सिरोही मास्टर प्लान, 2031 के नगरीय क्षेत्र में स्थित ग्राम मण्डावर के कतिपय खसरों का भू-उपयोग हेतु परिवर्तन किया गया है ;

3- अधिसूचना संख्याः एफ.3(55)नविवि/3/2002 दिनांक 26 सितम्बर, 2015, जिसके द्वारा राजस्थान के नगरीय क्षेत्रों में विभिन्न उद्देश्यों के लिये भूमि आबंटन नीति, 2015 जारी की गई है ;

4- अधिसूचना संख्याः एफ.10(90)नविवि/3/2008 पार्ट-I दिनांक

(श्री राजपाल सिंह शेखावत)

10.11.2015 जिसके द्वारा राजस्थान उप क्षेत्रीय योजना, 2021 (सब रीजनल प्लान-2021) का अनुमोदन किया गया है ;

5- अधिसूचना संख्या: एफ.11(2)नविवि/पाली/2015 दिनांक 10 जनवरी, 2016, जिसके द्वारा पाली शहर के नगरीय क्षेत्र जिसमें राजस्व ग्रामों का सिविक सर्वेक्षण करने एवं मास्टर प्लान बनाये जाने हेतु अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक (पूर्व) राजस्थान, जयपुर को नियुक्त किया गया है ;

6- अधिसूचना संख्या:एफ.1(32)नविवि/II/84/पार्ट दिनांक 18 जनवरी, 2016, जिसके द्वारा नगर सुधार न्यास, अलवर, जैसलमेर, सवाई माधोपुर, बाड़मेर एवं चित्तौड़गढ़ में अध्यक्षों की नियुक्ति की गई है ; एवं

7- अधिसूचना संख्या: एफ.1(32)नविवि/II/84/पार्ट दिनांक 18 जनवरी, 2016, जिसके द्वारा अजमेर विकास प्राधिकरण का अध्यक्ष नियुकत किया गया है।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): आपकी प्रभारी मंत्री किरणजी माहेश्वरी... (व्यवधान) उनके विभाग में घोटाले हो रहे हैं। एसपीएमएल में घोटाले। (व्यवधान)

श्री श्रीचन्द कृपलानी (निम्बाहेड़ा): अब क्या मौका चाहिए? (व्यवधान)

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): इतने सारे घोटाले हो रहे हैं। जलदाय विभाग में घोटाले हो रहे हैं। 2,600 करोड़ रुपये का जलदाय विभाग में घोटाला हो गया। (व्यवधान)

श्री श्रीचन्द कृपलानी (निम्बाहेड़ा): सदन का टाइम खराब कर रहे हैं। (व्यवधान) सदन का टाइम खराब किया है चार घंटे। (व्यवधान)

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): गऊएं मर रही हैं। (व्यवधान)

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): सदन की कार्यवाही शुरू होने के एक दिन पहले... (व्यवधान)

श्री श्रीचन्द कृपलानी (निम्बाहेड़ा): आप बैठ जाओ। आप बैठ जाओ। (व्यवधान)

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): सरकार विचार करना नहीं चाहती है। (व्यवधान) यह सरकार भागना चाहती है माननीय अध्यक्ष महोदय, यह भगोड़ी सरकार है।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): किरणजी के यहां से धुआं उठ रहा है। (व्यवधान)

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): यह भ्रष्टाचार से घिरी हुई सरकार है। (व्यवधान) यह घोटालों से घिरी हुई सरकार है।

श्री अध्यक्ष: श्री गजेन्द्र सिंह।

उद्योग विभाग

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री) (श्री गजेन्द्रसिंह (उद्योग मंत्री) के स्थान पर): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से कार्य सूची में किये गये उल्लेख के अनुसार उद्योग विभाग की अधिसूचना संख्या: आरएफसी/एफ.पीए-23(1) दिनांक 16 दिसम्बर, 2015 जिसके द्वारा राजस्थान वित्त निगम (स्टाफ) रेगुलेशन्स, 1958 संख्या 75(1) में संशोधन किया गया है, सदन की मेज पर रखता हूं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: श्री सुरेन्द्र गोयल।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): ये हत्यारी सरकार है, उनको बचाने का काम नहीं होना चाहिए माननीय अध्यक्ष महोदय। (व्यवधान)

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): हमारे नेता प्रतिपक्ष ने कहा था कि धुआं उनके वहां से उठ रहा है। +++ (व्यवधान) पता नहीं, कहां से उठ रहा है। (व्यवधान) +++। +++ (व्यवधान) +++ (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: श्री सुरेन्द्र गोयल। अधिसूचना रखिये।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, जनता के मुद्दे हैं। बिजली, पानी, सड़क, इनकी व्यवस्था नहीं हो रही है। (व्यवधान) माननीय अध्यक्ष महोदय, यह फोर्मेलिटी कर रही है सरकार। माननीय अध्यक्ष महोदय, जनता के मुद्दे हैं। आज भी सवाल खड़े हुए हैं। (व्यवधान)

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग

श्री सुरेन्द्र गोयल (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से कार्य सूची में किये गये उल्लेख के अनुसार ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग की अधिसूचना संख्या एफ.4

(श्री सुरेन्द्र गोयल)

(7)एएम/रूल/लीगल/पीआर/2014/397 दिनांक 8 जून, 2016 जिसके द्वारा राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 में संशोधन किये गये हैं, सदन की मेज पर रखता हूं।

श्री अध्यक्ष: श्री पुष्पेन्द्र सिंह।

ऊर्जा विभाग

श्री पुष्पेन्द्र सिंह (राज्य मंत्री, ऊर्जा): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से कार्य सूची में किये गये उल्लेख के अनुसार ऊर्जा विभाग की निम्न तीन अधिसूचनाएं सदन की मेज पर रखता हूं।

1- अधिसूचना संख्या: राविविआ/विनि-114 दिनांक 19 जनवरी, 2016 जिसके द्वारा राजस्थान विद्युत विनियामक आयोग (पारेषण अनुज्ञप्तिधारी के कार्य सम्पादन-मानदण्ड) (द्वितीय संशोधन) विनियम, 2016 विरचित किये गये हैं ;

2- अधिसूचना संख्या: राविविआ/विनियम-115 दिनांक 27 जनवरी, 2016 जिसके द्वारा राजस्थान विद्युत विनियामक आयोग (खुला अभिगमन के लिये निबन्धन और शर्तें) विनियम, 2016 विरचित किये गये हैं ; एवं

3- अधिसूचना संख्या: राविविआ/सचिव/विनियम-116 दिनांक 15 मार्च, 2016 जिसके द्वारा राजस्थान विद्युत विनियामक आयोग (अक्षय ऊर्जा प्रमाण पत्र एवं अक्षय क्रय बाध्यता अनुपालना ढांचा) विनियम, 2010 में संशोधन किया गया है।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): जनता यह चाहती है। बेरोजगार यह चाहता है कि रोजगार कब मिलेगा? खानों का भ्रष्टाचार कब मिटेगा? (व्यवधान) पानी का भ्रष्टाचार कब मिटेगा? आनन्दपाल कब पकड़ा जायेगा? ये सारे के सारे सवाल हैं। रोजाना लूट-खसोट हो रही है। महिलाओं के साथ, बच्चियों के साथ दुष्कर्म हो रहे हैं। इनका जवाब कौन देगा माननीय अध्यक्ष महोदय? माननीय अध्यक्ष महोदय, यह भगोड़ी सरकार है, गौ-हत्यारी सरकार है। घोटालेबाजों की सरकार है। इससे बड़ी भ्रष्टाचारवादी सरकार और कोई नहीं हो सकती। (व्यवधान) अगर इन पर चर्चा नहीं कराओगे तो किन पर चर्चा कराओगे? (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: श्री राजकुमार रिणवां।

पर्यावरण विभाग

श्री राज कुमार रिणवां (राज्य मंत्री, खान): सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से कार्यसूची में किये गये उल्लेख के अनुसार पर्यावरण विभाग की निम्न तीन अधिसूचनाएं सदन की मेज पर रखता हूं।

1- अधिसूचना संख्या: जीएसआर.13 दिनांक 26 मई, 2016 जिसके द्वारा राजस्थान वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) नियम, 1983 में संशोधन किया गया है ;

2- अधिसूचना संख्या: जीएसआर.14 दिनांक 26 मई, 2016 जिसके द्वारा राजस्थान जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) नियम, 1975 में संशोधन किया गया है ; एवं

3- अधिसूचना संख्या: पं.27(31)पर्या/78-पार्ट दिनांक 28 जुलाई, 2016 जिसके द्वारा राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, जयपुर में सदस्यों का मनोनयन किया गया है।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, आप महान हैं। आप अनुकरणीय हैं। चेयर प्रतिपक्ष को संरक्षण प्रदान करता है। हम काम ही नहीं कर पा रहे हैं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखे। श्री राजपाल सिंह शेखावत।

प्रतिवेदन एवं लेखे

श्री राजपाल सिंह शेखावत (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से निम्नांकित प्रतिवेदन सदन की मेज पर रखता हूं:-

भारत के नियंत्रक-महालेखा परीक्षक का प्रतिवेदन (आर्थिक क्षेत्र) 2015

(1) भारत के नियंत्रक-महालेखा परीक्षक का 31 मार्च, 2015 को समाप्त हुए वर्ष के लिए प्रतिवेदन (आर्थिक क्षेत्र),

भारत के नियंत्रक-महालेखा परीक्षक का प्रतिवेदन (स्थानीय निकाय) 2015

(2) भारत के नियंत्रक-महालेखा परीक्षक का 31 मार्च, 2015 को समाप्त हुए वर्ष के लिए प्रतिवेदन (स्थानीय निकाय), एवं

(श्री राजपाल सिंह शेखावत)

भारत के नियंत्रक-महालेखा परीक्षक का प्रतिवेदन (सामान्य एवं सामाजिक क्षेत्र) 2015

(3) भारत के नियंत्रक-महालेखा परीक्षक का 31 मार्च, 2015 को समाप्त हुए वर्ष के लिए प्रतिवेदन (सामान्य एवं सामाजिक क्षेत्र)।

पंचम राज्य वित आयोग राजस्थान का अंतरिम प्रतिवेदन वर्ष 2016-17

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से पंचम राज्य वित्त आयोग राजस्थान का अंतरिम प्रतिवेदन वर्ष 2016-17 तथा उस पर की गई कार्यवाही विवरण का ज्ञापन सदन की मेज पर रखता हूं।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, पूरे प्रदेश की जनता यह जानना चाहती है कि प्रदेश में जिस प्रकार से घोटाले हो रहे हैं... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: इधर से कोई भी बोले तो अंकित नहीं होगा। (व्यवधान)

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): ×××

श्री अध्यक्ष: श्री गुलाब चन्द कटारिया।

लोकायुक्त राजस्थान का 28वां प्रतिवेदन

श्री गुलाबचन्द कटारिया (गृह मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से राजस्थान लोकायुक्त एवं उप लोकायुक्त अधिनियम, 1973 की धारा 12(5) के अन्तर्गत लोकायुक्त राजस्थान का 28वां वार्षिक प्रतिवेदन, दिनांक 1 अप्रैल, 2012 से 31 मार्च, 2014 तक की अवधि का सदन की मेज पर रखता हूं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: श्री सुरेन्द्र गोयल।

महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी स्कीम, राजस्थान का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2015-2016

श्री सुरेन्द्र गोयल (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005 की धारा 12(3)(एफ) के अन्तर्गत महात्मा गांधी

(श्री सुरेन्द्र गोयल)
राष्ट्रीय रोजगार गारंटी स्कीम, राजस्थान का वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन वर्ष 2015-16 सदन की मेज पर रखता हूं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: श्री युनूस खान।

राजस्थान राज्य सड़क परिवहन निगम के लेखों (वर्ष 2014-15) के लिए भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का पृथक् अंकेक्षण प्रतिवेदन

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): (श्री युनुस खान (सार्वजनिक निर्माण मंत्री) के स्थान पर): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से सड़क परिवहन अधिनियम, 1950 की धारा 33(4) के अन्तर्गत राजस्थान राज्य सड़क परिवहन निगम के 31 मार्च, 2015 को समाप्त हुए वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का पृथक् अंकेक्षण प्रतिवेदन सदन की मेज पर रखता हूं।

श्री अध्यक्ष: श्रीमती किरण माहेश्वरी। (व्यवधान) आप रखो। आप रख दो, संसदीय कार्य मंत्रीजी। श्रीमती किरण माहेश्वरी।

राजस्थान जल विकास निगम लिमिटेड का 31वां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2014-2015

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री) (श्रीमती किरण माहेश्वरी (जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री) के स्थान पर) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से राजस्थान जल विकास निगम लिमिटेड के मैमोरण्डम आफ आर्टिकल के नियम-114 के अन्तर्गत राजस्थान जल विकास निगम लिमिटेड का 31वां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2014-15 सदन की मेज पर रखता हूं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: श्री पुष्पेन्द्र सिंह।

राजस्थान राज्य विद्युत विनियामक आयोग के लेखों (वर्ष 2014-15) के लिए भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का पृथक् अंकेक्षण प्रतिवेदन

श्री पुष्पेन्द्र सिंह (राज्य मंत्री, ऊर्जा): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से विद्युत अधिनियम, 1971 की धारा 19(2) के अन्तर्गत राजस्थान राज्य विद्युत विनियामक आयोग के 31 मार्च, 2015 को समाप्त हुए वर्ष के

(श्री पुष्पेन्द्र सिंह)

लिए भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का पृथक् अंकेक्षण प्रतिवेदन सदन की मेज पर रखता हूं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: याचिकाओं का उपस्थापन। श्री धीरज गुर्जर। (बोलने के लिए उपस्थित नहीं हुए) श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल। (व्यवधान)

याचिका

रामगंजमण्डी के गांव रोजड़ी के निवासियों को विद्युत कनेक्शन

श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल (रामगंजमण्डी): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से कार्यसूची में किये गये उल्लेख के अनुसार विधान सभा क्षेत्र रामगंजमण्डी के गांव रोजड़ी के निवासियों को विद्युत कनेक्शन दिये जाने बाबत एक याचिका का उपस्थापन करती हूं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: कार्य सलाहकार समिति के प्रतिवेदन का उपस्थापन एवं उस पर विचार। श्री कालूलाल गुर्जर। (व्यवधान)

(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारे)

समिति प्रतिवेदन

कार्य सलाहकार समिति (क्रम संख्या 27)

श्री कालू लाल गुर्जर (सरकारी मुख्य सचेतक): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से कार्य सलाहकार समिति के 27वें प्रतिवेदन का उपस्थापन करता हूं।

अध्यक्ष महोदय, कार्य सलाहकार समिति की बैठक दिनांक 01 सितम्बर, 2016 को मध्याह्न पूर्व 11.40 बजे माननीय अध्यक्ष के वेश्म में हुई। समिति ने निर्णय लिया कि शुक्रवार, दिनांक 02 सितम्बर, 2016 को सदन में अग्रेतर लिये जाने वाले कार्य का नियतन निम्न प्रकार किया जाये:-

शुक्रवार, दिनांक 02 सितम्बर, 2016	1. अनुपूरक अनुदान की मांगें वर्ष 2016-2017 (प्रथम संकलन) का उपस्थापन तथा उन पर मुखबन्द का प्रयोग किया जाकर मतदान एवं पारण, तत्संबंधी विनियोग विधेयक का पुर:स्थापन, उस पर विचार एवं पारण।
	2. वर्ष 2012-2013 की अतिरेक मांगों का उपस्थापन (दत्तमत्त में कोई राशि नहीं) एतदर्थ तत्संबंधी विनियोग विधेयक का पुर:स्थापन, उस पर विचार एवं पारण।

(श्री कालू लाल गुर्जर)

3. वर्ष 2013-2014 की अतिरेक मांगों का उपस्थापन तथा उन पर मुखबन्द का प्रयोग किया जाकर मतदान एवं पारण, तत्संबंधी विनियोग विधेयक का पुर:स्थापन, उस पर विचार एवं पारण।
1. संविधान (122वां संशोधन) विधेयक, 2014 का अनुसमर्थन।

अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन कार्य सलाहकार समिति के 27वें प्रतिवेदन पर अपनी सहमति प्रकट करता है।

श्री अध्यक्ष: प्रश्न यह है कि यह सदन कार्य सलाहकार समिति के 27वें प्रतिवेदन पर अपनी सहमति प्रकट करता है?

(स्वीकृत)

सदन द्वारा प्रतिवेदन पर सहमति प्रदान की गई।

समिति के प्रतिवेदनों का उपस्थापन।

श्री जोगाराम पटेल।

जन लेखा समिति (क्रम संख्या 111 से 148)

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से कार्य सूची में किए गए उल्लेख के अनुसार जन लेखा समिति वर्ष 2016-17 के निम्नांकित प्रतिवेदनों का उपस्थापन करता हूं।

1. भारत के नियंत्रक-महालेखा परीक्षक का प्रतिवेदन (आर्थिक क्षेत्र) वर्ष 2012-13 का अनुच्छेद संख्या 3.2.3 एवं 3.2.4 पशुपालन विभाग से सम्बन्धित मामलों पर जनलेखा समिति वर्ष 2016-17 का 111वां प्रतिवेदन।
2. भारत के नियंत्रक-महालेखा परीक्षक का प्रतिवेदन (सामान्य एवं सामाजिक क्षेत्र) वर्ष 2012-13 का अनुच्छेद संख्या 2.2 सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग से सम्बन्धित मामलों पर जनलेखा समिति वर्ष 2016-17 का 112वां प्रतिवेदन।
3. भारत के नियंत्रक-महालेखा परीक्षक का प्रतिवेदन (राजस्व प्राप्तियां) वर्ष 2005-06 का अनुच्छेद संख्या 7.1 से 7.2.13 वित्त विभाग से सम्बन्धित मामलों पर जनलेखा समिति वर्ष 2016-17 का 113वां प्रतिवेदन।

(श्री जोगाराम पटेल)

4. भारत के नियंत्रक-महालेखा परीक्षक का प्रतिवेदन (राज्य वित्त) वर्ष 2012-13 का अनुच्छेद संख्या 2.4 जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी एवं अनुच्छेद संख्या 2.5 गृह, उच्च एवं प्राथमिक शिक्षा विभाग से सम्बन्धित मामलों पर जनलेखा समिति वर्ष 2016-17 का 114वां प्रतिवेदन।

5. भारत के नियंत्रक-महालेखा परीक्षक का प्रतिवेदन (राजस्व प्राप्तियां) वर्ष 2011-12 के अनुच्छेद संख्या 6.1 से 6.10.3 (पृष्ठ संख्या 105-143) राज्य आबकारी विभाग से सम्बन्धित मामलों पर जनलेखा समिति वर्ष 2016-17 का 115वां प्रतिवेदन।

6. भारत के नियंत्रक-महालेखा परीक्षक का प्रतिवेदन (राज्य वित्त) वर्ष 2013-14 का अनुच्छेद संख्या 1.2.5 वित्त, उद्योग, जल संसाधन, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता, उद्यान, विज्ञान एवं तकनीकी विभागों से सम्बन्धित मामलों पर जनलेखा समिति वर्ष 2016-17 का 116वां प्रतिवेदन।

7. भारत के नियंत्रक-महालेखा परीक्षक का प्रतिवेदन (राज्य वित्त) वर्ष 2013-14 का अनुच्छेद संख्या 1.9.4 एवं 3.4 गृह, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी एवं वन विभाग से सम्बन्धित मामलों पर जनलेखा समिति वर्ष 2016-17 का 117वां प्रतिवेदन।

8. जनलेखा समिति, 2015-16 (चौदहवीं विधान सभा) के 60वें प्रतिवेदन में समाविष्ट सिफ़ारिशों की परिपालना हेतु शासन द्वारा की गई कार्यवाही पर क्रियान्विति विषयक जनलेखा समिति वर्ष 2016-17 का 118वां प्रतिवेदन।

9. जनलेखा समिति, 2011-12 (तेरहवीं विधान सभा) के 86वें प्रतिवेदन में समाविष्ट सिफ़ारिशों की परिपालना हेतु शासन द्वारा की गई कार्यवाही पर क्रियान्विति विषयक जनलेखा समिति वर्ष 2016-17 का 119वां प्रतिवेदन।

10. जनलेखा समिति, 2010-11 (तेरहवीं विधान सभा) के 51वें प्रतिवेदन में समाविष्ट सिफ़ारिशों की परिपालना हेतु शासन द्वारा की गई कार्यवाही पर क्रियान्विति विषयक जनलेखा समिति वर्ष 2016-17 का 120वां प्रतिवेदन।

(श्री जोगाराम पटेल)

11. जनलेखा समिति, 2014-15 (चौदहवीं विधान सभा) के 10वें प्रतिवेदन में समाविष्ट सिफ़ारिशों की परिपालना हेतु शासन द्वारा की गई कार्यवाही पर क्रियान्विति विषयक जनलेखा समिति वर्ष 2016-17 का 121वां प्रतिवेदन।

12. जनलेखा समिति, 2014-15 (चौदहवीं विधान सभा) के 11वें प्रतिवेदन में समाविष्ट सिफ़ारिशों की परिपालना हेतु शासन द्वारा की गई कार्यवाही पर क्रियान्विति विषयक जनलेखा समिति वर्ष 2016-17 का 122वां प्रतिवेदन।

13. जनलेखा समिति, 2011-12 (तेरहवीं विधान सभा) के 84वें प्रतिवेदन में समाविष्ट सिफ़ारिशों की परिपालना हेतु शासन द्वारा की गई कार्यवाही पर क्रियान्विति विषयक जनलेखा समिति वर्ष 2016-17 का 123वां प्रतिवेदन।

14. जनलेखा समिति, 2014-15 (चौदहवीं विधान सभा) के 9वें प्रतिवेदन में समाविष्ट सिफ़ारिशों की परिपालना हेतु शासन द्वारा की गई कार्यवाही पर क्रियान्विति विषयक जनलेखा समिति वर्ष 2016-17 का 124वां प्रतिवेदन।

15. जनलेखा समिति, 2010-11 (तेरहवीं विधान सभा) के 52वें प्रतिवेदन में समाविष्ट सिफ़ारिशों की परिपालना हेतु शासन द्वारा की गई कार्यवाही पर क्रियान्विति विषयक जनलेखा समिति वर्ष 2016-17 का 125वां प्रतिवेदन।

16. जनलेखा समिति, 2011-12 के 102वें प्रतिवेदन में समाविष्ट गृह विभाग से सम्बन्धित सिफ़ारिशों पर शासन द्वारा की गई कार्यवाही पर (क्रियान्विति विषयक) जनलेखा समिति वर्ष 2016-17 का 126वां प्रतिवेदन।

17. जनलेखा समिति, 2010-11 (तेरहवीं विधान सभा) के 66वें प्रतिवेदन में समाविष्ट सिफ़ारिशों की परिपालना हेतु शासन द्वारा की गई कार्यवाही पर क्रियान्विति विषयक जनलेखा समिति वर्ष 2016-17 का 127वां प्रतिवेदन।

18. भारत के नियंत्रक-महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन (राजस्व प्राप्तियां) वर्ष 2009-10 का प्रतिवेदन संख्या 5 के अध्याय-2 से 5 में

(श्री जोगाराम पटेल)

समाविष्ट खान विभाग के अनुच्छेदों (2.1 से 5.6) से सम्बन्धित मामलों पर जनलेखा समिति वर्ष 2016-17 का 128वां प्रतिवेदन।

19. जनलेखा समिति, 2010-11 (तेरहवीं विधान सभा) के 67वें प्रतिवेदन में समाविष्ट सिफ़ारिशों की परिपालना हेतु शासन द्वारा की गई कार्यवाही पर क्रियान्विति विषयक जनलेखा समिति वर्ष 2016-17 का 129वां प्रतिवेदन।

20. जनलेखा समिति, 2011-12 (तेरहवीं विधान सभा) के 132वें प्रतिवेदन में समाविष्ट सिफ़ारिशों की परिपालना हेतु शासन द्वारा की गई कार्यवाही पर क्रियान्विति विषयक जनलेखा समिति वर्ष 2016-17 का 130वां प्रतिवेदन।

21. जनलेखा समिति, 2015-16 (चौदहवीं विधान सभा) के 61वें प्रतिवेदन में समाविष्ट सिफ़ारिशों की परिपालना हेतु शासन द्वारा की गई कार्यवाही पर क्रियान्विति विषयक जनलेखा समिति वर्ष 2016-17 का 131वां प्रतिवेदन।

22. जनलेखा समिति, 2011-12 (तेरहवीं विधान सभा) के 135वें प्रतिवेदन में समाविष्ट सिफ़ारिशों की परिपालना हेतु शासन द्वारा की गई कार्यवाही पर क्रियान्विति विषयक जनलेखा समिति वर्ष 2016-17 का 132वां प्रतिवेदन।

23. भारत के नियंत्रक-महालेखा परीक्षक का प्रतिवेदन (राजस्व प्राप्तियां) वर्ष 2009-10 के प्रतिवेदन संख्या 5 के अध्याय-6 में समाविष्ट खान विभाग से सम्बन्धित अनुच्छेद संख्या 6.1 से 6.15 से सम्बन्धित मामलों पर जनलेखा समिति वर्ष 2016-17 का 133वां प्रतिवेदन।

24. जनलेखा समिति, 2012-13 (तेरहवीं विधान सभा) के 182वें प्रतिवेदन में समाविष्ट सिफ़ारिशों की परिपालना हेतु शासन द्वारा की गई कार्यवाही पर क्रियान्विति विषयक जनलेखा समिति वर्ष 2016-17 का 134वां प्रतिवेदन।

25. जनलेखा समिति, 2011-12 (तेरहवीं विधान सभा) के 103वें प्रतिवेदन में समाविष्ट सिफ़ारिशों की परिपालना हेतु शासन द्वारा की गई कार्यवाही पर क्रियान्विति विषयक जनलेखा समिति वर्ष 2016-17 का 135वां प्रतिवेदन।

(श्री जोगाराम पटेल)

26. भारत के नियंत्रक-महालेखा परीक्षक का प्रतिवेदन (सामाजिक एवं सामान्य क्षेत्र) वर्ष 2012-13 का अनुच्छेद संख्या 2.4.1 पशुपालन, पर्यावरण, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभागों से सम्बन्धित मामलों पर जनलेखा समिति वर्ष 2016-17 का 136वां प्रतिवेदन।

27. जनलेखा समिति, 2015-16 (चौदहवीं विधान सभा) के 81वें प्रतिवेदन में समाविष्ट सिफ़ारिशों की परिपालना हेतु शासन द्वारा की गई कार्यवाही पर क्रियान्विति विषयक जनलेखा समिति वर्ष 2016-17 का 137वां प्रतिवेदन।

28. जनलेखा समिति, 2015-16 (चौदहवीं विधान सभा) के 82वें प्रतिवेदन में समाविष्ट सिफ़ारिशों की परिपालना हेतु शासन द्वारा की गई कार्यवाही पर क्रियान्विति विषयक जनलेखा समिति वर्ष 2016-17 का 138वां प्रतिवेदन।

29. जनलेखा समिति, 2015-16 (चौदहवीं विधान सभा) के 64वें प्रतिवेदन में समाविष्ट सिफ़ारिशों की परिपालना हेतु शासन द्वारा की गई कार्यवाही पर क्रियान्विति विषयक जनलेखा समिति वर्ष 2016-17 का 139वां प्रतिवेदन।

30. भारत के नियंत्रक-महालेखा परीक्षक का प्रतिवेदन (सामाजिक एवं सामान्य क्षेत्र) वर्ष 2011-12 का अनुच्छेद संख्या 3.4.10 तथा वर्ष 2012-13 का अनुच्छेद संख्या 2.2.2 एवं 2.2.3 जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग से सम्बन्धित मामलों पर जनलेखा समिति वर्ष 2016-17 का 140वां प्रतिवेदन।

31. जनलेखा समिति, 2014-15 (चौदहवीं विधान सभा) के 53वें प्रतिवेदन में समाविष्ट सिफ़ारिशों की परिपालना हेतु शासन द्वारा की गई कार्यवाही पर क्रियान्विति विषयक जनलेखा समिति वर्ष 2016-17 का 141वां प्रतिवेदन।

32. जनलेखा समिति, 2014-15 (चौदहवीं विधान सभा) के 34वें प्रतिवेदन में समाविष्ट सिफ़ारिशों की परिपालना हेतु शासन द्वारा की गई कार्यवाही पर क्रियान्विति विषयक जनलेखा समिति वर्ष 2016-17 का 142वां प्रतिवेदन।

33. जनलेखा समिति, 2012-13 (तेरहवीं विधान सभा) के 221वें प्रतिवेदन

(श्री जोगाराम पटेल)

में समाविष्ट सिफ़ारिशों की परिपालना हेतु शासन द्वारा की गई कार्यवाही पर क्रियान्विति विषयक जनलेखा समिति वर्ष 2016-17 का 143वां प्रतिवेदन।

34. भारत के नियंत्रक-महालेखा परीक्षक का प्रतिवेदन (सामान्य एवं सामाजिक क्षेत्र) वर्ष 2011-12 का अनुच्छेद संख्या 3.4.11 तकनीकी शिक्षा विभाग से सम्बन्धित मामलों पर जनलेखा समिति वर्ष 2016-17 का 144वां प्रतिवेदन।

35. जनलेखा समिति, 2014-15 (चौदहवीं विधान सभा) के 40वें प्रतिवेदन में समाविष्ट सिफ़ारिशों की परिपालना हेतु शासन द्वारा की गई कार्यवाही पर क्रियान्विति विषयक जनलेखा समिति वर्ष 2016-17 का 145वां प्रतिवेदन।

36. भारत के नियंत्रक-महालेखा परीक्षक का प्रतिवेदन (सामान्य एवं सामाजिक क्षेत्र) वर्ष 2013-14 का अनुच्छेद संख्या 2.1 प्राथमिक शिक्षा विभाग से सम्बन्धित मामलों पर जनलेखा समिति वर्ष 2016-17 का 146वां प्रतिवेदन।

37. भारत के नियंत्रक-महालेखा परीक्षक का प्रतिवेदन (सामान्य एवं सामाजिक क्षेत्र) वर्ष 2013-14 का अनुच्छेद संख्या 3.4.8 वित्त, श्रम एवं नियोजन तथा चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग से सम्बन्धित मामलों पर जनलेखा समिति वर्ष 2016-17 का 147वां प्रतिवेदन।

38. जनलेखा समिति, 2011-12 (तेरहवीं विधान सभा) के 131वें प्रतिवेदन में समाविष्ट सिफ़ारिशों की परिपालना हेतु शासन द्वारा की गई कार्यवाही पर क्रियान्विति विषयक जनलेखा समिति वर्ष 2016-17 का 148वां प्रतिवेदन।

श्री अध्यक्ष: श्री मोहन लाल गुप्ता।

राजकीय उपक्रम समिति (क्र.सं. 65 से 73)

श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से कार्य सूची में किए गए उल्लेख के अनुसार राजकीय उपक्रम समिति 2016-17 के निम्नांकित प्रतिवेदनों का उपस्थापन करता हूं।

1- राजस्थान राज्य सड़क परिवहन निगम (अंकेक्षण प्रतिवेदन (वाणिज्यिक) वर्ष 2003-2004) से सम्बन्धित राजकीय उपक्रम

(श्री मोहन लाल गुप्ता)

समिति, 2010-2011 के 35वें प्रतिवेदन में समाविष्ट सिफारिशों पर शासन द्वारा की गई कार्यवाही विषयक राजकीय उपक्रम समिति, 2016-2017 का 65वां प्रतिवेदन ;

2- राजस्थान राज्य गंगानगर शुगर मिल्स लिमिटेड (अंकेक्षण प्रतिवेदन (वाणिज्यिक) वर्ष 2005-2006) से सम्बन्धित राजकीय उपक्रम समिति, 2011-2012 के 62वें प्रतिवेदन में समाविष्ट सिफारिशों पर शासन द्वारा की गई कार्यवाही विषयक राजकीय उपक्रम समिति, 2016-2017 का परिपालनात्मक 66वां प्रतिवेदन ;

3- राजस्थान राज्य होटल्स निगम लिमिटेड (अंकेक्षण प्रतिवेदन) (वाणिज्यिक) वर्ष 2004-2005 से सम्बन्धित राजकीय उपक्रम समिति, 2011-2012 के 64वें प्रतिवेदन में समाविष्ट सिफारिशों पर शासन द्वारा की गई कार्यवाही विषयक राजकीय उपक्रम समिति, 2016-2017 का परिपालनात्मक 67वां प्रतिवेदन ;

4- राजस्थान राज्य बेवरेजेज निगम लिमिटेड (अंकेक्षण प्रतिवेदन) (वाणिज्यिक) वर्ष 2006-2007 से सम्बन्धित राजकीय उपक्रम समिति, 2011-2012 के 65वें प्रतिवेदन में समाविष्ट सिफारिशों पर शासन द्वारा की गई कार्यवाही विषयक राजकीय उपक्रम समिति, 2016-2017 का परिपालनात्मक 68वां प्रतिवेदन ;

5- राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं निवेश निगम लिमिटेड (अंकेक्षण प्रतिवेदन) (वाणिज्यिक) वर्ष 2007-2008 से सम्बन्धित राजकीय उपक्रम समिति, 2011-2012 के 73वें प्रतिवेदन में समाविष्ट सिफारिशों पर शासन द्वारा की गई कार्यवाही विषयक राजकीय उपक्रम समिति, 2016-2017 का परिपालनात्मक 69वां प्रतिवेदन ;

6- राजस्थान राज्य बीज निगम लिमिटेड (अंकेक्षण प्रतिवेदन) (वाणिज्यिक) वर्ष 1998-99 से सम्बन्धित राजकीय उपक्रम समिति, 2012-2013 के 94वें प्रतिवेदन में समाविष्ट सिफारिशों पर शासन द्वारा की गई कार्यवाही विषयक राजकीय उपक्रम समिति, 2016-2017 का परिपालनात्मक 70वां प्रतिवेदन ;

7- राजस्थान वित्त निगम (अंकेक्षण प्रतिवेदन) (वाणिज्यिक) वर्ष 1998-99 से सम्बन्धित राजकीय उपक्रम समिति, 2014-2015 के प्रथम

(श्री मोहन लाल गुप्ता)

प्रतिवेदन में समाविष्ट सिफारिशों पर शासन द्वारा की गई कार्यवाही विषयक राजकीय उपक्रम समिति, 2016-2017 का परिपालनात्मक 71वां प्रतिवेदन ;

8- राजस्थान राज्य खान एवं खनिज निगम लिमिटेड (अंकेक्षण प्रतिवेदन) (वाणिज्यिक) वर्ष 2000-2001 से सम्बन्धित राजकीय उपक्रम समिति, 2014-2015 के तीसरे प्रतिवेदन में समाविष्ट सिफारिशों पर शासन द्वारा की गई कार्यवाही विषयक राजकीय उपक्रम समिति, 2016-2017 का परिपालनात्मक 72वां प्रतिवेदन ;

9- राजस्थान राज्य बीज निगम लिमिटेड (अंकेक्षण प्रतिवेदन) (वाणिज्यिक) वर्ष 2009-10 से सम्बन्धित राजकीय उपक्रम समिति, 2015-2016 के 27वें प्रतिवेदन में समाविष्ट सिफारिशों पर शासन द्वारा की गई कार्यवाही विषयक राजकीय उपक्रम समिति, 2016-2017 का परिपालनात्मक 73वां प्रतिवेदन ;

श्री अध्यक्षः श्री ज्ञानदेव आहूजा।

प्राक्कलन समिति (क) (क्रम संख्या-4)

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से कार्य सूची में किए गए उल्लेख के अनुसार प्राक्कलन समिति (क), 2016-17 के चतुर्थ प्रतिवेदन का उपस्थापन करता हूं।

श्री अध्यक्षः श्री ज्ञानचन्द पारख।

अधीनस्थ विधान सम्बन्धी समिति (क्रम संख्या-3)

श्री ज्ञानचन्द पारख (पाली): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से कार्य सूची में किए गए उल्लेख के अनुसार अधीनस्थ विधान सम्बन्धी समिति 2016-17 के तृतीय प्रतिवेदन का उपस्थापन करता हूं।

श्री अध्यक्षः श्री गोपाल कृष्ण जी।

प्राक्कलन समिति (ख) (क्रम संख्या-4)

श्री गोपाल कृष्ण (बीकानेर पश्चिम): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से कार्य सूची में किए गए उल्लेख के अनुसार प्राक्कलन समिति (ख) 2016-17 के चतुर्थ प्रतिवेदन का उपस्थापन करता हूं।

श्री अध्यक्षः श्री लक्ष्मीनारायण बैरवा।

याचिका समिति (क्रम संख्या-6)

श्री लक्ष्मीनारायण बैरवा (चाकसू): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से कार्य सूची में किए गए उल्लेख के अनुसार याचिका समिति 2016-17 के छठे प्रतिवेदन का उपस्थापन करता हूं।

श्री अध्यक्ष: श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल।

अनुसूचित जाति कल्याण समिति (क्रम संख्या-2)

श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल (रामगंजमण्डी): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से कार्य सूची में किए गए उल्लेख के अनुसार अनुसूचित जाति कल्याण समिति 2016-17 के द्वितीय प्रतिवेदन का उपस्थापन करती हूं।

श्री अध्यक्ष: श्री नवनीत लाल।

अनुसूचित जनजाति कल्याण समिति (क्रम संख्या-2)

श्री नवनीत लाल (घाटोल): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से कार्य सूची में किए गए उल्लेख के अनुसार अनुसूचित जनजाति कल्याण समिति 2016-17 के द्वितीय प्रतिवेदन का उपस्थापन करता हूं।

श्री अध्यक्ष: वित्तीय कार्य। श्री राजपाल सिंह शेखावत।

अनुपूरक अनुदान की मांग

अनुपूरक अनुदान की मांग 2016-17 (प्रथम संकलन) का उपस्थापन

श्री राजपाल सिंह शेखावत (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से राजस्थान शासन के व्यय हेतु अनुपूरक अनुदान की मांगें 2016-2017 (प्रथम संकलन) का उपस्थापन करता हूं।

श्री अध्यक्ष: आगे बोलिए, विनियोग विधेयक संख्या-5 पेश कीजिए।

अतिरेक मांग

अतिरेक मांगों (वर्ष 2012-13 एवं 2013-14) का उपस्थापन

श्री राजपाल सिंह शेखावत (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से अतिरेक मांगें वर्ष 2012-13 एवं वर्ष 2013-14 का उपस्थापन करता हूं।

श्री अध्यक्ष: मैं मुख बंद का प्रयोग कर रहा हूं।

मुख बंद

अनुपूरक अनुदान की मांगों (वर्ष 2016-17) का पारण

मांग संख्या 3– सचिवालय

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 3-सचिवालय के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2017 को समाप्त होने वाले वर्ष में किए जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 1000/- (एक हजार) तक की राशि और प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या 8– राजस्व

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 8-राजस्व के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2017 को समाप्त होने वाले वर्ष में किए जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 11000/- (ग्यारह हजार) तक की राशि और प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या 16–पुलिस

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 16-पुलिस के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2017 को समाप्त होने वाले वर्ष में किए जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 9000/- (नौ हजार) तक की राशि और प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या 19-लोक निर्माण कार्य

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 19-लोक निर्माण कार्य के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2017 को समाप्त होने वाले वर्ष में किए जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 1000/- (एक हजार) तक की राशि और प्रदान की जाए?

(श्री अध्यक्ष)

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या 24-शिक्षा, कला एवं संस्कृति

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 24-शिक्षा, कला एवं संस्कृति के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2017 को समाप्त होने वाले वर्ष में किए जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 4,000/- (चार हजार) तक की राशि और प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या 27-पेयजल योजना

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 27-पेयजल योजना के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2017 को समाप्त होने वाले वर्ष में किए जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 4,000/- (चार हजार) तक की राशि और प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या 29—नगर आयोजना एवं प्रादेशिक विकास

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 29 नगर आयोजना एवं प्रादेशिक विकास के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2017 को समाप्त होने वाले वर्ष में किए जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 3000/- (तीन हजार) तक की राशि और प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या 30– जनजाति क्षेत्रीय विकास

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 30-जनजाति क्षेत्रीय विकास के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2017 को समाप्त होने वाले वर्ष में किए जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 10,000/- (दस हजार) तक की राशि और प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

(श्री अध्यक्ष)

मांग संख्या 33—सामाजिक सुरक्षा और कल्याण

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 33-सामाजिक सुरक्षा और कल्याण के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2017 को समाप्त होने वाले वर्ष में किए जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 2,000/- (दो हजार) तक की राशि और प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या 34—प्राकृतिक आपदाओं से राहत

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 34-प्राकृतिक आपदाओं से राहत के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2017 को समाप्त होने वाले वर्ष में किए जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 18,23,28,00,000/- (अठारह अरब तेईस करोड़ अट्ठाइस लाख) तक की राशि और प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या 35-विविध सामुदायिक एवं आर्थिक सेवाएं

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 35-विविध सामुदायिक एवं आर्थिक सेवाएं के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2017 को समाप्त होने वाले वर्ष में किए जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 2,000/- (दो हजार) तक की राशि और प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या 37—कृषि

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 37-कृषि के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2017 को समाप्त होने वाले वर्ष में किए जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 11,000/- (ग्यारह हजार) तक की राशि और प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

(श्री अध्यक्ष)

मांग संख्या 46–सिंचाई

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 46-सिंचाई के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2017 को समाप्त होने वाले वर्ष में किए जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 6,000/- (छह हजार) तक की राशि और प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

(14.00 बजे)

मांग संख्या 50–ग्रामीण रोजगार

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 50-ग्रामीण रोजगार के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2017 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 1,000/- (एक हजार) तक की राशि और प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या 51–अनुसूचित जाति के कल्याण हेतु विशिष्ट संघटक योजना

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 51-अनुसूचित जाति के कल्याण हेतु विशिष्ट संघटक योजना के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2017 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 6,000/- (छह हजार) तक की राशि और प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

अतिरेक मांग

अतिरेक अनुदान की मांग (वर्ष 2013-14) का पारण

मांग संख्या 41—सामुदायिक विकास अतिरेक अनुदान की मांग

प्रश्न यह है कि अतिरेक मांग संख्या-41 सामुदायिक विकास के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2014 को समाप्त हुए वर्ष में किये गये व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 80,70,191/- (अस्सी लाख सत्तर हजार एक सौ इक्यानवे) तक की राशि और प्रदान की जाए?

(श्री अध्यक्ष)

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

राजस्थान विनियोग (संख्या-5) विधेयक, 2016 का पुर:स्थापन, विचार एवं पारण। श्री राजपाल सिंह शेखावत।

विधायी कार्य: विधेयक का पुर:स्थापन

राजस्थान विनियोग (संख्या-5) विधेयक, 2016

श्री राजपाल सिंह शेखावत (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से राजस्थान विनियोग (संख्या-5) विधेयक, 2016 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करता हूं।

श्री अध्यक्ष: प्रश्न यह है कि राजस्थान विनियोग (संख्या-5) विधेयक, 2016 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

विधेयक को पुर:स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की गई।

प्रभारी मंत्री, विधेयक को पुर:स्थापित भी करेंगे।

श्री राजपाल सिंह शेखावत (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से राजस्थान विनियोग (संख्या-5) विधेयक, 2016 को पुर:स्थापित करता हूं।

श्री अध्यक्ष: प्रस्ताव भी कर दीजिये।

विधेयक पर विचार

श्री राजपाल सिंह शेखावत (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान विनियोग (संख्या-5) विधेयक, 2016 को विचारार्थ लिया जाए।

श्री अध्यक्ष: प्रश्न यह है कि राजस्थान विनियोग (संख्या-5) विधेयक, 2016 को विचारार्थ लिया जाए?

(स्वीकृत)

विधेयक विचारार्थ लिया गया।

खण्डश: विचार:

खण्ड- 2 एवं 3 - कोई संशोधन नहीं।

(श्री अध्यक्ष)

प्रश्न यह है कि खण्ड-2 एवं 3 स्वीकार किए जाएं?

(स्वीकृत)

खण्ड - 2 एवं 3 स्वीकार किये गये।

खण्ड - 1 अधिनियमन सूत्र, नाम आदि।

प्रश्न यह है कि खण्ड 1- अधिनियमन सूत्र, नाम आदि स्वीकार किया जाए?

(स्वीकृत)

खण्ड 1- अधिनियमन सूत्र, नाम आदि स्वीकार किया गया।

राजपाल सिंह जी, प्रस्ताव कीजिये।

विधेयक का पारण

श्री राजपाल सिंह शेखावत (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान विनियोग (संख्या-5) विधेयक, 2016 को पारित किया जाए।

श्री अध्यक्ष: प्रश्न यह है कि राजस्थान विनियोग (संख्या-5) विधेयक, 2016 को पारित किया जाए?

(स्वीकृत)

राजस्थान विनियोग (संख्या-5) विधेयक, 2016 पारित किया गया।

श्री राजपाल सिंह जी, प्रस्ताव कीजिये।

विधेयक का पुर:स्थापन

राजस्थान विनियोग (संख्या-3) विधेयक, 2016

श्री राजपाल सिंह शेखावत (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से राजस्थान विनियोग (संख्या-3) विधेयक, 2016 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करता हूं।

श्री अध्यक्ष: प्रश्न यह है कि राजस्थान विनियोग (संख्या-3) विधेयक, 2016 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

विधेयक को पुर:स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की गई।

श्री अध्यक्ष: पुर:स्थापित कीजिये।

श्री राजपाल सिंह शेखावत (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से राजस्थान विनियोग (संख्या-3) विधेयक, 2016 को पुर:स्थापित करता हूं।

श्री अध्यक्ष: प्रभारी मंत्री, विचारार्थ लेने का प्रस्ताव कीजिये।

विधेयक पर विचार

श्री राजपाल सिंह शेखावत (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान विनियोग (संख्या-3) विधेयक, 2016 को विचारार्थ लिया जाए।

श्री अध्यक्ष: प्रश्न यह है कि राजस्थान विनियोग (संख्या-3) विधेयक, 2016 को विचारार्थ लिया जाए?

(स्वीकृत)

विधेयक विचारार्थ लिया गया।

खण्डश: विचार।

खण्ड 2 - कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि खण्ड - 2 स्वीकार किया जाए?

(स्वीकृत)

खण्ड - 2 स्वीकार किया गया।

खण्ड 1 - अधिनियमन सूत्र, नाम आदि - कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि खण्ड 1 - अधिनियमन सूत्र, नाम आदि स्वीकार किया जाए?

(स्वीकृत)

खण्ड 1 - अधिनियमन सूत्र, नाम आदि स्वीकार किया गया।

श्री राजपाल सिंह जी, प्रस्ताव कीजिये।

विधेयक का पारण

श्री राजपाल सिंह शेखावत (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान विनियोग (संख्या-3) विधेयक, 2016 को पारित किया जाए।

श्री अध्यक्ष: प्रश्न यह है कि राजस्थान विनियोग (संख्या-3) विधेयक, 2016 को पारित किया जाए?

(स्वीकृत)

राजस्थान विनियोग (संख्या-3) विधेयक, 2016 पारित किया गया।

श्री राजपाल सिंह जी, पुर:स्थापन का प्रस्ताव कीजिये।

विधेयक का पुर:स्थापन

राजस्थान विनियोग (संख्या-4) विधेयक, 2016

श्री राजपाल सिंह शेखावत (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से राजस्थान विनियोग (संख्या-4) विधेयक, 2016 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करता हूं।

श्री अध्यक्ष: प्रश्न यह है कि राजस्थान विनियोग (संख्या-4) विधेयक, 2016 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

विधेयक को पुर:स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की गई।

श्री अध्यक्ष: पुर:स्थापित कीजिये।

श्री राजपाल सिंह शेखावत (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से राजस्थान विनियोग (संख्या-4) विधेयक, 2016 को पुर:स्थापित करता हूं।

श्री अध्यक्ष: प्रभारी मंत्री, विचारार्थ लेने का प्रस्ताव कीजिये।

विधेयक पर विचार

श्री राजपाल सिंह शेखावत (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान विनियोग (संख्या-4) विधेयक, 2016 को विचारार्थ लिया जाए।

श्री अध्यक्ष: प्रश्न यह है कि राजस्थान विनियोग (संख्या-4) विधेयक, 2016 को विचारार्थ लिया जाए?

(स्वीकृत)

विधेयक विचारार्थ लिया गया।

खण्डश: विचार।

खण्ड 2 - कोई संशोधन नहीं।

(श्री अध्यक्ष)

प्रश्न यह है कि खण्ड - 2 स्वीकार किया जाए?

(स्वीकृत)

खण्ड - 2 स्वीकार किया गया।

खण्ड 1 - अधिनियमन सूत्र, नाम आदि - कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि खण्ड 1-अधिनियमन सूत्र, नाम आदि स्वीकार किया जाए?

(स्वीकृत)

खण्ड 1 - अधिनियमन सूत्र, नाम आदि स्वीकार किया गया।

प्रभारी मंत्री, पारण के लिए प्रस्ताव करेंगे।

विधेयक का पारण

श्री राजपाल सिंह शेखावत (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान विनियोग (संख्या-4) विधेयक, 2016 को पारित किया जाए।

श्री अध्यक्ष: प्रश्न यह है कि राजस्थान विनियोग (संख्या-4) विधेयक, 2016 को पारित किया जाए?

(स्वीकृत)

राजस्थान विनियोग (संख्या-4) विधेयक, 2016 पारित किया गया।

देखिये अब एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है। आप कहें तो मैं 15 मिनट के लिए हाउस एडजोर्न करके इस पर आप सबकी गर्मा-गर्मी कम कर दूं? बड़ा इम्पोर्टेंट विषय है। संशोधन विधेयक है इसमें आपकी पार्टी भी सहमत थी, हमारी पार्टी भी सहमत थी और लोक सभा में निर्विरोध यह संकल्प पास हुआ है इसलिए मेरा निवेदन है कि आप सब अपनी कुर्सियों पर चले जाएं और इस पर बहस चालू करें।

(प्रतिपक्ष के अनेक माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में लगातार नारे)

नहीं। इस पर होगी।

मैं 15 मिनट के लिए हाउस को स्थगित करता हूं और उसके बाद आप सब अच्छे बोलने वाले, इस विषय पर जो भी बोलना चाहें उनसे निवेदन करूंगा कि वे अपना नाम दे दें। पन्द्रह मिनट के लिए स्थगित करता हूं।

(तदनन्तर सदन की बैठक 14.09 बजे 14.24 बजे तक के लिए स्थगित हुई)

(14.24 बजे)

पुनः समवेत होने पर

(श्री कैलाश चन्द्र मेघवाल, अध्यक्ष, पदासीन)

शासकीय संकल्प

संविधान (122वां संशोधन) विधेयक, 2014 का अनुसमर्थन

श्री अध्यक्ष: नमस्कार, नमस्कार। अब आज का सबसे महत्वपूर्ण विषय जिसके लिये यह सदन बुलाया गया था, ऐसे प्रश्न को हम रख रहे हैं। संविधान संशोधन के अनुसमर्थन हेतु संकल्प, श्री राजपाल सिंह शेखावत।

श्री राजपाल सिंह शेखावत (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से निम्नांकित संकल्प प्रस्तुत करता हूं। (व्यवधान)

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष): अध्यक्ष महोदय, जीएसटी बिल हम पास करवाना चाह रहे हैं ...(व्यवधान) गांव व करप्शन पर चर्चा हो, हम यह चाह रहे हैं ...(व्यवधान) आज हम बोल नहीं सकते। आज हम बोल नहीं सकते माननीय अध्यक्ष महोदय, ...(व्यवधान) जीएसटी को पास करवाने में हम भी हैं।

श्री राजपाल सिंह शेखावत (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): अध्यक्ष महोदय, 'यह सदन भारत के संविधान के अनुच्छेद 368 के खण्ड (2) के परन्तुक के खण्ड (ख) और (ग) की परिधि के अन्तर्गत आने वाले संशोधन का, जो संसद के दोनों सदनों द्वारा यथा पारित संविधान (एक सौ बाइसवां संशोधन) विधेयक, 2014 द्वारा पारित किया जाना प्रस्तावित है, अनुसमर्थन करता है।'

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष): ...(व्यवधान) जीएसटी में हमारी सहमति है ...(व्यवधान)

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): ...(व्यवधान) पीएचडी मंत्री को बुलाओ 2600 करोड़ रुपये खाकर कहां भाग रहे हैं। (व्यवधान)

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष): ...(व्यवधान) जीएसटी बिल से पहले गाय पर और करप्शन पर चर्चा करानी चाहिये। (व्यवधान) सरकार चर्चा नहीं करवा रही है।

श्री अध्यक्ष: श्री मदन राठौड।

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष): अध्यक्ष महोदय, हम आपका संरक्षण चाहते हैं कि जीएसटी बिल पास होने से पहले गाय और करप्शन पर चर्चा हो, कानून व्यवस्था पर चर्चा हो।

श्री राजपाल सिंह शेखावत (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): ''Resolution''...

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): अध्यक्ष महोदय, जो माननीय सदस्य गर्मियों में जाकेट पहनता है उसकी हम नहीं सुनेंगे।

श्री राजपाल सिंह शेखावत (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): ''That this House ratifies the amendment to the Constitution of India falling within the purview of clauses (b) and (c) of the proviso to clause (2) of article 368, proposed to be made by the Constitution (One Hundred and Twenty-second Amendment) Bill, 2014, as passed by both the Houses of Parliament.''

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, इतने बड़े घोटाले हैं, गौ माता की हत्याएं हो रही हैं, छात्र बेरोजगार हैं, विद्यार्थी मित्रों को नौकरी नहीं मिल रही है, बिजली नहीं है ...(व्यवधान)

श्री मदन राठौड़ (उप मुख्य सचेतक): ...(व्यवधान) माननीय अध्यक्ष महोदय, हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ है हिन्दुस्तान में ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: ...(व्यवधान) इतने महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा कर रहे हैं ...(व्यवधान) इसलिए संविधान संशोधन के बारे में जो बोला जायेगा वही नोट किया जायेगा इसके अलावा एक शब्द भी नोट नहीं किया जाये।

श्री मदन राठौड़ (उप मुख्य सचेतक): ...(व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन कर रहा था ...(व्यवधान)

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): ×××

श्री मदन राठौड़ (उप मुख्य सचेतक): ...(व्यवधान) पारित करके राज्यसभा में भेजा, राज्यसभा में भी वह पारित हुआ और उसके बाद अब विभिन्न विधान सभाओं में यह पारित होना है। कई विधान सभाओं ने यह पारित किया, आज हमें भी सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि हम भी इस बिल का यहां पर समर्थन करके ...(व्यवधान) अपने विचार रखकर इसका समर्थन ...(व्यवधान)

श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर): ×××

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): ×××

श्री मदन राठौड़ (उप मुख्य सचेतक): ...(व्यवधान) हिन्दुस्तान की संसद को हम भेजेंगे ...(व्यवधान) यह संकल्प जो माननीय राजपाल सिंह जी ने प्रस्तुत किया इसके समर्थन में मैं भी अपनी बात रखना चाहूंगा।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): ×××

श्री मदन राठौड़ (उप मुख्य सचेतक): अध्यक्ष महोदय, हिन्दुस्तान में कई ऐसे टैक्सेज हैं जिसका एक बहुत बड़ा मकड़ जाल है और उस मकड़ जाल को समझने की जरूरत है। इसको सुधारने के लिये कई बार प्रयत्न हुए। जैसे बोर्ड केटेगिरी के टैक्सेशन है जिसमें सी.बी.डी.टी., सेंट्रल बोर्ड आफ डाइरेक्ट टैक्सेस, सेंट्रल बोर्ड आफ एक्साइज एण्ड कस्टम, टीडीएस, टैक्स डिटेक्टेड एट सोर्स, वैट टैक्स, सेल्वेट, सेंट्रल वेल्यू एडेड टैक्स, सीएसटी, यह सारे बोर्ड कैटेगिरी के केन्द्र के टैक्सेस हैं। ठीक इसी प्रकार से कस्टम ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी, सर्विस टैक्स और यही नहीं स्टेट गवर्नमेंट जिनसे अर्न करती है वह सैल्स टैक्स है, एंटरटेनमेंट टैक्स है, टोल टैक्स है, प्रोफेशनल टैक्स है, एजुकेशन सैस है, सैकण्डरी और हायर सैकण्डरी एजुकेशन सैस है, इस प्रकार के टैक्सेज हैं। यही नहीं जो कमिशनर प्रणाली के टैक्स हैं उनके बारे में भी अध्यक्ष महोदय, मैं बताना चाहूंगा वैल्यू एडेड टैक्सेशन है, एंट्री टैक्स है, एंटरटेनमेंट टैक्स, इलैक्ट्रिसिटी ड्यूटी, लग्जरी टैक्स, आक्ट्राय, लोकल ड्यूटी टैक्स, प्रोपर्टी टैक्स, लैण्ड टैक्स, बिल्डिंग टैक्स, एडवरटाइजमेंट टैक्स, व्हीकल टैक्स, रोड टैक्स, एनिमल एण्ड बोट्स टैक्स, काम्पीटिशन टैक्स, स्टैम्प ड्यूटी, हाउस टैक्स, इस प्रकार के कई टैक्सेस का मकड़ जाल है, इस मकड़ जाल को मिटाने के लिये उपभोक्ताओं पर अतिरिक्त भार नहीं पडे, टैक्स पर टैक्स लगता जाये इससे मुक्ति पाने के लिये 1976 में सबसे पहले प्रयास हुआ था। उस समय एल.के. झा ने यह प्रयास किया था कि इस प्रकार के मकड़ जाल को समाप्त करके एक यूनिफार्म टैक्स लगाया जाना चाहिये लेकिन वह बात आगे नहीं चली। अध्यक्ष महोदय, मैं बताना चाहूंगा कि जब एनडीए का शासन था तब एनडीए के शासन में भी इस प्रकार की टास्क फोर्स बनाई थी और उस टास्क फोर्स ने भी इसमें कुछ कदम आगे बढ़ाये। उन्होंने भी यह प्रयास किया कि किस प्रकार से इन टैक्सेस को समाप्त करके एक टैक्स लगा दिया जाये जिससे कि उपभोक्ताओं को राहत मिल सके। अध्यक्ष महोदय, मैं बताना चाहूंगा 2003 में जब इनकी सरकार थी तब डाक्टर केलकर एक समिति बनी

(श्री मदन राठौड़)

थी। उस केलकर समिति ने भी रिपोर्ट दी लेकिन उस रिपोर्ट में बहुत बड़ी कमियां थीं। वह यह तय नहीं कर पाये कि जो मैन्युफेक्चरिंग स्टेट हैं उनको किस प्रकार से राहत मिलेगी।

(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा सदन में लगातार नारे)

कांग्रेस यह नहीं तय कर पाई कि जो काउंसिल बनेगी वह काउंसिल किस प्रकार से बनेगी? ये लोग तय नहीं कर पाए और इस कारण से इनका यह मामला ठंडे बस्ते में रहता गया।

अध्यक्ष महोदय, मैं बताना चाहूंगा एक तत्कालीन सांसद ने एक एम्पावर्ड कमेटी बनाई थी, जिसने 2009 में रिपोर्ट पेश की। ये उसको लेकर बैठे रहे। ये सर्वसम्मत राय नहीं बना पाए। जो उसमें कमियां थीं, उन कमियों को मिटाने की दिशा में इन्होंने कोई पहल नहीं की। किसी भी प्रकार का प्रयास नहीं किया। अध्यक्ष महोदय, मैं बताना चाहूंगा कि जब 2011 के बजट को इन्होंने संसद में पेश किया, दिल्ली में कांग्रेस की सरकार का शासन था। लेकिन ये राज्य और केन्द्र के विवाद को तय नहीं कर पाए कि किस प्रकार से सलटाया जाएगा। एक कंसेंस बनाएंगे। लेकिन इसमें कितना परसेंट बनाएंगे, यह इन्होंने तय नहीं किया। क्या 51 परसेंट पर कंसेंस थैंक्स बनाएगी या 75 परसेंट पर बनाएंगे। टू थर्ड या वन थर्ड, किस प्रकार से बनाएंगे? यह तय नहीं कर पाए।

अध्यक्ष महोदय, मुझे इस बात की खुशी है। (व्यवधान) देखिए, आप तो बोलिए मत। आप लोगों की सरकार जब 2014 में चली गई। इनकी सरकार जब चली गई तो वह अपने आप लैप्स हो गया। उनका बिल लैप्स हो गया, लेकिन जब नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बने। उन्होंने इस समस्या को समझा। उन्होंने यह प्रयास किया कि इस प्रकार का कोई यूनिफार्म टैक्स बनना चाहिए। टैक्स पर टैक्स नहीं लगे और उपभोक्ताओं को राहत मिले।

अध्यक्ष महोदय, मैं बताना चाहूंगा कि नरेंद्र भाई मोदी ने ये सारे संशोधन किए। अब मैं आपके सामने यह भी रखना चाहूंगा कि काउंसिल की किस प्रकार से स्थापना होगी? उसका भी उन्होंने निर्णय लिया कि हिन्दुस्तान सरकार का जो वित्त मंत्री है, वह उस काउंसिल का चेयरमैन रहेगा और वित्त राज्य मंत्री उसका सदस्य रहेगा। बाकी जितने भी स्टेट्स हैं, इनके जो फाइनेंस मिनिस्टर, कराधान मंत्री या जो भी सरकार नियुक्त करके भेजेगी, वो उसके

(श्री मदन राठौड़)

सदस्य रहेंगे। यही नहीं, उपाध्यक्ष कौन रहेगा? जो स्टेट्स से फाइनेंस मिनिस्टर आने वाले हैं, उनमें से एक उपाध्यक्ष तय होने वाला है। वो उसका उपाध्यक्ष रहेगा। इस प्रकार की व्यवस्था करके, एक काउंसिल की स्थापना करके यह दे दिया कि किस प्रकार से हम.. जो समस्या का समाधान कांग्रेस पार्टी नहीं कर पाई, उसका समाधान हमने किया और इस प्रकार से करके सबके सामने रख दिया।

अध्यक्ष महोदय, एक और बात थी कि कन्सेंसस बनाना चाहते थे। उसकी भी व्यवस्था की कि जो मेन्युफैक्चरिंग स्टेट्स हैं, कई बार ऐसे राज्यों ने विरोध किया कि हम मेन्युफैक्चरिंग स्टेट्स हैं, हमारा जो लाभ है, हम बनाते हैं, हमारे यहां पर उद्योग चल रहे हैं, हमारे उद्योगों से जो टैक्स प्राप्त होता है, उससे हिन्दुस्तान सरकार को लाभ मिलता है। हमको क्या लाभ मिलेगा? जब इस प्रकार की समस्या आई तो उसका समाधान कांग्रेस नहीं कर पाई। यह नरेंद्र भाई मोदी ने किया और उन्होंने क्या किया कि तीन वर्ष में उनको पूरा रिअम्बर्स करेंगे। पूरा लाभ देंगे और बाद के दो वर्षों में शनैः शनैः थोड़ा-थोड़ा करके उनको इस प्रकार से लाभान्वित किया जाएगा। जो मेन्युफैक्चरिंग स्टेट्स हैं, उनको इस प्रकार से लाभान्वित करने की यह योजना बनी।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे एक निवेदन करना चाहूंगा कि जो सलेक्ट कमेटी थी, उस सलेक्ट कमेटी ने भी कुछ संशोधन दिए। जैसे 246-ए, जिसमें राज्यों के टैक्स के अधिकार को केन्द्र के साथ जोड़ा, 269-ए आईजीएसटी का प्रावधान किया, इंट्रीग्रेटेड टैक्स का प्रावधान किया और 279-ए में एक जीएसटी काउंसिल का निर्माण किया। अध्यक्ष महोदय, इस प्रकार की जो व्यवस्था की, मैं सोचता हूं कि यह अनुकरणीय व्यवस्था थी। इसकी सर्वत्र प्रशंसा होनी चाहिए। यही नहीं, अधिकार और कर्तव्यों का भी निर्णय किया कि इस काउंसिल के क्या अधिकार रहेंगे? देश की टैक्स दरों के बारे में क्या अधिकार रहेंगे ? यह भी तय किया गया। टैक्स संग्रहण किस प्रकार से किया जाएगा? अध्यक्ष महोदय, निश्चित रूप से भ्रष्टाचार मिटेगा क्योंकि हर व्यक्ति को..। कम्प्यूटर में यह सारा इन्द्राज होगा। जब कम्प्यूटर में इन्द्राज होगा तो किसी भी प्रकार से भ्रष्टाचार करने का किसी को अवसर नहीं मिलने वाला है। यही नहीं, इंस्पेक्टर राज से भी इसमें मुक्ति मिलेगी।

(श्री मदन राठौड़)

अध्यक्ष महोदय, मैं आपको बताना चाहूंगा कि कन्ज्यूमर सामग्री में से लगभग 54 प्रतिशत टैक्स फ्री है जिस पर टैक्स नहीं है या कम टैक्स है। इस प्रकार की व्यवस्था इसमें है। कुछ हैं जिन पर 12 या 13 प्रतिशत है, अधिक टैक्स लगेगा यही नहीं, यह कभी भी संभव नहीं है कि बी.एम.डब्ल्यू. कार और हवाई चप्पल पर एक-सा टैक्स लगे। यह ठीक बात नहीं है। इसकी व्यवस्था केन्द्र सरकार ने की।

अध्यक्ष महोदय, टैक्स कलेक्शन का एक तरीका है। फूल से भंवरा जैसे मधु लेता है, लेकिन उस फूल की तासीर में कोई अंतर नहीं आता। उसकी वो खूशबू और उसका खिलता हुआ चेहरा जिंदा रहता है। टैक्स कलेक्शन, जिस प्रकार से भंवरा मधु ले लेता है। ठीक इसी प्रकार से उपभोक्ताओं को भी भार नहीं पड़े। यह व्यवस्था इसमें सुनिश्चित की गई है कि उपभोक्ताओं पर किसी प्रकार का भार नहीं पड़े और टैक्स भी वसूल हो जाए। किसानों को राहत मिलने वाली है। अध्यक्ष महोदय, किसान जो खाद्य सामग्री उत्पादित करता है, वह फ्री है। इसलिए इसमें कोई तकलीफ आने वाली बात नहीं है। चाणक्य ने भी एक बात कही थी।

अध्यक्ष महोदय, यही नहीं, इससे निश्चित रूप से निवेश आकर्षित होंगे। जब एक प्रकार का टैक्स लगेगा तो निवेश आकर्षित होंगे। हिन्दुस्तान के प्रधानमंत्री ने कहा-"Come in India, Make in India" उसको प्रोत्साहन मिलने वाला है। हमारी राजस्थान की श्रद्धेय मुख्यमंत्री जी ने भी 'रिसर्जेंट राजस्थान' किया और निश्चित रूप से उसमें भी लाभ मिलने वाला है। यहां पर निवेशक आएंगे, यहां निवेश करेंगे। मैं तो आपको यह बताना चाहूंगा कि सबसे अधिक लाभ राजस्थान को होने वाला है। अध्यक्ष महोदय, इसका एक बहुत बड़ा कारण है कि फ्रैट कारिडोर जो सात सौ किलोमीटर राजस्थान की सीमा में से निकल रहा है। जब राजस्थान की सीमा में से सात सौ किलोमीटर फ्रैट कारिडोर निकलेगा। उसके आस-पास की भूमि को हमने उद्योगों के लिए पहले ही आरक्षित किया है। वहां उद्योग लगेंगे। परिवहन भार 30 प्रतिशत कम होगा। जब परिवहन भार 30 प्रतिशत कम होगा तो निश्चित रूप से राजस्थान का उद्योग पनपेगा। राजस्थान का उत्पादन और क्षेत्रों में हम भिजवा सकेंगे और कम समय में हम वहां पर माल पहुंचा सकेंगे। निश्चित रूप से उसका लाभ मिलेगा। यहां का उद्योग पनपेगा, यहां का किसान खुशहाल होगा, यहां का

(श्री मदन राठौड़)

उपभोक्ता लाभान्वित होगा। इस प्रकार की व्यवस्था की है। इसका निश्चित रूप से पूरा लाभ हमको मिलने लगेगा।

अध्यक्ष महोदय, दुनिया के 144 देशों ने जीएसटी को स्वीकार किया है। 144 देश जीएसटी को मानने लगे हैं। इसको उन्होंने स्वीकार कर लिया और हिन्दुस्तान भी अब स्वीकार करेगा तो इसका लाभ निश्चित रूप से मिलने वाला है।

अध्यक्ष महोदय, मैं एक बात आपके सामने रखना चाहूंगा कि हर प्रांत को कुछ-न-कुछ खरीदना पड़ता है। हर प्रात को कुछ-न-कुछ बेचना भी पड़ता है। कोई प्रांत खरीदता है, दूसरा प्रांत उसको बेचता है तो एक प्रकार का जब टैक्स होगा तो बीच में बिचौलिया नहीं रहेंगे तो निश्चित रूप से उसका लाभ उपभोक्ता को मिलने लगेगा।

अध्यक्ष महोदय, 'Goods and Services Tax' इसको नरेंद्र भाई मोदी ने कहा है कि - ''Great Step by Team India.'' नरेंद्र भाई मोदी ने यह भी कहा है - ''Great Step towards Transmission & Great Step towards Transparency.'' यह ट्रांसपैरेंसी भी रहेगी। इस प्रकार की जो बात कही है, निश्चित रूप से उसका लाभ मिलने लगेगा। अध्यक्ष महोदय, अल्टीमेटली मैं यह बात कहना चाहूंगा कि-''Consumer is King.'' कन्ज्यूमर मालिक है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: ये जैसा सीखे हैं। (व्यवधान) कांग्रेस के सदस्यों ने और कांग्रेस के नेतृत्व ने इनको निर्देश दिया है, वैसा ही यहां कर रहे हैं। इसका अपन क्या करें? (व्यवधान)

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष): ×××

श्री मदन राठौड़ (उप मुख्य सचेतक): अध्यक्ष महोदय, उपभोक्ता टैक्स का भुगतान करते हैं और इसमें यह है कि जीएसटी में जो मेन्युफैक्चरर है, वह क्लेम बैंक करेगा। होलसेलर है, वो भी क्लेम करेगा। (व्यवधान)

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष): ××× (व्यवधान)

श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर): ×××

श्री अध्यक्ष: इधर से एक भी शब्द अंकित नहीं होगा। सारी मर्यादाएं भंग कर दीं। लोकतांत्रिक व्यवस्था... मेरा ऐसा खयाल है कि दिल्ली से इनको यही सिखाया है। यही इंस्ट्रक्शन आया है कि चलने मत दो। यह मत करने दो। यह इनकी हालत है। इसलिए आप बोलिए। चालू रखिए। एक शब्द जो है,

(श्री अध्यक्ष)

वो भी नहीं लिखा जाएगा। इधर का अंकित नहीं होगा। प्रतिपक्ष के नेता का भी अंकित नहीं होगा। जो होगा वो इधर से ही अंकित होगा। यह अनुशासनहीनता है। अनुशासनहीनता को मैं प्रोत्साहन नहीं दे सकता।

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष): ×××

श्री मदन राठौड़ (उप मुख्य सचेतक): अध्यक्ष महोदय, मैं एक दृष्टांत देना चाहता था। जिस प्रकार से मैन्युफैक्चरर टैक्स पे करता है तो वह वापिस लेगा। वह क्लेम-बैंक जीएसटी करेगा। इसी प्रकार होलसेलर है, वो क्लेम-बैंक जीएसटी करेगा। इसी प्रकार से रिटेलर है, वह भी वो भी क्लेम-बैंक जीएसटी करेगा और जो उपभोक्ता है, उसने वह टैक्स पे किया है। (व्यवधान) मैं अब एक दृष्टांत देना चाहता हूं, एक उदाहरण देना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष: अब आप स्थान ग्रहण कीजिए, मैं दूसरा नाम पुकारूं। (व्यवधान) बहुत समय ले लिया। श्री जोगाराम पटेल।

(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारे)

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं कि आपने मुझे G.S.T. पर अपना मत रखने का अवसर दिया। माननीय अध्यक्ष महोदय, भारत और भारत सहित 150 देशों में विभिन्न तरह के कर संग्रहण के कानून पास हुए लेकिन कर संग्रहण का जो एक ऐतिहासिक कानून बनने जा रहा है जो कर वसूली का एक ऐतिहासिक कानून है, अनेक वर्षों से, करीब 12 वर्षों से पार्लियामेंट के पास लम्बित था, पहली बार हमारे पास आया है। (व्यवधान) हम सबको मिलकर इस पर संयुक्त रूप से विचार विमर्श करना चाहिए। एक संदेश हिन्दुस्तान की जनता को देना चाहिए। इस मामले में हम सब सहमत है। मननीय अध्यक्ष महोदय, लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि प्रतिपक्ष के साथियों में न तो एकता है और ना नेतृत्व है और ना इनके पास कोई मुद्दा है। कुछ कहने के लिए नहीं है इसलिए हो-हल्ला कर रहे हैं। (व्यवधान)

मैं अपनी बात शुरू करूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, यह जो जीएसटी है, यानी Goods and service Tax को एक संचित रूप में G.S.T. कहते हैं।

श्री अध्यक्ष: आप बड़े आदमी हो ...(व्यवधान) उधर बैठो, उधर बैठो। यहां मत बैठो, वहां बैठो...(व्यवधान) आप बड़े आदमी हो, उधर बैठो।

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): जीएसटी एक अप्रत्यक्ष कर प्रणाली है, जो कि वस्तुओं एवं सेवाओं की आपूर्ति पर एक समान रूप से लागू किया जाएगा। जीएसटी लागू होने के बाद पूरे देश में एकीकृत एक कर प्रणाली स्थापित हो जाएगी। (व्यवधान) इस प्रणाली के प्रभाव से सभी स्तरों पर चुकाए गए कर की इनपुट क्रेडिट प्राप्त होगी, जिससे बहुत सी वस्तुओं एवं सेवाओं के मूल्य में कमी होने की संभावना है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, तीन स्तर कर प्रणाली वसूली के होंगे। सीजीएसटी यानी सेंट्रल जीएसटी, जिसे केन्द्र सरकार वसूल करेगी। एसजीएसटी यानी स्टेट जीएसटी, जिसे सभी राज्य सरकारें वसूल करेंगी। आईजीएसटी यानी इंटीग्रेटेड जीएसटी, अगर कोई कारोबार दो या दो से अधिक राज्यों के बीच में होगा उस पर यह टैक्स लगेगा, इसका केन्द्र सरकार वसूल कर राज्य में समान अनुपात में बांटेगी। (व्यवधान)

(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारे)

माननीय अध्यक्ष महोदय, इतना ही नहीं, हिन्दुस्तान और विभिन्न राज्यों में इसका एक ऐतिहासिक महत्व भी है। यह बिल 16 सालों से अटका हुआ था। (व्यवधान) 16 साल पहले वाजपेयी सरकार ने इसकी नींव रखी थी, पर अल्पमत में होने के कारण यह टलता रहा। 2009 में यूपीए की सरकार ने भी कोशिश की, पर अधिकांश राज्यों में गैर कांग्रेसी सरकार होने की वजह से वह भी नहीं हो पाया। सभी नुकसान की भरपाई पर अड़ी थी, अब केन्द्र व ज्यादातर राज्यों में भाजपा की बहुमत वाली सरकारें एक मत की बनी हैं और इसीलिए जीएसटी पहले लोकसभा में, फिर राज्यसभा में, संशोधनों के साथ राज्य सभा में स्वीकार हुआ है। (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष महोदय, आप देखें, 150 देशों में जीएसटी लागू है। कर प्रणाली लागू है। सब जगह टैक्स की अलग-अलग रेट है। अगर आप जापान में जाएंगे तो 5 परसेंट है, आप जर्मनी में जाएंगे तो 19 परसेंट है, स्वीडन में जाएंगे तो 25 परसेंट है, कनाडा में जाएंगे तो 5 परसेंट है, सिंगापुर में जाएंगे तो 7 परसेंट है, आप फ्रांस में जाएंगे तो 19.6 परसेंट है, आप आस्ट्रेलिया में जाएंगे तो 10 परसेंट है, आप पाकिस्तान में जाएंगे तो 18 परसेंट है। मलेशिया में अभी 2015 में लागू किया है, 2015 में लागू करने से उनकी महंगाई करीब दो या ढाई परसेंट बढ़ी है, यह स्वाभाविक होता है। कर प्रणाली में कई वस्तुओं पर टैक्स कम होता है, कई वस्तुओं पर टैक्स अधिक

(श्री जोगाराम पटेल)

होता है। (व्यवधान) माननीय अध्यक्ष महोदय, इस लिहाज से अगर आप जीएसटी को एग्जामिन करें, जीएसटी में जो प्रावधान किए, उसको एग्जामिन करें तो जीएसटी कानूनी मायने में सचमुच एक ऐतिहासिक कदम है। क्योंकि टैक्स हेतु अभी तक सबसे बड़ा संशोधन विधेयक है जिसमें संविधान के 12 अनुच्छेदों में, 12 आर्टिकल में अमेंडमेंट किया गया है। दो आर्टिकल में प्रोविजो बनाए गए हैं। इसके अलावा छठी और सातवीं शिड्यूल में भी बदलाव किए गए हैं, किन्तु जीएसटी कानून और नियमों का निर्माण होना अभी बाकी है। जो सबसे महत्वपूर्ण है अनुच्छेद 279 का, जीएसटी जो प्रोवीजन बनेगा, वह बाकी है, जिसकी तस्वीर साफ हुए बगैर इसके ऐतिहासिक बनाने में कई तरह की शंकाए व्यक्त की जा रही हैं। हालांकि वह शंकाएं निर्मूल है। (व्यवधान) अनुच्छेद 279 में हुए संशोधन के अनुसार जीएसटी कानूनों का निर्माण केन्द्र तथा सभी राज्यों के प्रतिनिधि वाली काउंसिल द्वारा किया जाएगा। राजनीति और स्थानीय हितों से प्रेरित राज्य आने वाले समय में देशहित से प्रेरित होंगे ऐसा हम सब अनुमान करते हैं और प्रार्थना भी करते हैं। (व्यवधान) सभी राज्यों से भी प्रार्थना करते हैं कि वह देश हित, में प्रेरित हो। यह कर प्रणाली, जो वसूली की कर प्रणाली है यह देश हित, राज्य हित और नगर पालिकाओं व सबके हित में हो, इसी आधार पर इसको लाया गया है। ...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष महोदय, अगर जीएसटी की मूल भावना में जाएंगे, इसके प्रोविजनों के अलावा, कांस्टीटयूशनल प्रोवीजन किए हैं उसकी मूल भावना में जाएंगे तो समान टैक्स व्यवस्था से राज्यों में टैक्स प्रशासन को सरल बनाया जाएगा। देश में एक साझा बाजार तब्दील हो जाएगा। इससे उत्पादन, कारोबार, सेवा क्षेत्र में सम्पूर्ण अर्थव्यवस्था का विकास होगा। अंग्रेजों ने भारत को समान नागरिक संहिता दी। अंग्रेजों ने आईपीसी समान कोड दिया।

श्री अध्यक्ष: अब आप समाप्त करें। (व्यवधान)

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): टाइम लिमिट है, पांच मिनिट और ... (व्यवधान) अंग्रेजों ने सीआरपीसी, फेमिन कोड दिया लेकिन हम इतने वर्षों के बावजूद भी एक समान टैक्स प्रणाली लागू नहीं कर पाए। अलग-अलग प्रदेशों में, अलग-अलग देशों में, अलग-अलग क्षेत्रों में, अलग-अलग टैक्स प्रणाली है। (व्यवधान) 70 साल के बाद भी समान नागरिक संहिता पर राजनीतिक

(श्री जोगाराम पटेल)

सहमति नहीं जुटा पाए। देशव्यापी जीएसटी आने का जद्दोजहद करने से पहले क्या राज्यों के भीतरी कर व्यवस्था को पारदर्शी और अनुशासित नहीं करना चाहिए था। मेरा निवेदन है कि करना चाहिए था। जिससे राज्यों के बीच एकीकरण में आसानी होती। जीएसटी केन्द्र व राज्यों में लागू 20 से अधिक, जिनका जिक्र अभी सुमेरपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने किया। करों की एवज में लाया जा रहा है। किन्तु नई व्यवस्था में कारोबारियों को तीन स्तरीय टैक्स प्रणाली से, जैसा मैंने कहा सेन्ट्रल का जीएसटी, स्टेट का जीएसटी और इंटीग्रेटेड जीएसटी लागू होगा।

माननीय अध्यक्ष महोदय, भारत में 55 फीसदी आबादी कृषि पर निर्भर है परन्तु जीडीपी का 15 प्रतिशत लाभ ही आज दिन तक मिल रहा है। इससे जीडीपी में जो लाभ मिलने वाला है उसका भी विकास होगा। जिससे खेती और अधिक रोजगार की संभावनाएं बढ़ेंगी। सरकार का विश्वास है कि जीएसटी के सुधारों से एकीकृत बाजार के माध्यम से 50 लाख मध्यम और छोटे उद्योगों का विकास होगा। जीडीपी में दो प्रतिशत से बढ़ोतरी और बड़े पैमाने पर रोजगार सृजन भी होगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, चूंकि समय की पाबंदी है, मैं अपना वक्तव्य इस समय के अन्दर देने का प्रयास करूंगा लेकिन जीएसटी से लोगों को जो फायदा होने वाला है वह मैं आपको गिना रहा हूं। संक्षिप्त में गिना रहा हूं।

श्री अध्यक्ष: बस वह गिना दीजिए।

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): माननीय अध्यक्ष महोदय, टैक्सों का जाल और रेट का डिफरेंस है वह कम हो जाएगा। अभी हम अलग-अलग सामान पर, अलग-अलग वस्तु पर 30 से 35 परसेंट तक टैक्स देते हैं। जीएसटी आने पर 17 या 18 प्रतिशत यह अभी काउंसिल में तय होगा, लेकिन 17 या 18 प्रतिशत तक टैक्स देंगे इससे विभिन्न प्रकार के लगने वाले टैक्स खतम हो जाएंगे, रेट कम हो जाएगी।

दूसरा, एक देश, एक टैक्स- सभी राज्यों में एक कीमत पर माल मिलेगा। सभी चीजें एक समान मिलेंगी। दो राज्यों में अलग-अलग दाम पर नहीं बिकेंगी, क्योंकि राज्य अपने हिसाब से टैक्स नहीं लगा पाएंगे। इससे टैक्स सिस्टम आसान हो जाएगा। कामन लॉ पोर्टल जीएसटी नेटवर्क पर जाना

(श्री जोगाराम पटेल)

होगा। इस पर सिर्फ एक बार रजिस्ट्रेशन कराना होगा। रजिस्ट्रेशन के लिए पैन नम्बर जरूरी है। पैन के आधार पर यूनिक आइडेंटिफिकेशन नम्बर दिया जाएगा। यही नम्बर टैक्स जमा कराने, रिटर्न भरने तक काम आएगा। सारे टैक्स एक ही जगह जमा होंगे, इसके लिए बैंक में चालान जमा कराना होगा और डिटेल इस पोर्टल पर डालनी होगी। टैक्स रिटर्न भरने के लिए इसी पोर्टल पर जाना होगा। टैक्स भरने में कोई दिक्कत ना आए इसके लिए बड़ी संख्या में निजी एजेंसियों को जीएसटी सुविधा प्रोवाइडर नियुक्त किया जा रहा है। केन्द्र सरकार व राज्यों के 20 से ज्यादा इन डायरेक्ट टैक्स में बदलाव लाया जा रहा है। जीएसटी के बाद एक्साइज डयूटी, सर्विस टैक्स, एडिशनल कस्टम ड्यूटी, स्पेशल एडिशनल ड्यूटी, कस्टम, वैट टैक्स, सेल्स टैक्स, सेंट्रल टैक्स, मनोरंजन कर, आक्ट्राय ड्यूटी, फलां फलां, जिनका जिक्र अभी मैं समय की वजह से नहीं कर पा रहा हूं। पूरा का पूरा उनसे छुटकारा मिल जाएगा। (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष महोदय, महंगाई बढ़ने की जो संभावना की जा रही है, कुछ महीनों या एक वर्ष के लिए थोड़ी बहुत ऊपर नीचे हो सकती है लेकिन सस्तीवाड़ा होगा। महंगाई नहीं बढ़ेगी। (व्यवधान) साथ ही यह जो रेट का डिफरेंस चल रहा है, सभी राज्यों का एक मत है कि 17 से 18 परसेंट के बीच में होना चाहिए। जीएसटी से ...(व्यवधान) हमारे जो एक्सपर्ट हैं, वित्त सचिव अशोक लवासा ने कहा है कि जीएसटी रेट तय करते समय महंगाई का ध्यान रखा जाएगा।

हालांकि 20 प्रतिशत टैक्स रखने पर भी महंगाई नहीं बढ़ेगी। राज्य 22 प्रतिशत रेट चाहते हैं ताकि उन्हें नुकसान न हो। मुख्य आर्थिक सलाहकार अरविन्द सुब्रहमण्यम ने भी कहा है कि 18 से 20 रखने पर भी महंगाई दर पर असर नहीं होगा, 22 पर मंहगाई बढ़ेगी और 27 किया गया तो जी.एस.टी. लाने का उद्देश्य विफल हो जायेगा। रेट एक प्रतिशत बढ़ाने का मतलब है कि पालना करने वाले इतने कम हो जाएंगे। इस तरह महंगाई बढ़ने का जो आरोप है, वह भी गलत है। आटो-मोबाइल इंडस्ट्री में एक समानता आ जाएगी। आटो-मोबाइल का मेन्युफैक्चरर चाहे कोई भी है, उसमें एक समानता आ जाएगी। अलग-अलग स्थानों पर 45 प्रतिशत, 12 प्रतिशत, 24 प्रतिशत, 30 प्रतिशत और इंजन की कैपेसिटी के अनुसार जो टैक्सेज लग रहे हैं, वह समाप्त हो जाएंगे।

(श्री जोगाराम पटेल)

(सदन में प्रतिपक्ष के अनेक माननीय सदस्यों द्वारा शोरगुल व नारे)

माननीय अध्यक्ष महोदय, हिन्दुस्तान की मीडिया ने ही नहीं, वर्ल्ड के मीडिया ने इसकी सराहना की है। वर्ल्ड की मीडिया ने जो सराहना की, वह मैं कोट करूंगा, जी.एस.टी. से महंगाई बढ़ेगी, लेकिन विदेशी निवेश बढ़ेगा, कैपिटल गुड्स सस्ते होंगे, मैन्युफैक्चरिंग निर्यात में इजाफा होगा, कर-संग्रहण भी बढ़ेगा, यह न्यूयार्क टाइम्स ने कहा है। जी.एस.टी. में दोहरे कर खतम होंगे, मौजूदा व्यवस्था में विसंगतियां भी दूर होंगी, राज्यों के बीच व्यापार की बाधाएं कम होंगी, सर्विसेज, कपड़े और कुछ अन्य चीजें महंगी छोटी-मोटी हो सकती हैं। वाल स्ट्रीट जर्नल ने भी यह बात कही है। माननीय अध्यक्ष महोदय, इतना ही नहीं, राज्य सरकारों को नुकसान की जगह फायदा होगा। इसकी पूरी तैयारी केन्द्र की सरकार ने की है। साठ हजार अफसरों को प्रशिक्षण दिया गया है। तीन दिन के अन्दर-अन्दर रजिस्ट्रेशन होगा। जी.एस.टी. लागू होने में कुछ सुविधाएं, कुछ असुविधाएं व चुनौतियां हैं, जैसे केन्द्र-राज्य के रेवेन्यू बेस और मुआवजे का आंकलन करना, जी.एस.टी. रेट का ढांचा न्यूनतम, अधिकतम, औसत तय करना, इसके दायरे के बाहर रखी जाने वाली चीजों की लिस्ट बनाना। माडल जी.एस.टी. कानून पर आम राय बनाना। न्यूनतम कितने बिजनस पर टैक्स लगेगा, यह तय करना। कम्पाउंडिंग की सीमा तय करना, दोहरे नियंत्रण से बचने की व्यवस्था तय करना। इससे भी अधिक बढ़ करके राज्य सरकारें भी तय हैं, तीस दिन में कम से कम 16 राज्यों ने मंजूरी दी है। तीस दिन में 16 राज्यों ने मंजूरी दी तो यह मानकर चलना चाहिए कि यह कानून कहीं न कहीं हमारे हित में है, कंज़्मर के हित में है, जनता के हित में है, देश के हित में है। जी.एस.टी. काउंसिल बनने, माडल कानूनों की सिफारिशें होंगी। सी.जी.एस.टी., आई.जी.एस.टी. में केबिनेट की स्वीकृति मिलेगी, शीत सत्र में तय होगी, और इन सब बातों के आधार पर माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन कर सकता हूं।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

सिर्फ एक मिनट, ओनली दो मिनट।

माननीय अध्यक्ष महोदय, कौटिल्य ने कहा है। कौटिल्य की बात को याद रखना पड़ेगा। प्रजा के सुख में राजा का सुख है, प्रजा के हित में उसका ही हित है, राजा का अपना प्रिय स्वार्थ उसका कुछ नहीं होता है, जो प्रजा का प्रिय है, वह राजा का प्रिय है। यह बात इनको समझ में नहीं आएगी, माननीय

(श्री जोगाराम पटेल)

अध्यक्ष महोदय। मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि आदरणीय नरेन्द्र मोदीजी ने अपने वक्तव्य में कहा है। उन्होंने जो पार्लियामेंट में स्पीच दी है, उसमें उन्होंने कहा है, और मल्लिकार्जुन खड़गे, जो कांग्रेस के लीडर हैं, उन्होंने भी कहा है, अगर आप उनके वक्तव्यों को देख लें, उनको नोट कर लें, एक मिनट के लिये, आदरणीय नरेन्द्र मोदीजी ने कहा है, आज 8 अगस्त है, अगस्त क्रांति का बिगुल 8 अगस्त को ही बजा था। महात्मा गांधी ने 'भारत छोड़ो' मंत्र को देश की आजादी के पूर्व एक बहुत ही तीव्रता के साथ आन्दोलन किया था और 9 अगस्त, आजादी के दीवानों पर बहुत सारे जुल्म ढाये गये थे। आज 8 अगस्त को उन सभी आजादी के दीवानों को स्मरण करते हुए 75 साल हो गये हैं। आज 8 अगस्त को टैक्स चोरी की मुक्ति की दिशा में हमारे सदन की बहुत बड़ी भूमिका है। (व्यवधान) आपने मुझे अवसर दिया, इसके लिये बहुत-बहुत आभार। जय हिन्द, जय भारत।

श्री अध्यक्ष: श्री मानिक चन्द सुराना। (व्यवधान) श्री मानिक चन्द सुराना, आप बोलेंगे? आपने नाम भेजा है अपना। (व्यवधान) नाम नहीं भेजा है, एक भी, एक भी नाम नहीं है। मानिकजी, बोलेंगे? श्री फूलचन्द भिण्डा।

(प्रतिपक्ष के अनेक माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारे)

डा. फूलचन्द भिण्डा (विराटनगर): माननीय अध्यक्षजी, आज राजस्थान विधान सभा का ऐतिहासिक दिन है, हमें सौभाग्य प्राप्त हो रहा है कि भारत के आर्थिक विकास का टर्निंग पाइण्ट है, जिसको भारत सरकार ने लोक सभा और राज्य सभा में पास किया है। यह सौभाग्य भाजपा सरकारों को ही मिला है कि इसका बीजारोपण हुआ था, केलकर कमेटी बनी थी, माननीय अटल बिहारी वाजपेयीजी ने 'एक देश, एक निशान, एक विधान और एक कराधान', इस बात का उद्घोष किया था। लेकिन कांग्रेस की कुचालों के कारण से उसको लागू नहीं कर पाये। डाल्टन नाम के एक अर्थशास्त्री हुए हैं, जिन्होंने करारोपण के बारे में कहा है कि वह टैक्स प्रणाली सबसे बढ़िया है, जिसमें मेक्जीमम एडवांटेज और मिनिमम सेक्रीफाइस हो। वही प्रणाली आज लागू हो रही है। उसमें हम शरीक होने जा रहे हैं। यह हमारा सौभाग्य है। मैं आपके माध्यम से सदन से भी निवेदन करना चाहता हूं। आज इस रूप में ऐतिहासिक दिन है कि इस देश में जो कृत्रिमता के आधार पर लोगों ने देश को लूटा है, मल्टी टैक्स के माध्यम से लूटा है, इण्टर-स्टेट तस्करी के माध्यम से लूटा है, काला धन के माध्यम से लूटा है, उन पर चैक लगने वाला है। उसके लिये मैं आपके माध्यम से कांग्रेस के बंधुओं से निवेदन करूंगा कि आप भी अपने

(डा. फूलचन्द भिण्डा)

विचार रखें। एक गरिमा बनायें कि राजस्थान की विधान सभा ने भी सर्वसम्मति से प्रस्ताव पास किया है जो देश का टर्निंग पाइण्ट होगा। (व्यवधान) आपको अक्ल नहीं है। यह आपकी अक्ल का नमूना है। आज यह देश इस प्रकार की स्थिति में जा रहा है। आपने विकास दर को ढाई प्रतिशत से आगे नहीं जाने दिया। पहली बार अटल बिहारी वाजपेयीजी जब आये तो वे हमारी विकास दर को 8-9 प्रतिशत तक ले गये। फिर नरेन्द्र मोदीजी आये तो फिर 7 प्रतिशत तक ले गये। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि जब यह जी.एस.टी. लागू होगा तो हमारी विकास दर अपने आप दो प्रतिशत बढ़ जायेगी। यह निश्चित दो प्रतिशत बढ़ेगी। (व्यवधान)

(प्रतिपक्ष के अनेक माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारे)

श्री अध्यक्षः बोलिये, बोलिये। आप इधर बोलिये।

डा. फूलचन्द भिण्डा (विराटनगर): अध्यक्ष महोदय, इसके माध्यम से जनता को लाभ होगा। जनता पर अनावश्यक जो चीजें हैं, एक अच्छी टैक्स प्रणाली वह मानी जाती है, जिसमें सिम्पलीसिटी होती है और यह टैक्स ही ऐसा है जो सरलता से दिया जाएगा, सरलता की व्यवस्था की जाएगी, सरल नियम होंगे और जनता आसानी से दे सकेगी और वन टाइम, वन पाइण्ट टैक्स लगेगा। जो कृत्रिमता के आधार पर टैक्स सरकार में जाता नहीं था, लोग उपभोक्ता से टैक्स वसूल कर लेते थे, इस कारण से प्रत्येक स्टेट का कलेक्शन का खर्चा नहीं होगा। टैक्स प्रणाली का एक सूचक यह भी माना जाता है। हमारे वृहस्पति ग्रंथ में भी और कौटिल्य शास्त्र में भी कहा गया है कि टैक्स संग्रह ज्यादा से ज्यादा हो, खर्चा कम से कम हो। इस टैक्स प्रणाली में यही आयेगा कि कम से कम खर्चा करना पड़ेगा। केन्द्र सरकार कर इकट्ठा करेगी और राज्यों को बांटेगी। ऐसी परिस्थिति आ नहीं सकती। इस कारण से इस देश में, जितने भी छिद्र हैं, जितने भी इकोनोमी के छिद्र हैं, जितने भी टैक्स प्रणाली के छिद्र हैं, सब में रुकावट आयेगी और उसका लाभ जनता को भी मिलेगा, देश की अर्थव्यवस्था को भी मिलेगा और भारत के खजाने को भी मिलेगा। इस कारण से आज यह एक ऐतिहासिक अवसर है, जिस पर हम चर्चा कर रहे हैं और राजस्थान विधान सभा को यह अवसर प्राप्त हुआ है।

मैं आपके माध्यम से यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि इससे एक्सपोर्ट भी बढ़ेगा, जब टैक्स प्रणाली समान होगी। आज देश की स्थिति यह है कि किसी इंटरस्टेट तस्करी में भंयकर रूप से छिद्र हैं, टैक्स संग्रह कम होता है, इस कारण से यह जो जी.एस.टी. टैक्स है, यह प्रत्येक आदमी को,

(डा. फूलचन्द भिण्डा)

प्रत्येक उत्पादक को, उपभोक्ता को, जनता को, देश को, किसान को, सबको लाभ होने वाला है। मैं आपके माध्यम से सदन को बताना चाहता हूं कि इससे आज जो महंगाई का असर हमारे इंडेक्स पर पड़ता है, हमारे लेबर वेज पर पड़ता है, इन पर भी असर कम पड़ेगा। क्योंकि जो कृत्रिमता के आधार पर महंगाई बढ़ती थी, वह नहीं बढ़ेगी। टैक्स के नाम पर जो मंहगाई बढ़ती थी, वह नहीं बढ़ेगी। क्योंकि सबको मालूम होगा कि 18 प्रतिशत टैक्स है। सबको मालूम होगा कि साढे 18 है या 18 है या किस बिन्दु पर लगना है। इस प्रकार की स्थिति रहेगी और उसमें कांग्रेस वाले बंधु यह कहते हैं कि इस राज्य की स्वायत्तता खतम होगी। कौनसी स्वायत्तता, राज्यों का आज सारा का सारा पैसा, यह पहले प्रधान मंत्री हैं, जिन्होंने 25 प्रतिशत से 42 प्रतिशत राज्यों को शेयर बांटने की बात की है। इस कारण से राज्यों को लाभ होगा, समान रूप से होगा, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि केवल राजनीतिक प्रेशर से ज्यादा प्राप्त कर लिया जाये। टैक्स कलेक्शन के आधार पर भी, जैसे इनकम टैक्स होता है, उसी प्रकार की स्थिति चलेगी। इस कारण से मैं सदन से यह निवेदन करता हूं कि विवाद का विषय नहीं बनायें और सर्वसम्मति से इसको पास करें। हमारे नरेन्द्र मोदीजी, जो सारे विश्व के सामने छाती ठोक करके और ...(व्यवधान) सारी दुनिया में भारत की शान पैदा करना चाहते हैं, उनके हाथ मजबूत करें, ऐसा मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं। जय हिन्द, जय भारत।

(15.00 बजे)

(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारे)

श्री अध्यक्ष: श्री कालीचरण सराफ।

श्री कालीचरण सराफ (उच्च शिक्षा मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, श्री राजपाल सिंहजी शेखावत ने जो संविधान संशोधन के अनुसमर्थन हेतु संकल्प पेश किया है, उस पर मैं अपने विचार प्रकट करना चाहूंगा।

माननीय अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले मैं इस देश के प्रधान मंत्री आदरणीय नरेन्द्रजी मोदी और देश के वित्त मंत्री आदरणीय अरुणजी जेटली को धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने 122वें संविधान संशोधन विधेयक को सदन के दोनों सदनों में, राज्य सभा में और लोक सभा में पारित करवाया और जैसे मुझे जानकारी है कि हमारे देश के 18 राज्यों की विधान सभाओं ने इस बिल को पारित कर दिया है और आज हम 19वें राज्य के रूप में राजस्थान की इस विधान सभा में इस संकल्प को पारित करने के लिए एकत्रित हुए हैं।

(श्री कालीचरण सराफ)

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इस अवसर पर हमारे देश के पूर्व प्रधान मंत्री आदरणीय अटल बिहारीजी वाजपेयी का स्मरण करना चाहूंगा कि उन्होंने देश की आर्थिक प्रगति हो, देश तरक्की की ओर अग्रसर हो, 2003 में इस मामले में सोचा और जब वह प्रधान मंत्री थे तो उन्होंने डा. केलकर की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया कि इसके बारे में विचार किया जाए जिससे कि हमारे यहां पर जी.एस.टी., एकीकृत व्यवस्था लागू हो। डा. केलकर ने समीक्षा में कहा कि यदि एकीकृत कर प्रणाली लागू होगी तो निश्चित रूप से देश तरक्की करेगा। 2003 से लेकर 2016, 13 साल तक इस पर गहन विचार-विमर्श किया गया, मंथन किया गया और उसके बाद मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि अरुणजी जेटली ने सभी दलों का सहयोग लेकर इस जी.एस.टी. के बिल को दोनों सदनों में पारित किया और 18 विधान सभाओं ने इसको पारित किया है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह बताना चाहूंगा कि यह बिल पारित होने के बाद करों का जंजाल समाप्त होगा और यह देश को बचाने वाला बिल है। देश की तरक्की के लिए, देश की आर्थिक प्रगति के लिए यह बिल मील का पत्थर साबित होगा। आज हम 'मेक इन इंडिया' की बात करते हैं लेकिन जिस प्रकार की हमारी कर प्रणाली है, उसके कारण हमारे यहां पर बाहर के उद्योगपति आने से भी कतराते हैं। वर्तमान व्यवस्था में हमारे देश में केन्द्र सरकार और राज्य सरकारों के लगभग 16 टैक्सेज हैं जो विभिन्न स्तरों पर लगते हैं। आपने देखा होगा कि सेंट्रल के सेंट्रल एक्साइज, एडिशनल एक्साइज, सर्विस टैक्स, सरचार्ज, सैस और इनकम टैक्स जैसे कई टैक्सेज लगाये हुए हैं और विभिन्न राज्यों ने अपने-अपने राज्यों में वैट टैक्स, सेंट्रल सैल्स टैक्स, परचेज टैक्स, एंटरटेनमेंट टैक्स, लग्जरी टैक्स और एंट्री टैक्स आदि लगाये हुए हैं। जी.एस.टी. लागू होने के बाद अब केवल एक टैक्स लागू होगा, इससे कस्टमर को, व्यापार करने वाले छोटे व्यापारियों को बहुत आराम हो जाएगा। आज स्थिति यह है कि व्यापारी को टैक्स कलेक्ट करने में और सरकार में जमा करवाने के लिए इतने झंझावातों से गुजरना पड़ता है कि इसके लिए उनको वकील की आवश्यकता होती है। भ्रष्टाचार पनपता है। नए नौजवान अपना व्यापार करने के बजाय, झंझावातों से बचने के लिए नौकरी करना पसंद करता है। आज दुनिया के 144 देशों ने जी.एस.टी. प्रणाली को अपने यहां पर लागू किया है और उसके कारण उन देशों की जी.डी.पी. ग्रोथ में वृद्धि हुई है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, इस प्रकार के टैक्स स्ट्रक्चर से किसानों को

(श्री कालीचरण सराफ)

भी लाभ होगा। डा. केलकर समिति ने अपनी समीक्षा में यह बात कही है कि इस कर प्रणाली के लागू होने से किसानों को भी लाभ होगा। किसान जो पैदावार करेगा उसको उसका उचित मूल्य मिलेगा और आम आदमी को सभी चीजें सस्ती मिलेंगी। आज 16 प्रकार के टैक्सों को चुकाने के लिए जो ट्रांसपोर्टेशन होता है, जो लोजेस्टिक सैक्टर को बहुत पेनफुल प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है, समय की बर्बादी होती है, समय खराब होता है, जी.एस.टी. प्रणाली लागू होने से हमारे देश के प्रधान मंत्रीजी का 'मेक इन इंडिया' का सपना भी साकार होगा, देश की जी.डी.पी. की ग्रोथ बढ़ेगी, देश आर्थिक प्रगति की ओर अग्रसर होगा।

सभी दलों ने मिलकर, सहयोग देकर इस बिल को संसद के दोनों सदनों में पारित किया है। हमारे देश की 18 विधान सभाओं ने इसको पारित किया है। परन्तु, मुझे खेद है इस बात का कि कांग्रेस के लोग अपने आलाकमान के निर्देश को भी नहीं मान रहे और यहां हो-हल्ले में इस बिल को पारित करवाना चाहते हैं। मैं एक ही अपील करना चाहूंगा कि हम भी इस बिल को पारित करने में अपनी भागीदारी निभाएं, देश तरक्की की ओर अग्रसर हो और हमारे प्रधान मंत्रीजी का 'मेक इन इंडिया' का सपना साकार हो, इसके लिए हम इस बिल को पारित करें। बहुत-बहुत धन्यवाद। जय भारत।

(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारे)

श्री अध्यक्ष: श्री मोहन लाल गुप्ता।

श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल): माननीय अध्यक्ष महोदय, संविधान संशोधन पर जो यह प्रस्ताव राजपाल सिंहजी लाए हैं, राजस्थान विधान सभा के हम सभी सदस्य ...(व्यवधान) इसमें मैं गाय की बात भी करूंगा, आप सुनो। आप सुनो, मैं गाय की बात भी करूंगा। आप सुनिए। सुनने का माद्दा रखिए। जरा सुनिए। यह जो प्रस्ताव लाए हैं उसका मैं समर्थन करता हूं। राजस्थान विधान सभा के हम सभी माननीय सदस्य भी इसका समर्थन करते हैं। कांग्रेस ने भी इस बिल का समर्थन किया है।

देश में आज तक जो टैक्स का टेरेरिज्म था, टैक्स का आतंकवाद था, जो कांग्रेस ने कई वर्षों तक चलाया, उस आतंकवाद को, हम टैक्स के आतंकवाद को समाप्त करने जा रहे हैं। एक होटल में आप खाना खाने जाते हो वहां पर आपका गुड्स टैक्स भी लगेगा, फिर सर्विस टैक्स भी लगेगा, फिर वहां पर कई तरह के टैक्स लग जाएंगे। आप यह देखिए कि किस प्रकार का शासन कांग्रेस ने चला रखा था। मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूं माननीय अध्यक्ष महोदय ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आप अध्यक्ष की ओर एड्रेस कीजिए। इनसे नहीं, अध्यक्ष को एड्रेस कीजिए।

श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल): सर, यह मेरे को कह रहे थे इसलिए मैं कह रहा हूं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आप ध्यान ही मत दीजिए। आप इधर ध्यान ही मत दीजिए। सीधा आप इधर कीजिए।

श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल): विभिन्न तरह के टैक्स देश में कांग्रेस ने लगा रखे थे कि देश में भ्रष्टाचार की जड़ ही यह पूरी टैक्स प्रणाली थी और यह भ्रष्टाचार के कारण ही इस देश का लोकतंत्र कमजोर हो गया और लोकतंत्र कमजोर हो गया तो नौकरशाही हावी हो गयी। देश के लोगों को यह चाहिए कि हमें राजनीतिक न्याय मिले, सामाजिक न्याय मिले, आर्थिक न्याय मिले। राजनीतिक न्याय हमें प्राप्त हो चुका। सामाजिक न्याय के लिए हम सब लोग संघर्ष कर रहे हैं। यह आर्थिक न्याय की ओर बढ़ता हुआ एक प्रगतिशील कदम है, जी.एस.टी. आर्थिक न्याय लोगों को दिलाएगा। देश में दो नम्बर का जो कारोबार चलता था, अध्यक्ष महोदय, क्या हो रहा था? एक राज्य में कार की दर कम है, वहां से लोग खरीद रहे थे, दूसरे राज्य में ला रहे थे। एक राज्य में गेहूं की दर कम है, दूसरे राज्य में ला रहे थे, इस प्रकार से केवल बिलों का कारोबार चल रहा था, बिलों का। माल नहीं आ रहा था, माल जा नहीं रहा था, केवल बिलों का कारोबार चल रहा था। अध्यक्ष महोदय, इस कारण से देश-भर में जिस प्रकार का टैक्स टेरेरिज्म पनप रहा था, कालाबाजारी पनप रही थी और कांग्रेस के लोग मस्त हो रहे थे। चलने दो, घोटाले चलने दो, होने दो घोटाले। कभी सोचा नहीं कि हम देश में इस प्रकार का एक स्ट्रक्चर लाएं जिसमें लोगों को आर्थिक न्याय प्राप्त हो सके। आप देखिए, अध्यक्ष महोदय, आज कोई चीज आप खरीदने जाएंगे, जो जाकिट, आपने पहन रखी है, जो कुर्ता आपने पहन रखा है, यह जो चश्मा आपका है, इस पर 30 से 35 परसेंट तक आपको टैक्स देना पड़ रहा है, प्रत्येक व्यक्ति को। चाहे वह जूता हो, चप्पल हो, कपड़ा हो, मोजा हो, ...(व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़): आपकी तो पूरी स्टोरी ही ब्लेंक है पर दूसरों को तो सुनो। (व्यवधान)

(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारे)

श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल): अभी महंगाई किस वजह से थी?

(श्री मोहन लाल गुप्ता)

यह भ्रष्टाचार और महंगाई दोनों का गठजोड़ कांग्रेस के साथ है। महंगाई इसीलिए थी कि 30 से 35 परसेंट तक टैक्स व्यक्ति को देना पड़ रहा है और वही जी.एस.टी. आने के बाद में 18 परसेंट होगा या 20 परसेंट होगा। अध्यक्ष महोदय, आप बताइये कि पहले आप 30 परसेंट टैक्स दे रहे थे, 35 परसेंट टैक्स दे रहे थे।

अब आपको 18 परसेंट या 20 परसेंट ही देना पड़ेगा तो महंगाई कम हुई या बढ़ी? मंहगाई कम हो गयी, इससे वस्तुओं के दाम कम हो गये और उपभोक्ताओं को सामान प्रतिस्पर्धी रूप में मिल रहा है। माननीय अध्यक्ष महोदय, कभी हमारे पूर्व प्रधान मंत्री मनमोहन सिंहजी ने भी नहीं सोचा कि इस प्रकार की जी.एस.टी. की प्रणाली को लाया जाए। सोचा होगा लेकिन उसके ऊपर पूरे सकारात्मक ढंग से लेकर आएं, लोगों को कन्वींस करें और सारी पार्टियों को एक करके इस काम को आगे बढ़ाएं, इस बात का कोई प्रयत्न कांग्रेस पार्टी ने नहीं किया। केन्द्र में अभी नरेन्द्र मोदी जी की सरकार है, बहुमत प्राप्त हुआ है। हमने धैर्य रखा। यह लोक सभा में पास हो गया, राज्य सभा में पास ही नहीं कराना चाहते थे। राज्य सभा में आपने विभिन्न प्रकार की शर्तें रख दीं। आप यह कह रहे थे कि इसकी दर तय कर दो। यानी आज तक के इतिहास में कोई बात नहीं हुई कि कर की दरें भी एक्ट में आ जाएं। कांग्रेस पार्टी की मांग थी। हमने कहा कि यदि आप इस तरह से इस कांस्टीट्यूएंट अमेंडमेंट में, इस बिल में यदि दरें रख देंगे तो बाद में हर बार चेंज करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा या कम-ज्यादा करना पड़ेगा तो हमको वापस कांस्टीट्यूएंट में अमेंडमेंट करना पड़ेगा। यह किस प्रकार की मांग आप कर रहे हो। कांग्रेस पार्टी के लोगों को समझ में नहीं आयी और अभी भी अड़े हुए हैं कि वापस आओ तो आप मनी बिल लेकर आओ। मनी बिल नहीं लायेंगे, फाइनेंस बिल के रूप में दुबारा आयेगा।

(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारे एवं व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष महोदय, यह जिस प्रकार के आर्थिक न्याय की बात हम कर रहे हैं, सामाजिक न्याय की बात आप भी करते हो, राजनीतिक न्याय की बात हमने की है। यह आर्थिक न्याय की ओर बढ़ता हुआ कदम है। देश के लोगों को प्रतिस्पर्धा के रूप में माल मिलेगा, सस्ता और अच्छा माल मिलेगा। पूरा भारत एक बाजार होगा और पूरे भारतवर्ष में एक देश, अलग अलग भाषा,

(श्री मोहन लाल गुप्ता)

अलग-अलग वेष, फिर भी अपना एक देश, यह हमारा सिद्धान्त है और उसी प्रकार से चाहे कोई भी मैन्युफैक्चरिंग कराये, कहीं भी बेचे, माल के टैक्स की दर एक ही होगी। एक दर, एक नीति होगी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहूंगा एक भारत होगा, एक ग्रेड होगी और एक ही कीमत होगी। किसी भी स्टेट में कीमतें किसी को अलग-अलग नहीं देनी पड़ेंगी। पहले कितने टैक्स लगते थे, एक्साइज पर टैक्स, इम्पोर्ट करो तो टैक्स, एक्सपोर्ट करो तो टैक्स, मैन्युफैक्चरिंग करो तो टैक्स, उत्पादन करो तो टैक्स। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इसमें एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि इस आर्थिक प्रगति की ओर बढ़ते हुए कदम से देश की जी.डी.पी. कम से कम 10 परसेंट रहेगी। आज यह 7 परसेंट है, 10 परसेंट बढ़ेगी और भारत मैन्युफैक्चरिंग का हब बनेगा, डिजीटल इंडिया बनेगा और हम सब लोग एक अच्छे भारत, प्रगतिशील भारत, आर्थिक दृष्टि से उन्नत भारत, राष्ट्रीय बाजार की ओर बढ़ने वाला भारत और उपभोक्ता किंग है, इस प्रकार का भारत बनने जा रहा है। आज जितनी भी प्रगतिशील अर्थव्यवस्थाएं हैं, 21वीं सदी की अर्थव्यवस्थाएं हैं, चाहे वह अमरीका की हो, चाहे यूरोप की हो, चाहे जापान की हो, उन सबमें इसी प्रकार की जी एस टी की कर प्रणाली है। दो नम्बर का काम खतम हो जाएगा और इसमें कोई राजनीति नहीं है, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कोई राजनीति नहीं की जा रही है। यह हमारी राष्ट्र नीति है। इस नीति के आधार पर हम आगे बढ़ रहे हैं। हम लोगों को आर्थिक न्याय दिलाना चाहते हैं। गरीब लोगों के खाने की चीजों पर यह राष्ट्र नीति है। आप लोगों ने सबसे ज्यादा गड़बड़ की है, यह टैक्स का टैरेरिज्म करके आप लोगों ने जिस प्रकार से देश को 50 साल पीछे कर दिया, आपने देश को 50 साल पीछे कर दिया।

(समय-समाप्ति सूचक घंटी)

(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में लगातार नारे एवं व्यवधान)

मैं यह कहना चाहता हूं कि नरेन्द्र मोदीजी के नेतृत्व में भारत आगे जा रहा है, आगे जाएगा और जी डी पी की रेट 10 परसेंट से ज्यादा होगी। माननीय अध्यक्ष महोदय, गरीबों के लिये आप बात कहते थे, आपने गरीबों के लिये क्या किया?

श्री अध्यक्ष: माननीय विधायक, इधर ही देखिये।

श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल): माननीय अध्यक्ष महोदय, गरीबों के लिये इसमें तीन तरह की रेटें रखी जाएंगी, जो आम जनता की उपभोक्ता की चीजें हैं। गेहूं, चावल, चीनी, दाल, घी, उसके लिये रेटें कम। आम उपभोक्ता के लिये रेंटें कम और मैरिट रेट 12 परसेंट होगी। स्टेण्डर्ड रेट, जो ज्यादातर वस्तुओं पर होगी, वह 18 परसेंट होगी। इसके अलावा डी-मैरिट रेट, जो 40 परसेंट होगी वह लग्जरी कार, तम्बाकू और पान मसाले इत्यादि पर लगेगी। राज्यों को भी इसमें अधिकार दिये गये हैं। हमारे फेडरल स्ट्रक्चर को कहीं टच नहीं किया गया। हम यह चाहते हैं कि हमारे राज्यों को भी अधिकार मिलें। राज्यों को भी पेट्रोल और डीजल पर टैक्स लगाने का अधिकार है और एक सबसे बड़ी चिन्ता का विषय यह है कि हमारी लोकल बाडीज का क्या होगा? हमारी लोकल बाडीज को इससे फायदा होना चाहिये। मैं समझता हूं कि इससे हमारी लोकल बाडीज को कोई ज्यादा फायदा होने वाला नहीं है।

श्री अध्यक्ष: विराजिये। विराजिये।

श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल): सरकार लोकल बाडीज की चिन्ता करते हुए इस विषय में टैक्स का देखे। मैं इसका समर्थन करता हूं धन्यवाद।

(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में लगातार नारे एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: श्री राजेन्द्र सिंह राठौड़।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): अध्यक्ष महोदय, आज सदन संविधान के 122वें संशोधन विधेयक, 2014 पर चर्चा कर रहा है। इस देश के अन्दर राजस्थान की यह सोलहवीं विधान सभा है, जो इस जी एस टी बिल का अनुसमर्थन कर रही है। अध्यक्ष महोदय, बहुत कम अवसर ऐसे होते हैं जब पक्ष और विपक्ष, दोनों किसी बात पर देश की राजनीति के परिप्रेक्ष्य में एक होते हैं। अध्यक्ष महोदय, बहुत लम्बी यात्रा के बाद यह बिल लोक सभा और राज्य सभा में पारित किया गया और मूल रूप से, अध्यक्ष महोदय, आर्टिकल 368(2) के सब-क्लाज बी और सी के अनुसार राज्य के 50 फीसदी विधान सभाओं के इसके अनुसमर्थन की आवश्यकता है। मुझे यह कहते हुए प्रसन्नता है कि आज राजस्थान वह सोलहवां राज्य है जो इस जी एस टी बिल का अनुसमर्थन करेगा, इसके साथ ही इस देश की कर प्रणाली में एक ऐतिहासिक परिवर्तन होगा और देश की कर प्रणाली बढ़ेगी। अध्यक्ष महोदय, आज इसके अन्दर 246(ए) इस अमेंडमेंट के माध्यम से जो आर्टिकल इन्सर्ट किया जा रहा है, इस संविधान संशोधन के पश्चात् केन्द्र और राज्य सरकार, दोनों सरकारों को यह अधिकार मिल जाएगा कि वह जी एस टी से सम्बन्धित अपना कानून बना सकते हैं।

(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में लगातार नारे एवं व्यवधान)

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

अध्यक्ष महोदय, अब देश के अन्दर एक नया इंटीग्रेटेड इन-डायरेक्ट टैक्स सिस्टम प्रारम्भ हो जाएगा और मैं समझता हूं कि पहले अलग-अलग राज्य और केन्द्र सरकार के अलग-अलग टैक्स होते थे, अब इन सारे अप्रत्यक्ष टैक्सों का मूल रूप से यह जी एस टी का इसी को लेकर जन्म हो रहा है। अध्यक्ष महोदय, आज की बात नहीं 1980 के दशक में जब भारत सरकार ने एल.के. झा कमेटी बनायी थी, उस समय कांग्रेस के लोगों के मन में विचार था कि जो अप्रत्यक्ष कर प्रणाली है इसमें किसी तरह का परिवर्तन होना चाहिये और एन डी ए के पूर्व कार्यकाल वर्ष 2003 के अन्दर केलकर समिति बनी और अध्यक्ष महोदय, केलकर समिति ने पहली बार यह कहा कि इस देश के अन्दर अप्रत्यक्ष करों के बारे में बुनियादी परिवर्तन होना चाहिये और उसी आधार पर यह बात चली।

अध्यक्ष महोदय, आज वस्तु और सेवा पर केन्द्र सरकार और राज्य सरकार विभिन्न प्रकार के अप्रत्यक्ष कर लगाती है। अब इन सारे करों का एकीकरण वस्तु और सेवा कर जी एस टी के माध्यम से हो रहा है, जिसका रेटिफिकेशन हम कर रहे हैं। 2006-07 के अन्दर इस देश के अन्दर, आज के हमारे महामहिम राष्ट्रपति जब वहां वित्त मंत्री थे, उन्होंने यह बात सदन में कही थी अब आवश्यकता इस बात की है कि इस देश के अन्दर जी. एस. टी. लागू हो और 01 अप्रैल, 2010 से इस देश में जी.एस.टी. लागू करने की परिकल्पना हमारे आज के राष्ट्रपति प्रणव मुखर्जी की थी।

(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में लगातार नारे एवं व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय, संविधान के अन्दर अलग-अलग अधिकार दिये गये हैं। संविधान के आर्टिकल 110-111 की हम बात करें तो उसके अन्दर केन्द्र सरकार और राज्य सरकारों को यह अधिकार दिये गये हैं, अपने करों को लगाने का अधिकार उनके पास है, वह कानून बना सकते हैं और मूल रूप से यह जो नया आर्टिकल 246(ए) है, इसमें राज्य सरकार और केन्द्र सरकार को आर्टिकल 110 और 111 में जो अधिकार मिले हैं, उनको सम्मिलित करके एक कर लगाने की बात कही है। अध्यक्ष महोदय, राजस्थान की विधान सभा में राजस्थान बिक्री कर 1994, 2003 के अन्दर एक अधिनियम पारित किया गया था। उस समय भी कई प्रकार की शंकाओं की बात हुई थी और मैं कह सकता हूं अध्यक्ष महोदय, जब वैट सिस्टम राजस्थान के अन्दर आया, राजस्थान के कर राजस्व में लगभग 22 फीसदी वृद्धि हुई।

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

मैं कह सकता हूं कि जी.एस.टी. वैट व्यवस्था का अगला लोजिकल स्टेप है। अध्यक्ष महोदय, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि जो आर्टिकल 246ए है इसके अनुसार जो संशोधन है उस संशोधन के बाद आर्टिकल 246 और आर्टिकल 254 के प्रावधानों के अनुसार संसद और राज्य सरकारों को सी.एस.टी. और जी.एस.टी. का कानून बनाने का अधिकार मिल जायेगा।

(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारे)

माननीय अध्यक्ष महोदय, यह जी.एस.टी. का कानून 246ए संशोधन है, एक आई.जी.एस.टी., इंटिग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स, इसकी बात भी कही गयी है। माननीय अध्यक्ष महोदय, इंटिग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स, एस.जी.एस.टी., सी.जी.एस.टी., इसमें कितना-कितना कर लगेगा इसके लिए इसी के अन्दर आर्टिकल 279ए के माध्यम से जी.एस.टी. कौंसिल बनाने की बात की है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा पहले होता क्या था। अभी माननीय शिक्षा मंत्रीजी कह रहे थे, निश्चित तौर पर मैं उनकी बात से सहमति व्यक्त करता हूं कि आज अलग-अलग टैक्स लगते हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, आज केन्द्र सरकार एक्साइज टैक्स लगाती है, सर्विस टैक्स लगाती है, कस्टम ड्यूटी लगाती है, काउंटरवेलिंग ड्यूटी लगाती है, अलग-अलग सरचार्ज लगाती है और मैं इसके साथ राज्य सरकार की बात करूं, वैट लगता है, लग्जरी टैक्स लगता है, एण्ट्री टैक्स लगता है, आक्ट्राय टैक्स लगता है, परचेज टैक्स लगता है, सेस और सरचार्ज लगता है।

एक ही वस्तु पर यह अलग-अलग टैक्स, अलग-अलग टैक्सों का मकड़जाल है, इसको समाप्त करने के लिए, उपभोक्ताओं को राहत देने के लिए और व्यापार के सरलीकरण के लिए, ईज आफ डूइंग बिजनस के लिए, इस प्रकार की नई प्रणाली को ईजाद किया है।

अध्यक्ष महोदय, मैं कह सकता हूं कि इस जी.एस.टी. के बाद राजस्थान की विकास दर में कम से कम दो फीसदी की बढ़ोतरी होगी। 2015-16 के अन्दर हम अग्रिम अनुमान लगा सकते हैं कि राजस्थान की विकास दर 10.12 प्रतिशत आगे बढ़ेगी। क्योंकि यह डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है। इस टैक्स के अन्दर, माननीय अध्यक्ष महोदय, कर की चोरी रुकेगी। इसके साथ, माननीय अध्यक्ष महोदय, असली उपभोग जिस राज्य में होगा, क्योंकि डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है इसलिए कन्जूमर स्टेट को बहुत फायदा होगा, राजस्थान कन्जूमर स्टेट है।

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

अध्यक्ष महोदय, कहने को बहुत कुछ है पर माननीय प्रतिपक्ष के लोग मेरी बात सुनना नहीं चाहते हैं और मैं आपसे आज्ञा चाहता हूं कि अगर आप कहें तो मैं टेबल कर दूं।

श्री अध्यक्ष: सदन सुन रहा है। मैं सुन रहा हूं तो सारा सदन सुन रहा है, आप सुनाइये।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): अध्यक्ष महोदय, आप आज्ञा करें तो मैं टेबल कर दूं? आप अगर आज्ञा दें तो मैं इसको टेबल कर दूं?

श्री अध्यक्ष: अच्छा, आप टेबल पर रख दीजिए आपका भाषण। चिकित्सा मंत्री जी का भाषण सदन की मेज पर रखा गया।

(श्री राजेन्द्र राठौड़, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री ने अपना शेष भाषण सदन की मेज पर रखा)

(चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री के शेष वक्तव्य के लिए कृपया परिशिष्ट-1 देखें)

माननीय गुलाब जी।

श्री गुलाबचन्द कटारिया (गृह मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय प्रतिपक्ष के सभी साथियों से निवेदन करता हूं कि हिन्दुस्तान में शायद पहली बार एक ऐसे कानून में संशोधन हुआ जिसमें देश के सारे के सारे एम.पीज. एकमत थे, सभी राज्यों के जितने चुने हुए प्रतिनिधि हैं वो एकमत थे, हिन्दुस्तान की 90 पार्टियों ने जिस बिल का समर्थन किया हो, ये हिन्दुस्तान में पहला बिल है जिसको सर्व सम्मति से पास किया गया है, ऐसे ऐतिहासिक बिल के दिन भी अगर आप इस चर्चा में भाग नहीं लेकर, आपका विरोध होगा आप अपने तरीके से करो लेकिन जिस बिल को बनाने के लिए आपके पूर्व वित्त मंत्री से लेकर के देश में 2003 से इस बात के बारे में हम सब लोगों ने सोचा, 2003 की यात्रा जा करके 2016 में पूरी हुई और वो भी कौनसा महीना, एक तरह से अगस्त का महीना हिन्दुस्तान की राजनीति में एक ऐतिहासिक महीना माना जाता है, 1942 में भारत छोड़ो आन्दोलन का उद्‌घोष हुआ तो इसी 08 अगस्त के दिन हुआ और हिन्दुस्तान का ये ऐतिहासिक बिल अगर पास हुआ तो 08 अगस्त के दिन हुआ।

(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारे)

दुर्भाग्य है हमारी राजनीति का, हम राजनीति को इतना नीचे स्तर पर लेकर आ रहे हैं। हमने देश में आजादी प्राप्त कर ली, राजनैतिक बराबरी का समानता का बर्ताव हो गया, सामाजिक दृष्टि से भी हमने उन्नति कर ली

(श्री गुलाबचन्द कटारिया)

लेकिन आर्थिक दृष्टि से इस देश में आज भी राज्यों के बीच में खाई है, व्यक्ति और व्यक्ति के बीच में खाई है। यह ऐतिहासिक जी.एस.टी. का कानून हिन्दुस्तान के गरीब और अमीर को मिलाने वाला एक सेतु का काम करेगा, उसका भी आप विरोध कर रहे हैं।

मैं सोचता हूं जिस भ्रष्ट्राचार के कारण से हिन्दुस्तान जल कर राख हो गया उस भ्रष्ट्राचार को मिटाने के लिए यह कानून माइलस्टोन का काम करेगा। आने वाले समय अगर आप और मैं जिंदा रहे तो मैं बताऊंगा हिन्दुस्तान में इस भ्रष्ट्राचार को समाप्त करने का। सारा का सारा व्यापार भ्रष्ट्राचार की भट्टी में जल कर राख हो गया लेकिन इस टैक्स के कारण से कोई भी भ्रष्ट्राचार नहीं कर सकेगा, भ्रष्टाचार पर पूर्णतया अंकुश लगेगा।

सब लोगों ने अपने-अपने कानून बनाये होंगे लेकिन गरीब के लिए कानून किसने बनाया? यह पहला जी.एस.टी. कानून है जो गरीब और अमीर के बीच में कोई खाई नहीं रखता है। अगर मेरा बच्चा एक पेन्सिल खरीदता है तो भी उसकी कीमत वो ही होगी और हिन्दुस्तान का करोड़पति का बच्चा खरीदेगा तो भी उस पेन्सिल की कीमत एक होगी।

ऐसे कानून में भी छोटे स्वार्थों को लेकर जिस प्रकार का वाद-विवाद खड़ा कर रहे हैं मुझे बहुत अफसोस है कि जिस कानून को आपने और हमने, सबने हिन्दुस्तान की लोक सभा में पास किया, सर्व सम्मति से पास किया, आप लोगों के जितने रिजर्वेशन थे उन रिजर्वेशन को ध्यान में रखकर उसमें जो आवश्यक संशोधन और करना था वो और लोक सभा में पास होने के बाद भी राज्य सभा में उसमें संशोधन हुए, उन संशोधनों को स्वीकार किया और हिन्दुस्तान की लोक सभा ने पास किया। मई का कानून फिर से अगस्त में आकर के उसको एक तरह से स्वीकृति दी। ऐसे कानून को भी हल्केपन में लेकर के जिस प्रकार से विरोध कर रहे हैं, बहुत अफसोस है।

(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारे)

हिन्दुस्तान के लोकतंत्र में हम जनता के लिए आते हैं, हम हिन्दुस्तान को आगे बढ़ाने के लिए आते हैं, हम हिन्दुस्तान की बहबूदी के लिए काम करते हैं। दुर्भाग्य है ऐसे कानून के दिन भी विवाद बनाकर इस कानून के प्रति जिस प्रकार की अनास्था इन्होंने दिखाई, राजस्थान का कोई भी आदमी आपको माफ नहीं करेगा।

(श्री गुलाबचन्द कटारिया)

आपको जिन बातों से विरोध था, मंच का उपयोग करते और मंच का उपयोग करके आप जितना कहना चाहते हैं, कहें लेकिन एक ऐसा आदर्श कानून जो हिन्दुस्तान को इस आर्थिक वैमनस्यता से, आर्थिक भेदभाव से हटाने का काम करेगा, उसका आप विरोध कर रहे हो।

अध्यक्ष महोदय, मैं अपनी बात को केवल इन शब्दों में रखकर चाहता हूं कि अगर यह पढ़ना चाहें ना तो मैं समझता हूं यह ऐतिहासिक कानून को समझने का प्रयास करो। हिन्दुस्तान में 17 कानून बने हुए थे टैक्स के, उन 17 कानूनों को खतम करके एक कानून के सहारे लेकर आ रहा है। एक राज्य पैदा करता है, एक राज्य कन्जूम करता है, कन्जूम करने वाले राज्य को लाभ नहीं मिलता है, जो प्रोडेक्शन करता है उसको, इसमें समानता का बर्ताव होगा। जो हमारा पूर्वांचल आज भी पिछड़ा रह गया उस पूर्वांचल को बराबरी में लाने के लिए यह जी.एस.टी. वरदान के रूप में साबित होगा। जो राज्य अभी तक पिछड़े हुए हैं, उनको इससे लाभ मिलेगा। मैं सोचता हूं जिन राज्यों को नुकसान होगा केन्द्र सरकार ने पांच साल तक उनके नुकसान की भरपाई का जिम्मा भी लिया है। मैं सोचता हूं पहली बार कोंसिल बन रही है जो कोंसिल यह तय करेगी कि वास्तव में यह जी.एस.टी. में कितना पैसा लगा और नहीं लगे।

(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारे)

और इसके लिए वन-थर्ड मत हिन्दुस्तान की पार्लियामेंट का है जिसमें लोक सभा और राज्य सभा है, टू-थर्ड मत उन राज्यों की विधान सभा को मिलेगा और उसमें भी कहा है कि जब तक कोई तीन चौथाई बहुमत से पास नहीं हो जाता तब तक कानून नहीं बन सकता। इससे ज्यादा और क्या चाहते हैं? इतने अच्छे कानून को भी हल्केपन में लेकर के केवल अपनी छोटी सी बात के लिए कर रहे हैं।

मैं अपनी सारी बात को टेबल करता हूं और बंधुओं, मैं निवेदन करता हूं कि आप और हम चंद दिनों में जाने वाले हैं पर हिन्दुस्तान की तरक्की और उस गरीब का विकास अगर आप और मेरे कारण से बढ़ा तो आपको जनता आशीर्वाद देगी। बाकी हो-हल्ला करने से नहीं होता है। यह बातें करने के लिए पचासों अवसर और थे जिन अवसरों पर बहस हो सकती थी लेकिन ऐसे कानून को भी आप रद्दी की टोकरी में डालकर इस चर्चा को जिस ढंग से नीचेपन पर ले आये, यह कहते हुए मुझे बहुत अफसोस है।

श्री अध्यक्ष: माननीय गुलाब जी, क्या आप अपना स्पीच टेबल पर रख रहे हैं?

श्री गुलाबचन्द कटारिया (गृह मंत्री): टेबल कर रहा हूं।

श्री अध्यक्ष: गुलाब जी की स्पीच सदन की टेबल पर रखी गयी।

(श्री गुलाबचन्द कटारिया, गृह मंत्री ने अपना वक्तव्य सदन की मेज पर रखा)

बहस समाप्त हुई। माननीय मुख्यमंत्री जी भी अपना वक्तव्य टेबल पर रख रही हैं, संकेत ऐसा आया है। (व्यवधान) नहीं, उनके तो बाद में होगा न, बहस का पार्ट है आपका तो।

राजपाल सिंह जी अपना जवाब देंगे।

(गृह मंत्री के शेष वक्तव्य के लिए कृपया परिशिष्ट-2 देखें)

श्री राजपाल सिंह शेखावत (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय।

(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारे)

श्री अध्यक्ष: आप जोर से बोलिये, मैं सुन रहा हूं। सारा सदन सुन रहा है जब मैं सुनता हूं तो।

श्री राजपाल सिंह शेखावत (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, हिन्दुस्तान की राजनीति और हिन्दुस्तान जिस ऐतिहासिक परिवर्तन के दर पर खड़ा है उस कॉआपरेटिव फैडरलिज्म की दिशा में जिस प्रकार का मोटा, एक बहुत बड़ा स्टेप हिन्दुस्तान की सरकार और हिन्दुस्तान की आवाम लेना चाहती है और उसमें जिस प्रकार का विरोध इस तरफ से हो रहा है वो दुर्भाग्यपूर्ण है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि माननीय सदन की नेता का वक्तव्य हो, उससे पहले मैं अपने वक्तव्य को टेबल करता हूं।

(श्री राजपाल सिंह शेखावत, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री ने अपना वक्तव्य सदन की मेज पर रखा।)

(नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री के लिए कृपया परिशिष्ट-3 देखें)

श्री अध्यक्ष: अब संकल्प पास करा दें? संकल्प पास करा दें? (व्यवधान) हां, आप भी रख दीजिए।

श्रीमती वसुन्धरा राजे (मुख्य मंत्री): अध्यक्ष महोदय, राज्य की विधान सभा का यह जो सत्र है भारतवर्ष में जी.एस.टी. व्यवस्था लागू करने के लिए 122वां संविधान संशोधन विधेयक का समर्थन करने हेतु आज के लिए याद किया जायेगा। मैं समझती हूं कि इसके अनुसार जी.एस.टी. लागू होने पर

(श्रीमती वसुन्धरा राजे)

सर्विसेज पर टैक्स केन्द्र के अन्दर और साथ-साथ राज्य के अन्दर भी प्राप्त हो सकेगा। वस्तुओं की रिटेल लेवल तक की सेल पर टैक्स राज्य सरकारों के साथ-साथ केन्द्र सरकार को भी प्राप्त होगा।

(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारेबाजी)

इसमें बहुत सारे इश्युज हैं जिसकी वजह से हम लोगों को फायदा होगा। जो अभी भाई साहब ने कहा कि इसको इक्विलिटी में किस तरह से एक-दूसरे के बीच में बांटने का, राज्य सरकार और केन्द्र सरकार के बीच में, और अमीर एवं गरीब के बीच का जो फासला है, उसको दूर करने का काम हम इस टैक्स के द्वारा करेंगे।

(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारेबाजी)

आखिर में, राजस्थान एक कंज्यूमिंग प्रदेश है और जी.एस.टी. के डेस्टिनेशन पर ही इस टैक्स के होने की वजह से इसका फायदा राजस्थान को मिलेगा। मैं समझती हूं कि राजस्थान के साथ-साथ बहुत से अन्य प्रदेशों को भी मिलेगा। आज की परिस्थिति में यह कानून बहुत जरूरी कानून है और मैं समझती हूं कि अपने को इसे पास करवाने की जरूरत है। मैं इसलिए आज आपसे परमिशन लेना चाहूंगी कि इस चीज को हम टेबल कर सकें।

(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारेबाजी)

श्री अध्यक्ष: मुख्यमंत्री जी का वक्तव्य रिकार्ड पर लिया गया, टेबल पर। बहस समाप्त हुई।

(मुख्यमंत्री के शेष वक्तव्य के लिए कृपया परिशिष्ट-4 देखें)

प्रश्न यह है कि यह सदन भारत के संविधान के अनुच्छेद-368 के खण्ड (2) के परन्तुक के खण्ड (ख) और (ग) की परिधि के अन्तर्गत आने वाले संशोधन का, जो संसद के दोनों सदनों द्वारा यथा पारित संविधान (एक सौ बाईसवां संशोधन) विधेयक, 2014 द्वारा किया जाना प्रस्तावित है, अनुसमर्थन करता है?

(स्वीकृत)

संविधान संशोधन के अनुसमर्थन हेतु प्रस्तुत संकल्प पारित किया गया।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): अध्यक्ष महोदय, अगर इन्होंने ना बोला है तो रिकार्ड पर ले लें। इन्होंने अगर इस बिल का समर्थन नहीं किया है, मेरी प्रार्थना है कि अगर कांग्रेस पार्टी के इन माननीय

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

सदस्यों ने बिल का समर्थन नहीं किया है तो रिकार्ड पर बात आ जाये। अब ना बोलो ना। अब दुबारा वोट कराएं माननीय अध्यक्ष ...(व्यवधान) यह सर्वसम्मति कहां है ...(व्यवधान) ले लो, रिकार्ड पर ले लो इसको।

श्री अध्यक्ष: विराजिए। पारित किया गया। पारित करने में हां है। बोला ही नहीं कोई ना। मैंने नहीं सुना। सर्वसम्मति से, यह संकल्प जो राजपाल सिंह जी ने प्रस्तुत किया है वह सर्वसम्मति से यह विधान सभा पारित करती है। सब हाथ उठाकर कहें।

राष्ट्र गान

जन-गण-मन अधिनायक जय हे
भारत-भाग्य-विधाता
पंजाब-सिन्धु-गुजरात-मराठा
द्राविड़-उत्कल-बंगा
विन्ध्य-हिमाचल यमुना-गंगा
उच्छल जलधि तरंग
तव शुभ नामे जागे
तव शुभ आशिष मांगे
गाहे तव जय गाथा
जन-गण-मंगलदायक जय हे
भारत-भाग्य-विधाता
जय हे, जय हे, जय हे
जय जय जय जय हे।

सदन की बैठक अनिश्चितकाल के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की बैठक 15.33 बजे अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हुई)

अनुपस्थित सदस्य का तारांकित प्रश्नोत्तर

आवारा पशुओं से शहरों में होने वाली दुर्घटनाएं

1. **श्रीमती सोनादेवी** (रायसिंहनगर): क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि रायसिंहनगर व विजयनगर शहर में आवारा पशुओं के कारण आए दिन दुर्घटनाएं तथा जगह-जगह विचरण करने से सड़कों पर गंदगी हो रही है?

(2) क्या सरकार उक्त समस्या के समाधान हेतु कोई कारगर योजना बनाने का विचार रखती है? यदि हां, तो क्या व कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) नगरपालिका रायसिंहनगर एवं श्रीविजयनगर क्षेत्र में आवारा पशुओं के कारण दुर्घटनाएं होने का कोई प्रकरण संज्ञान में नही है। नगर पालिका रायसिंहनगर एवं श्रीविजयनगर द्वारा नियमित प्रक्रिया के तहत सड़कों की सफाई की जाती है।

(2) आवारा पशुओं को पकड़ना एवं नियमों के अनुरूप शास्ति लेकर छोड़ना व नीलाम करना एक सतत प्रक्रिया है, जो नगरीय निकायों द्वारा की जाती है। इसके अतिरिक्त पकड़े गए गौवंश के भरण-पोषण एवं रख-रखाव के सम्बन्ध में गोपालन निदेशालय द्वारा प्रत्येक जिले में ऐसी उपयुक्त गौशालाएं जो निराश्रित गौवंश का भार उठाने के लिए तैयार हो, को चिन्हित करने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

समयाभाव के कारण सदन में नहीं लिये जा सके तारांकित प्रश्नोत्तर

चित्तौड़गढ़ जिले के क्षतिग्रस्त बांध एवं नहरें

3. **श्री चन्द्रभान सिंह 'आक्या'** (चित्तौड़गढ़): क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि चित्तौड़गढ़ जिले में 13 छोटे-बड़े बांधों की स्थिति जीर्ण-शीर्ण है? यदि हां, तो उक्त बांधों को दुरुस्त करने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त जीर्ण-शीर्ण बांधों में से कितने बांधों को दुरुस्त कर दिया गया है एवं कितने बांध दुरुस्तीकरण से किन कारणों से वंचित हैं? कारण सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि गत दिनों हुई अतिवृष्टि के कारण कई अन्य बांध व नहरें भी क्षतिग्रस्त हुई हैं? यदि हां, तो कहां-कहां पर किन-किन बांधों एवं नहरों को क्षति हुई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या सरकार क्षतिग्रस्त एवं जीर्ण-शीर्ण बांधों व नहरों को दुरुस्त कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) चित्तौड़गढ़ जिले में कोई भी विभागीय बांध जीर्ण-शीर्ण की स्थिति में नहीं होने से तदानुसार दुरुस्तीकरण की आवश्यकता नहीं है।

(3) जी हां। गत दिनों हुई अतिवृष्टि के कारण क्षतिग्रस्त विभागीय बांधों एवं नहरों का विवरण परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(4) जी हां। क्षतिग्रस्त बांधों एवं नहरों की आवश्यक मरम्मत हेतु राज्य आपदा सहायता कोष अन्तर्गत प्रस्ताव प्रस्तुत किये जा चुके हैं, स्वीकृति उपरान्त आगामी रबी सिंचाई पूर्व क्षतिग्रस्त कार्यों को दुरुस्त करवाया जाना प्रस्तावित है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

प्रदेश में देवनारायण योजना के तहत व्यय राशि

4. **श्रीमती शकुन्तला रावत** (बानसूर): क्या सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(श्रीमती शकुन्तला रावत)

(1) प्रदेश में गत तीन वर्षों में देवनारायण योजना के तहत किस-किस जिले में कितना-कितना बजट कहां-कहां एवं किस-किस कार्य पर व्यय हुआ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त योजना के तहत उक्त अवधि में बानसूर विधान सभा क्षेत्र में कितना-कितना बजट किस-किस कार्य पर व्यय हुआ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) देवनारायण योजनान्तर्गत गत तीन वर्षों में किये गये कार्यों एवं व्यय का जिलेवार विवरण परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(2) देवनारायण योजना के अन्तर्गत बानसूर विधान सभा क्षेत्र में उक्त अवधि में नवीन कार्य स्वीकृत नही हुये हैं, किन्तु बानसूर में छात्रावास भवन का निर्माण 96.00 लाख रुपये की लागत से, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान भवन का निर्माण 178.73 लाख रुपये की लागत से तथा सैनिक विश्राम गृह का निर्माण 30.00 लाख रुपये की लागत से पूर्व में ही करवाये जा चुके हैं।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

सिरोही जिले में राशन की दुकानों एवं पैट्रोल पम्पों की जांच

5. **श्री जगसी राम** (रेवदर): क्या खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि सिरोही जिले में संचालित पैट्रोल पम्पों व राशन की दुकानों की गत पांच वर्षों में निष्पक्ष जांच नहीं की गई है? यदि हां, तो क्यों? उक्त जिले के तीनों विधान सभा क्षेत्रों में संचालित राशन की दुकानों की संख्या एवं उनके विरुद्ध उक्त अवधि में सरकार को प्राप्त शिकायतें तथा उन पर की गई कार्रवाई का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त जिले में अधिकारियों/कर्मचारियों एवं प्रवर्तन निरीक्षकों के पद रिक्त हैं? यदि हां, तो कब से? पदवार पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह भी सही है कि उक्त जिले में वर्तमान में कार्यरत प्रवर्तन निरीक्षक एवं जांच दल के अन्य सदस्यों द्वारा पैट्रोल पम्पों एवं राशन की दुकानों तथा सरकार द्वारा संचालित अन्य योजनाओं की जांच के नाम पर अवैध वसूली की जा रही है?

(श्री जगसी राम)

(4) क्या सरकार उक्त जिले के रसद अधिकारियों, कर्मचारियों व प्रवर्तन निरीक्षकों द्वारा गत पांच वर्षो के दौरान किये गये कार्यों की जांच कराने व सभी वर्ग के रिक्त पदों को भरने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी नहीं। सिरोही जिले में संचालित पैट्रोल पम्पों एवं राशन दुकानों की गत पांच वर्षो में निष्पक्ष जांच की गई है जिसका विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

सिरोही जिले के तीनों विधान सभा क्षेत्रों में कुल 422 उचित मूल्य की दुकानें हैं जिनकी सूची परिशिष्ट-2 पर एवं इनके विरुद्ध उक्त अवधि में प्राप्त शिकायतों एवं उन पर की गई कार्यवाही का विवरण परिशिष्ट-3 पर संलग्न है।

(2) जी हां। यह सही है कि जिले में अधिकारियों/कर्मचारियों एवं प्रवर्तन निरीक्षकों के पद रिक्त हैं। पदवार विवरण निम्न प्रकार है -

क्र.सं.	नाम पद/संख्या	अवधि
1.	प्रवर्तन निरीक्षक	वर्ष 2009 से लगातार 2016 तक
2.	लेखाकार-1	07.07.2000 से लगातार
3.	कार्यालय सहायक-1	24.12.2013 से लगातार

(3) जी नहीं। यह सही नहीं है।

(4) खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग में रसद अधिकारियों एवं प्रवर्तन स्टाफ द्वारा किये गये कार्यों से सम्बन्धित निर्धारित नोर्म्स के अनुसार सम्पर्क पोर्टल पर प्राप्त सूचना के आधार पर मानिटरिंग की जाती है।

रिक्त पदों को भरने के सम्बन्ध में 131 प्रवर्तन निरीक्षकों के चयन हेतु अभ्यर्थना राजस्थान लोक सेवा आयोग को भिजवाई हुई है। चयनित अभ्यर्थी उपलब्ध होने पर रिक्त प्रवर्तन निरीक्षकों के पदों को नियमानुसार भरने की कार्यवाही की जायेगी।

(सूची पुस्तकालय में रखी गयी)

जमवारामगढ़ क्षेत्र में संचालित ग्राम सेवा सहकारी समितियां

6. **श्री जगदीश नारायण** (जमवारामगढ़): क्या सहकारिता राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(श्री जगदीश नारायण)

(1) विधान सभा क्षेत्र जमवारामगढ़ में कुल कितनी ग्राम सेवा सहकारी समितियां कहां-कहां कब से संचालित हैं? ग्रामवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त विधान सभा क्षेत्र में किस-किस ग्राम सेवा सहकारी समिति को कब-कब किन-किन कारणों से बंद किया गया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि उक्त विधान सभा क्षेत्र की बंद ग्राम सेवा सहकारी समितियों को पुनर्जीवित करने के प्राप्त प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है? यदि हां, तो कब से व उन पर अब तक क्या-क्या कार्यवाही की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या सरकार उक्त क्षेत्र की बंद ग्राम सेवा सहकारी समितियों को पुनः चालू करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(5) क्या सरकार उक्त विधान सभा क्षेत्र में ग्राम सेवा सहकारी समितियों से वंचित ग्राम पंचायतों में ग्राम सेवा सहकारी समितियां खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र जमवारामगढ़ में कुल 24 ग्राम सेवा सहकारी समितियां पंजीकृत हैं जिनमें से 18 ग्राम सेवा सहकारी समितियां कार्यरत हैं एवं 6 ग्राम सेवा सहकारी समितियां अवसायनाधीन हैं। ग्रामवार विवरण परिशिष्ट -1 पर संलग्न है।

(2) उक्त विधान सभा क्षेत्र में कुल 6 ग्राम सेवा सहकारी समितियां अवसायनाधीन हैं, जिनका विवरण निम्नानुसार है-

क्र. सं.	नाम अवसायनाधीन जीएसएस	अवसायन की दिनांक	कारण
1.	जमवारामगढ़	22.12.98	सभी 06 ग्राम सेवा सहकारी समितियों को मंगल बिहारी कमेटी की अभशंसा के आधार पर असक्षम
2.	सायवाड	22.8.98	
3.	सायपुरा	22.8.98	

(सहकारिता राज्य मंत्री)

क्र. सं.	नाम अवसायनाधीन जीएसएस	अवसायन की दिनांक	कारण
4.	टोडामीणा	15.9.98	घोषित होने के कारण मंत्रीमण्डलीय आज्ञा क्रमांक 6/95 दिनांक 28.10.1995 के तहत अवसायन में लाया गया था।
5.	थोलाई	22.12.98	
6.	ताला	22.12.98	

(3) जमवारामगढ़ विधान सभा क्षेत्र की उक्त 6 अवसायनाधीन ग्राम सेवा सहकारी समितियों को पुनर्जीवित किये जाने के क्रम में विभाग द्वारा राज्य सरकार से पत्र क्रमांक प. 12(5)सह/2009 दिनांक 15.02.2016 से प्राप्त सहमति के अनुसरण में सक्षमता के मापदण्ड पूरे किये जाने पर अधिनियमान्तर्गत कार्यवाही किये जाने के आदेश दि. 18.03.2016 द्वारा जारी कर दिये गये हैं।

(4) प्रश्न का उत्तर बिन्दु संख्या 3 में निहित है।

(5) जी हां। ग्राम सेवा सहकारी समिति गठन के प्रस्ताव प्राप्त होने पर एवं निर्धारित मापदण्ड पूर्ण होने पर नियमानुसार ग्राम सेवा सहकारी समितियों का गठन किया जाता है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

श्रीनगर (अजमेर) में स्वीकृत माडल स्कूल

7. श्री रामनारायण (नसीराबाद): क्या शिक्षा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े ब्लाक श्रीनगर (अजमेर) हेतु भारत सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा माडल स्कूल स्वीकृत किया गया था? यदि हां, तो स्वीकृति आदेश की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि माडल स्कूल के निर्माण के लिए जिला कलक्टर अजमेर द्वारा नि:शुल्क भूमि आबंटित की गई थी तथा प्रधानाचार्य रा.उ.मा.वि. श्रीनगर ने उक्त भूमि का कब्जा प्राप्त किया था? यदि हां, तो प्राप्त कब्जे की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(श्री रामनारायण)

(3) क्या यह सही है कि भारत सरकार द्वारा उक्त माडल स्कूल ब्लाक मुख्यालय पर खोलने के स्वीकृति आदेश जारी किये जाने के उपरान्त ब्लाक मुख्यालय पर भूमि उपलब्ध नहीं होने के कारण बान्दनवाडा (भिनाय) सावर (केकड़ी) एवं बान्दरसिन्दरी (सिलोरा) के माडल स्कूल के प्रस्ताव भारत सरकार द्वारा अनुमोदित नहीं किये गये? यदि हां, तो भूमि उपलब्ध नहीं होने के क्या कारण रहे? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) माडल स्कूल ब्लाक श्रीनगर हेतु ग्राम श्रीनगर में भारत सरकार द्वारा स्वीकृति होने व जिला कलक्टर अजमेर द्वारा नि:शुल्क भूमि आबंटित किये जाने तथा प्रधानाचार्य रा.उ.मा.वि. श्रीनगर द्वारा भूमि का कब्जा प्राप्त किये जाने के पश्चात् भी माकडवाली ग्राम में पुन: भूमि आबंटित करवाकर श्रीनगर ग्राम हेतु स्वीकृत माडल स्कूल का निर्माण माकडवाली ग्राम में कराने के क्या कारण रहे? क्या सरकार इस हेतु दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। मानव संसाधन विकास मंत्रालय और साक्षरता विभाग, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा राज्य में शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े 186 ब्लाक्स में माडल स्कूल स्थापित करने का अनुमोदन प्रोजेक्ट अप्रूवल बोर्ड (पी.ए.बी.) की बैठक दिनांक 23.12.2010 द्वारा लिया गया है, जिसमें माडल स्कूल ब्लाक श्रीनगर (अजमेर) सम्मिलित है, जिसके कार्यवाही विवरण दिनांक 19.01.2011 की प्रति परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(2) जी हां। जिला कलक्टर, अजमेर द्वारा नि:शुल्क भूमि आबंटन की गयी है, जिसके आदेश दिनांक 25.10.2010 की प्रति परिशिष्ट-2 पर संलग्न है।

उक्त आबंटित भूमि, माडल स्कूल के लिए अनुपयुक्त होने के कारण, प्रधानाचार्य, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, श्रीनगर द्वारा भूमि का कब्जा प्राप्त नहीं किया जा सका।

(3) जी हां। राजस्थान में चिन्हित 186 शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े ब्लाक्स में भारत सरकार द्वारा प्रोजेक्ट अप्रूवल बोर्ड (पी.ए.बी.) की बैठक दिनांक 23.07.2010 द्वारा प्रथम चरण में 91 विद्यालय, बैठक दिनांक 23.12.2010

(शिक्षा राज्य मंत्री)

द्वारा द्वितीय चरण में 43 एवं बैठक दिनांक 19.09.2012 द्वारा तृतीय चरण में 26 माडल स्कूल अनुमोदित किये गये थे।

अजमेर जिले के ब्लाक भिनाय, केकड़ी व किशनगढ़ (सिलोरा) के प्रस्ताव भी वर्ष 2012 की प्रोजेक्ट अप्रूवल बोर्ड (पी.ए.बी.) की बैठक हेतु प्रेषित किये गये थे, जो अन्य 14 प्रस्तावों के साथ अनुमोदित नहीं हुये।

यह सही है कि समस्त माडल स्कूल ब्लाक स्तर पर अनुमोदित होने के उपरान्त ही बनाए गए हैं। वस्तुतः कई ब्लाकों में मुख्यालय पर भूमि उपलब्ध नहीं होने पर, मुख्यालयों से 25 और इससे अधिक किमी. की दूरी पर भी मॉडल स्कूल बनाये गये हैं, जिसमें से कुछ का विवरण निम्नानुसार है :-

क्र.सं.	ब्लाक	माडल स्कूल का स्थान	ब्लाक से लगभग दूरी
1	सपोटरा	मण्डरायल	80 किमी.
2	शिव	देताणी	80 किमी.
3	राजगढ़	खोदरिबा	47 किमी.
4	मनोहरथाना	अकलेरा	35 किमी.
5	डूंगरगढ़	उपनी	25 किमी.

वर्तमान में भारत सरकार द्वारा वर्ष 2015-16 से माडल स्कूल योजना पूर्णतया राज्य सरकार को हस्तान्तरित कर दी गई है।

(4) परियोजना निदेशक, आर.एस.आर.डी.सी. लिमिटेड यूनिट, अजमेर द्वारा निरीक्षण रिपोर्ट दिनांक 23.03.2015 के पश्चात पूर्व में आबंटित भूमि को अनुपयुक्त पाये जाने पर, इस सम्बन्ध में जिला कलक्टर अजमेर को वैकल्पिक/उपयुक्त भूमि आवंटित करने हेतु विभाग द्वारा दिनांक 22.03.2015 को लिखा गया, जिनकी प्रति क्रमशः परिशिष्ट-3 व परिशिष्ट-4 पर संलग्न है।

श्रीनगर में भूमि के अनुपयुक्त होने पर, नवीन भूमि जो श्रीनगर ब्लाक में ही है का चयन कर, ग्राम माकडवाली में नियमानुसार निर्माण शुरू करवाया गया। भूमि आबंटन आदेश दिनांक 30.05.2016 की प्रति परिशिष्ट-5 पर संलग्न है। चूंकि ये समस्त कार्यवाही निर्धारित प्रक्रिया के तहत हुई है। अतः इस हेतु किसी भी लोक सेवक के विरुद्ध कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

रासलाना वितरिका (भादरा) के किनारे वृक्षारोपण

8. **श्री संजीव कुमार** (भादरा): क्या वन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र भादरा में सरकार द्वारा सिद्धमुख नहर सिंचाई परियोजना के अन्तर्गत आने वाली रासलाना वितरिका के किनारे की सरकारी भूमि पर वृक्षारोपण किया गया था? यदि हां, तो गत एक वर्ष में कब-कब और कितने-कितने पेड़ किस-किस किस्म के और कहां-कहां लगाये गये? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि विभाग द्वारा लगाये गये पेड़-पौधों को किसी भी दूसरे सरकारी विभाग द्वारा काटे जाने से पूर्व अनुमति की आवश्यकता होती है? यदि हां, तो नियमों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह भी सही है कि सिंचाई विभाग द्वारा रासलाना वितरिका के किनारे स्थित सरकारी भूमि से अवैध पाइप लाइन एवं अन्य अतिक्रमण हटाते समय सरकार द्वारा वृक्षारोपण कार्यक्रम में लगाये गये पेड़-पौधों को उखाड़ दिया गया? यदि हां, तो सिंचाई विभाग द्वारा कहां-कहां से कितने पेड़-पौधे उखाड़े गये? सूची सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या सिंचाई विभाग द्वारा उक्त अभियान हेतु सरकार से लिखित में कोई अनुमति ली गयी थी? यदि हां, तो आदेशों की प्रति सदन की मेज पर रखें व नहीं, तो क्यों?

(5) क्या सरकार सिंचाई विभाग द्वारा चलाये गये उक्त अभियान में सरकार से बिना अनुमति लिए उक्त पेड़-पौधों को अवैध तरीके से उखाड़े जाने के बाद सिंचाई विभाग के उक्त कार्यों में तैनात अधिकारी-कर्मचारियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। भादरा विधान सभा क्षेत्र में रासलाना वितरिका के किनारे की सरकारी भूमि पर जनवरी-फरवरी, 2016 से पहले वर्षवार कराये गए वृक्षारोपणों में लगाये गये पौधों की प्रजातिवार सूचना संलग्न परिशिष्ट "ए" अनुसार है।

(2) जी हां। सम्बन्धित परिपत्र की प्रति संलग्न परिशिष्ट "बी" अनुसार है।

(वन राज्य मंत्री)

(3) जी नहीं। नहर किनारे रासलाना वितरिका वृक्षारोपण वर्ष 2013-14 में लगभग 200 पौधों तथा वर्ष 2014-15 में लगभग 250 पौधों की सिर्फ शाखाएं क्षतिग्रस्त हुई हैं उन्हें उखाड़ा नहीं गया है।

(4) जी नहीं।

(5) जी नहीं। उक्त कार्य में केवल पेड़-पौधों की शाखाएं क्षतिग्रस्त हुई हैं, अतः सिंचाई विभाग के संबंधित अधिकारी/कर्मचारियों के खिलाफ कोई कार्यवाही प्रस्तावित नहीं है।

(प्रति पुस्तकालय में रखी गयी)

सुन्धामाता मंदिर (जालौर) में पर्यटक सुविधा के कार्य

9. श्री नारायण सिंह देवल (रानीवाडा): क्या पर्यटन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि श्री सुन्धामाता मंदिर राजपुरा, तहसील जसवंतपुरा जिला जालौर में पर्यटन सुविधा के विकास हेतु तलहटी पर अलग-अलग योजना में रुपये 38.08 लाख व 24.91 लाख की स्वीकृति दी गई थी? यदि हां, तो किस-किस योजना में एवं कब-कब? पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त स्वीकृति के कार्य आदेश किस फर्म को कब दिए गये? यदि नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। पूर्ण विवरण परिशिष्ट 'अ' पर संलग्न है।

(2) उक्त कार्य हेतु कार्यकारी एजेन्सी राजस्थान पर्यटन विकास निगम, जयपुर द्वारा निम्नलिखित फर्मो को कार्यादेश जारी किये गये।

1. मै. वीर तेजाजी कंसट्रक्शन, जालौर दिनांक 03.05.2012 ।
2. मै. हेमराज मीणा, गंगापुरसिटी जिला सवाईमाधोपुर दिनांक 17.04.2013 ।

विवरण परिशिष्ट 'ब' पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

प्रदेश के ओ.डी.एफ. मुक्त शहरों को आबंटित राशि

10. **श्री नन्दकिशोर महरिया** (फतेहपुर): क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) प्रदेश में वर्तमान में कितने छोटे व बड़े शहर ओ.डी.एफ. (खुले में शौच) मुक्त हैं? सरकार द्वारा जो शहर ओ.डी.एफ. नहीं हैं उनको ओ.डी.एफ. करने के क्या प्रयास किए जा रहे हैं? पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) प्रदेश में ओ.डी.एफ. होने वाले शहर को कितना बजट दिया जा रहा है व उन शहरों में क्या-क्या कार्य करवाए जा रहे हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार नगर परिषद/नगरपालिका वाले कस्बों व शहरों में सफाई व्यवस्था के अनुसार रैंकिंग देने की योजना बनाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(4) जयपुर शहर को स्मार्ट सिटी बनाने के लिए क्या-क्या कार्य करवाए जाने प्रस्तावित हैं? उक्त कार्य कब तक पूरे होंगे व इन पर कितना व्यय होगा? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(5) जयपुर शहर में वर्तमान में कितने कच्चे मकान हैं? क्या सरकार जयपुर शहर को (स्लम फ्री) कच्चे मकान व खुले में शौच मुक्त करवाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(6) वर्तमान में सफाई, रोशनी व अन्य सुविधाओं के अनुसार जयपुर का देश में कौनसा स्थान है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) नगर परिषद डूंगरपुर को 31 जुलाई, 2016 को खुले में शौच मुक्त घोषित किया जा चुका है। शेष 189 नगरीय निकायों को खुले में शौच मुक्त करने हेतु व्यक्तिगत शौचालयों एवं सामुदायिक/सार्वजनिक शौचालयों का निर्माण कार्य किया जा रहा है। इस क्रम में राज्य की 33 नगर निकायों को दिसम्बर, 2016 तक खुले में पूर्णतया: शौचमुक्त किया जाना प्रस्तावित है। जिनकी सूची परिशिष्ट 'अ' पर संलग्न है एवं शेष नगरीय निकायों को मार्च, 2018 तक खुले में शौच मुक्त किये जाने का प्रस्ताव है।

(2) ओ.डी.एफ. होने वाले शहरों को अलग से बजट दिये जाने का कोई प्रावधान नहीं है।

(स्वायत शासन मंत्री)

(3) भारत सरकार द्वारा राज्य की 29 अमृत नगर निकायों सहित देश के 500 अमृत शहरों में जनवरी, 2017 में "स्वच्छ सर्वेक्षण-2017" कराया जाकर सफाई व्यवस्था के अनुसार शहरों की रैंकिंग की जावेगी। राज्य सरकार द्वारा पृथक से कोई रैंकिंग नहीं करवायी जा रही है।

(4) जयपुर शहर में स्मार्ट सिटी बनाने जाने हेतु निम्नानुसार कार्य कराये जाने प्रस्तावित हैं।

अ. कराये जाने वाले कार्य/क्षेत्र:-

1. सतत गतिशील गलियारे
2. विरासत एवं पर्यटन
3. स्मार्ट नागरिक बुनियादी सुविधाऐं प्रदान करना
4. मल्टीमाडल सार्वजनिक परिवहन
5. स्मार्ट कार्ड
6. ठोस कचरा प्रबंधन
7. सार्वजनिक सूचना प्रणाली

ब. उक्त कार्य 2020 तक पूर्ण किये जाने का लक्ष्य है।

स. बजट प्रावधान 2401.00 करोड है।

(5) जयपुर शहर में अवस्थित के कच्चे मकानों का सर्वे नहीं किया गया है। जयपुर शहर को स्लम फ्री किये जाने का प्रयास किया जा रहा है। जयपुर शहर को 31 मार्च, 2018 तक शौचमुक्त किये जाने के प्रयास किये जा रहे हैं।

(6) भारत सरकार द्वारा जनवरी, 2016 में सफाई हेतु 75 शहरों का सर्वेक्षण करवाया गया था, जिसमें जयपुर शहर का 29वां स्थान है। रोशनी व अन्य सुविधाओं के अनुसार शहरों का श्रेणीकरण नहीं किया गया है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

अलवर में राजकीय महिला पोलीटेक्निक कालेज की स्थापना

11. श्री बनवारी लाल सिंघल (अलवर शहर): क्या तकनीकी शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) प्रदेश में वर्तमान में कितने राजकीय महिला पोलिटेक्निक कालेज संचालित हैं? सूची सदन की मेज पर रखें।

(श्री बनवारी लाल सिंघल)

(2) क्या यह सही है कि अलवर में संचालित पोलिटेक्निक कालेज में महिला पोलिटेक्निक कालेज स्थापित किये जाने हेतु अतिरिक्त भूमि उपलब्ध है? यदि हां, तो क्या सरकार अलवर में महिला वर्ग में तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा देने हेतु उक्त भूमि पर राजकीय महिला पालिटेक्निक कालेज स्थापित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) प्रदेश में वर्तमान में 08 राजकीय महिला पोलिटेक्निक कालेज संचालित हैं। सूची परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(2) राजकीय पोलिटेक्निक कालेज अलवर में कुल 46 एकड भूमि उपलब्ध है। अतिरिक्त भूमि महिला पोलिटेक्निक कालेज के लिए चिन्हित नहीं है।

वर्तमान में प्रदेश में 08 राजकीय महिला पोलिटेक्निक कालेज संचालित हैं। सत्र 2015-16 में इन संस्थानों में कुल प्रवेश क्षमता 1070 के विरुद्ध 855 छात्राएं अध्ययनरत थी। इस प्रकार 215 स्थान रिक्त रहे हैं।

वर्तमान में अलवर जिले में 03 राजकीय पोलिटेक्निक कालेज संचालित हैं, जिसकी कुल प्रवेश क्षमता 1140 है, इसमें से 25 प्रतिशत अर्थात 285 प्रवेश स्थान महिलाओं के लिए आरक्षित है। महिलाओं के लिए आरक्षित प्रवेश स्थानों के विरुद्ध सत्र 2015-16 में इन संस्थानों 159 प्रवेश हुए तथा 126 रिक्त स्थान रहे हैं।

इसके अतिरिक्त वर्तमान में अलवर जिले में कुल 10 निजी पोलिटेक्निक महाविद्यालय प्रवेश क्षमता 7335 के साथ संचालित है जिसमें से 25 प्रतिशत अर्थात 1834 प्रवेश स्थान महिलाओं के लिए आरक्षित है इनके विरुद्ध मात्र 38 सीटों पर महिलाओं ने प्रवेश लिया, अतः वर्तमान में महिलाओं के लिए आरक्षित सीटों में से सत्र 2015-16 में इन संस्थानों में कुल 1796 सीटें रिक्त रहीं। अतः महिलाओं के लिए तकनीकी शिक्षा हेतु पर्याप्त अवसर उपलब्ध हैं।

तथापि वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता होने पर गुणावगुणों के आधार पर अलवर में पृथक से महिला पोलिटेक्निक कालेज खोलने का विचार किया जा सकेगा।

परिशिष्ट-1

राज्य में संचालित राजकीय महिला पोलीटेक्निक कालेजों का विवरण

क्र. सं.	राजकीय महिला पोलीटेक्निक कालेज का नाम	गैर अभियांत्रिकी पाठ्यक्रमों में प्रवेश क्षमता	गैर अभियांत्रिकी पाठ्यक्रमों में प्रवेश	रिक्त स्थान
1.	राजकीय महिला पोलीटेक्निक कालेज, भरतपुर	120	26	94
2.	राजकीय महिला पोलीटेक्निक कालेज, बीकानेर	80	49	31
3.	राजकीय महिला पोलीटेक्निक कालेज, सांगानेर	180	154	26
4.	राजकीय महिला पोलीटेक्निक कालेज, उदयपुर	120	94	26
5.	राजकीय महिला पोलीटेक्निक कालेज, जोधपुर	160	141	19
6.	राजकीय महिला पोलीटेक्निक कालेज, कोटा	120	102	18
7.	राजकीय महिला पोलीटेक्निक कालेज, अजमेर	80	79	01
8.	राजकीय महिला पोलीटेक्निक कालेज, जयपुर	210	210	00

बडगांव एवं उदयसागर बांध (उदयपुर) की क्षतिग्रस्त नहरें

12. श्री दलीचन्द डांगी (मावली): क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र मावली में बडगांव बांध, उदयसागर बांध से नहरों द्वारा सिंचाई की जाती है? यदि हां, तो कहां-कहां कितनी दूरी व किन-किन गांवों तक? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त दोनों बांधों की ज्यादातर नहरें कच्ची होने के कारण बांधों का पानी व्यर्थ बहता रहता है तथा खड़ी फसलों को

(श्री दलीचन्द डांगी)

नुकसान होता है? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त क्षतिग्रस्त नहरों की मरम्मत व पक्का कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कौन-कौनसी नहरों को कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि उक्त बांधों से मावली विधान सभा क्षेत्र के अनेक राजस्व ग्राम सिंचाई सुविधा से वंचित हैं? यदि हां, तो कौन-कौन से ग्रामों का कितना-कितना रकबा?

(4) क्या सरकार किसानों की मांग को देखते हुए वंचित गांवों को सिंचाई सुविधा से जोड़ने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। उदयसागर एवं बडगांव से विधान सभा क्षेत्र मावली में सिंचाई सुविधा से लाभांवित गांवों एवं नहर प्रणाली की लम्बाई का विवरण परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(2) बांधों की कच्ची नहरों (Unlined) से सीपेज सामान्य से अधिक होता है, परन्तु केवल रबी सिंचाई हेतु पानी उपलब्ध करवाये जाने से सीपेज के पानी से खड़ी फसलों को नुकसान नहीं होता है।

कच्ची नहरों को पक्का करने हेतु प्रस्ताव, राजस्थान जल क्षेत्र आजीविका सुधार परियोजना अन्तर्गत प्रस्तावित है, स्वीकृति उपरान्त नहरों को पक्का करवाया जाना प्रस्तावित है, विवरण परिशिष्ट-'ब' पर संलग्न है।

(3) उक्त दोनों बांधों के कमाण्ड क्षेत्र में स्थित मावली विधान सभा क्षेत्र के 35 गांवों को सिंचाई उपलब्ध करवाई जा रही है।

(4) जी नहीं। मावली विधान सभा क्षेत्र के 190 गांवों में से 35 गावों को बडगांव एवं उदयसागर बांध से तथा 34 गांवों को 13 अन्य बांधों से सिंचाई सुविधा उपलब्ध करवाई जा रही है, शेष 121 गांवों का क्षेत्र निर्मित बीसलपुर बांध के जलग्रहण क्षेत्र में होने से कोई सिंचाई परियोजना विचाराधीन नहीं है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

प्रदेश में सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के लाभार्थी

13. **श्री गोविन्द सिंह डोटासरा** (लक्ष्मणगढ़): क्या सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(श्री गोविन्द सिंह डोटासरा)

(1) प्रदेश में 01 जनवरी, 2014 को ऐसे कितने विधवा/विकलांग/वृद्धावस्था पेंशन के पात्र व्यक्ति थे, जो राष्ट्रीय एवं राज्य स्तर की पेंशन प्राप्त कर रहे थे? जिलेवार संख्या विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) 01 अगस्त, 2016 को प्रदेश में विधवा/विकलांग/वृद्धावस्था पेंशन कितने व्यक्तियों को दी जा रही है? जिलेवार संख्या विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा जान-बूझकर पात्र व्यक्तियों को वृद्धावस्था/विकलांग/विधवा पेंशन से वंचित करने की कार्यवाही की गई है? यदि हां, तो क्यों एवं इसके लिए कौन-कौन जिम्मेदार हैं तथा उनके विरुद्ध सरकार द्वारा क्या कार्यवाही प्रस्तावित है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या सरकार द्वारा गत छह माह में उक्त पेंशनधारियों का कोई सर्वे कराया गया है? यदि हां, तो उक्त सर्वे में किस-किस जिले में कितने-कितने प्रकरण खारिज होने अथवा अस्थायी रूप से उपलब्ध नहीं होने के कारण भुगतान नहीं करने के प्रकरण सामने आये हैं? जिलेवार संख्या विवरण सदन की मेज पर रखें।

(5) क्या सरकार बंद प्रकरणों में पुन: पेंशन जारी करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) प्रदेश में सामाजिक सुरक्षा योजनान्तर्गत पेंशन की राष्ट्रीय एवं राज्य योजनाओं में दिनांक 01.01.2014 को पेंशन प्राप्त कर रहे लाभार्थियों की संख्या 54,64,470 है। लाभार्थियों का जिलेवार संख्यात्मक विवरण परिशिष्ट-1 पर सलंग्न है।

(2) प्रदेश में सामाजिक सुरक्षा योजनान्तर्गत पेंशन की राष्ट्रीय एवं राज्य योजनाओं में दिनांक 01.08.2016 को पेंशन प्राप्त कर रहे लाभार्थियों की संख्या 59,03,027 है। लाभार्थियों का जिलेवार संख्यात्मक विवरण परिशिष्ट-2 पर संलग्न है।

(3) जी नही। यह सही नहीं कि सरकार द्वारा जान-बूझकर पात्र व्यक्तियों को वृद्धावस्था/विकलांग/विधवा पेंशन से वंचित करने की कार्यवाही की गई है।

(4) जी नहीं। गत 6 माह में पेंशनधारियों की पात्रता जांच हेतु कोई

(सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री)

सर्वे नहीं कराया गया है किन्तु सामाजिक सुरक्षा पेंशनर का वार्षिक सत्यापन किये जाने का प्रावधान है। कुछ पेंशन स्वीकृतकर्त्ता अधिकारियों द्वारा सम्पादित वार्षिक सत्यापन एवं पात्रता की जांच के दौरान कुछ पात्र पेंशनरों को अपात्र दर्शाकर उनके पेंशन स्वीकृति आदेशों को निरस्त कर पेंशन भुगतान बन्द करने की जानकारी प्राप्त होने पर विशेष रूप से जिन पेंशनरों की पेंशन मृत्यु, डुप्लीकेट एवं अन्य कारण अभिलिखित कर निरस्त कर की गई है, के समस्त प्रकरणों में पुनः जांच पंचायत समिति के अधीन पदस्थापति ग्राम सेवक, पटवारी और वार्ड पंच की संयुक्त टीम तथा शहरी क्षेत्र में सम्बन्धित नगर निकाय के अधिकारी एवं वार्ड पार्षद की संयुक्त टीम के स्तर पर सत्यापन/जांच किये जाने के आदेश जिला कलक्टर्स को दिये गये है ताकि पात्र पेंशनर की पेंशन को शुरू किया जा सके तथा अपात्र पेंशनर की पेंशन को निरस्त किया जा सके। सत्यापन की कार्यवाही जिला स्तर पर चल रही है, जो शीघ्र ही सम्पन्न कर ली जायेगी। निरस्तीकरण के कारण भुगतान नहीं होने वाले प्रकरणों का जिलेवार संख्यात्मक विवरण परिशिष्ट-3 पर सलंग्न है।

(5) यदि किन्हीं प्रकरणों में पेंशन स्वीकृतकर्त्ता अधिकारी के स्तर पर पेंशन आदेश को निरस्तीकरण/स्टॉप किये जाने के गलत आदेश जारी किये जाने के कारण पेंशनर की पेंशन को बन्द किया गया है तो उन प्रकरणों में पेंशनर की पेंशन को निरस्त किये जाने की दिनांक सें एरियर राशि देने एवं पेंशन नियमानुसार तुरन्त प्रारम्भ करने की कार्यवाही करने के आदेश जारी कर दिये गये हैं।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

प्रदेश में पैट्रोल पम्प एवं गैस एजेन्सी के लाइसेंस जारी करने के नियम

14. श्रीमती अलका सिंह (बांदीकुई): क्या खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) प्रदेश में पैट्रोल पम्प व गैस एजेन्सी के लाइसेंस जारी करने के क्या नियम हैं? नियमों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) गत 4 वर्षो में दौसा जिले में कितने पैट्रोल पम्पों व गैस एजेन्सियों को लाइसेंस जारी किये व कितने निलम्बित व निरस्त किये गये? कितने बंद पैट्रोल पम्पों को पुनः लाइसेंस दिया गया व किन-किन लाइसेंसों के स्वामित्व को परिवर्तित किया गया? पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) प्रदेश में पैट्रोल पम्प एवं गैस एजेन्सी को लाइसेन्स जारी करने के सम्बन्ध में जारी नियम/निर्देश दिनांक 28.11.1990 (पैट्रोल पम्प) एवं दिनांक 26.04.2000 (गैस एजेन्सी) की प्रति परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(2) राज्य स्तरीय समन्वयक, तेल उद्योग, राजस्थान से प्राप्त सूचना अनुसार गत चार वर्षो में दौसा जिले में 10 ग्रामीण और 08 रेगूलर रिटेल आउटलेटस (पैट्रोल पम्प) के लाइसेन्स जारी किये गये, 01 रिटेल आउटलेट का लाइसेन्स निरस्त किया गया एवं उसी बन्द रिटेल आउटलेट को पुनः लाइसेन्स जारी किया गया तथा 01 रिटेल आउटलेट के लाइसेन्स का स्वामित्व परिवर्तित किया गया, विवरण परिशिष्ट-2 पर संलग्न है।

दौसा जिले में गत चार वर्षो में 18 एल.पी.जी. गैस एजेन्सी चालू करने के लिये लाइसेन्स जारी किये गये हैं, जिनकी सूची परिशिष्ट-3 पर संलग्न है। किसी भी एल.पी.जी. गैस एजेन्सी का लाइसेन्स निरस्त नहीं किया गया है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

प्रदेश में गृह निर्माण सहकारी समितियों द्वारा अवयस्कों के नाम आबंटन

15. **श्री मानिक चन्द सुराना** (लूणकरणसर): क्या सहकारिता राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या सहकारी सोसायटी अधिनियम, 2001 के तहत बनाये गये नियमों के अन्तर्गत अवयस्क व्यक्ति गृह निर्माण समिति का सदस्य नहीं बन सकता है? यदि हां, तो अधिनियम के कौनसे नियमों के तहत? नियमों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि गृह निर्माण सहकारी समितियां अपनी उपविधि (बायलाज) में भी यह प्रावधान करती है कि समिति अवयस्क व्यक्ति को सदस्य नहीं बनायेगी व उसे भूखण्ड का आबंटन पत्र नहीं देगी?

(3) क्या यह भी सही है कि नियमों में उक्त प्रावधान होने के उपरान्त भी अनेक सहकारी समितियां अवयस्क व्यक्ति के नाम आबंटन कर रही हैं? यदि हां, तो किन नियमों के तहत? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री मानिक चन्द सुराना)

(4) जयपुर शहर में वर्तमान में गृह निर्माण सहकारी समितियों द्वारा किये गए दोहरे आबंटन के कितने प्रकरण विचाराधीन हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। राजस्थान सहकारी सोसायटी अधिनियम 2001 की धारा 15 के अनुसार किसी सहकारी सोसायटी के सदस्य का वयस्क होना आवश्यक है, किन्तु अधिनियम की धारा-22 के अनुसार किसी सोसायटी के किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके किसी अवयस्क नामनिर्देशिती, वारिस या यथास्थिति, विधिक प्रतिनिधि को मृत सदस्य के सोसायटी में रहे शेयर या हित विरासत द्वारा अथवा अन्यथा अर्जित करने पर प्रतिबन्ध नहीं है। प्रति परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(2) जी हां। गृह निर्माण सहकारी समितियों के बायलाज में कोई भी वह व्यक्ति जो कम से कम 18 वर्ष का हो, स्वस्थ मस्तिष्क तथा संविदा करने के लिए सक्षम हो तथा अधिनियम व नियम में रखी गई पात्रताओं की पूर्ति करता हो, वह समिति का सदस्य हो सकेगा। प्रति परिशिष्ट-2 पर संलग्न है।

(3) जी हां। कतिपय गृह निर्माण सहकारी समितियों द्वारा पंजीकृत उपनियमों के प्रावधानों के विपरीत अवयस्क व्यक्तियों के नाम आवंटन जारी किये जाने के प्रकरण प्रकाश में आए हैं।

(4) वर्तमान में जयपुर शहर में दोहरे आबंटन के प्रकरण उप रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां, जयपुर (शहर) के पास पंचनिर्णय के लिये विचाराधीन है। जिसकी प्रति परिशिष्ट-3 पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

मुण्डावर के विद्यालयों में शिक्षकों के रिक्त पद

16. **श्री धर्मपाल चौधरी** (मुण्डावर): क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र मुण्डावर में स्कूल व्याख्याता, प्रधानाध्यापक व अध्यापक के पद रिक्त हैं? यदि हां, तो कब से कहां-कहां व कितने-कितने? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार उक्त रिक्त पदों को भरने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। विधान सभा क्षेत्र मुण्डावर में राजकीय माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में प्रधानाध्यापक, स्कूल व्याख्याता, वरिष्ठ अध्यापक व अध्यापकों तथा राजकीय प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में तृतीय श्रेणी अध्यापकों के कब से कितने-कितने पद रिक्त हैं, का विद्यालयवार विवरण परिशिष्ट-'क-1' एवं परिशिष्ट-'क-2' पर संलग्न है।

(2) जी हां। माध्यमिक शिक्षा के अन्तर्गत प्रधानाचार्य एवं व्याख्याताओं के रिक्त पदों की वर्ष 2016-17 की डीपीसी सम्पन्न हो चुकी है तथा पदस्थापन की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। व्याख्याताओं के 13098 पदों पर सीधी भर्ती हेतु राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर द्वारा परीक्षा आयोजित की जा चुकी है। वरिष्ठ अध्यापक के 6468 एवं वरिष्ठ अध्यापक (विशेष शिक्षा) के 228 पदों पर भर्ती हेतु अभ्यार्थनायें आयोग को भेजी जा चुकी हैं। अतः आयोग एवं विभागीय पदोन्नति समिति से चयनित आशार्थी उपलब्ध होने पर रिक्त पदों को भरा जाना सम्भव हो सकेगा।

प्रारम्भिक शिक्षा विभाग अन्तर्गत अध्यापक तृतीय श्रेणी के 15000 पदों पर भर्ती प्रारम्भ की गई। इस भर्ती के सम्बन्ध में न्यायिक वाद दायर होने के कारण प्रक्रिया लम्बित है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

अलवर जिले में प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों के विरुद्ध कार्यवाही

17. **श्री रामहेत सिंह यादव** (किशनगढ़ बास): क्या पर्यावरण राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि अलवर जिले में औद्योगिक क्षेत्र खुशखेड़ा, भिवाड़ी, चौपानकी व नीमराणा में लगे उद्योगों से वातावरण काफी दूषित हो रहा है?

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त औद्योगिक क्षेत्र में उद्योगों द्वारा दूषित जल को या तो खुले में किसानों की कृषि भूमि/बरसाती नालों में छोड़ रहे हैं या नलकूप द्वारा भू-जल को दूषित कर रहे हैं? यदि हां, तो क्या सरकार ऐसे उद्योगों के विरुद्ध कार्यवाही करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) अलवर जिले में औद्योगिक क्षेत्र खुशखेड़ा, भिवाड़ी, चौपानकी व नीमराणा में सूक्ष्म, लघु, मध्यम व वृहद श्रेणी के 1052 उद्योग कार्यरत हैं।

(पर्यावरण राज्य मंत्री)

जिनमें से 476 उद्योग लाल श्रेणी के, 413 उद्योग नारंगी श्रेणी के एवं 163 उद्योग हरी श्रेणी के हैं। यह सभी उद्योग जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 एवं वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के अन्तर्गत राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल के सम्मति प्रबन्धन (कन्सेन्ट मैकेनिज्म) में हैं। उक्त कार्यरत सभी उद्योगों द्वारा जल प्रदूषण एवं वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु व्यवस्था स्थापित कर रखी है।

जल प्रदूषण की समस्या के निवारण हेतु वर्तमान में भिवाड़ी में 6 एम.एल.डी. क्षमता का एक संयुक्त उच्छिष्ठ उपचार संयंत्र वर्ष 2004 से संचालित है। संयुक्त उच्छिष्ठ उपचार संयंत्र (सी.ई.टी.पी.) का संचालन भिवाड़ी जल प्रदूषण निवारण ट्रस्ट (बी.जे.पी.एन.टी.) द्वारा किया जा रहा है। बी.जे.पी.एन.टी. द्वारा सी.ई.टी.पी. की क्षमता को 6 एम.एल.डी. से बढ़ाकर 9 एम.एल.डी. करने का कार्य प्रगति पर है।

इसके अतिरिक्त भिवाड़ी में स्टेनलेस स्टील प्रसंस्करण इकाइयों (पट्टा-पट्टी इकाइयों) से उत्पन्न होने वाले अत्यधिक अम्लीय उच्छिष्ठ के पृथक उपचार हेतु संयुक्त उच्छिष्ठ उपचार संयंत्र में स्पेन्ट एसिड न्यूट्रीलाईजेशन फेसिलिटी की स्थापना करवाई गई है, जो कि अप्रैल 2015 से सुचारु रूप से संचालित की जा रही है।

(2) राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल द्वारा औद्योगिक इकाइयों के समय-समय पर किये गये निरीक्षण के दौरान ऐसा कोई प्रकरण सामने नहीं आया है जिसमें कि औद्योगिक इकाई के द्वारा भूमि के अन्दर बोरिंग कर प्रदूषित जल को डाला गया हो। उक्त क्षेत्रों में स्थित इकाइयों से जनित उच्छिष्ठ के ड्रेनेज हेतु बन्द पाइप लाइनों, पर्याप्त संयुक्त उच्छिष्ठ उपचार संयंत्रों की व्यवस्था एवं उचित निष्पादन व्यवस्था/सुविधा के अभाव में दूषित जल के खुले में, किसानों के खेतों में या बरसात के नाले में छोड़ने के सम्बन्ध में राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल को शिकायत प्राप्त होने पर जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 एवं वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के प्रावधानों के अन्तर्गत कार्यवाही की जाती है।

राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल द्वारा समय-समय पर उद्योगों का निरीक्षण/मानिटरिंग कर उद्योगों द्वारा स्थापित प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था की दक्षता की जांच की जाती है एवं प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था का संचालन सही

(पर्यावरण राज्य मंत्री)

नहीं पाये जाने पर उद्योगों को नोटिस भी जारी किए जाते हैं। वर्ष 2014-15, 2015-16 एवं 2016-17 (माह जुलाई, 2016 तक) के दौरान उद्योगों में स्थापित प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था के संचालन में पाई गई कमियों अथवा जल/वायु अधिनियमों के प्रावधानों की पालना नहीं पाये जाने के कारण राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल द्वारा 23 उद्योगों को जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 33 ए / वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा 31 ए के तहत उद्योग बन्द करने एवं उनके जल/ विद्युत सम्बन्ध विच्छेद करने बाबत निर्देश जारी कर, उनके विद्युत सम्बन्ध विच्छेद करा उद्योगों को बन्द करवाया गया। उक्त 23 उद्योगों में से 15 उद्योगों के विरुद्ध जल अधिनियम 1974 के प्रावधानों के अन्तर्गत सक्षम न्यायालय में वाद भी दर्ज करवाये गये हैं। सूची परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल द्वारा भिवाड़ी क्षेत्र में स्थित उद्योगों की सतत् मानिटरिंग करने हेतु भिवाड़ी में पृथक से क्षेत्रीय कार्यालय की स्थापना की गई है।

(सूची पुस्तकालय में रखी गयी)

सीताबाड़ी (बारां) में सौन्दर्यीकरण के कार्य

18. श्री ललित कुमार (किशनगंज): क्या पर्यटन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या सरकार हाड़ौती के आदिवासी अंचल बारां जिले के सीताबाड़ी जहां हर वर्ष आदिवासियों (सहरिया) जनजाति का कुम्भ का मेला लगता है, के सौन्दर्यीकरण, सड़क निर्माण, मंदिरों का जीर्णोद्धार व बाउण्ड्रीवाल आदि कार्य करवाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(2) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा बून्दी की तीज व कोटा के दशहरा मेले को पर्यटन विभाग के कलेण्डर में शामिल किया गया है? यदि हां, तो उसी तर्ज पर बारां जिले के किशनगंज कस्बे में 130 वर्षो से लगातार आयोजित फूल डोल लोकोत्सव को पर्यटन से जोडने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(3) क्या यह भी सही है कि बारां जिले के किशनगंज कस्बे में आयोजित फूल डोल लोकोत्सव का आयोजन स्थानीय लोगों के आर्थिक सहयोग से किया जाता है? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त लोकोत्सव को और

(श्री ललित कुमार)

अधिक भव्य बनाने के लिए आर्थिक सहयोग देने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। हाड़ौती अंचल के बारां जिले के सीताबाड़ी में प्रतिवर्ष आदिवासी जनजाति का कुम्भ मेला लगता है।

पर्यटन विभाग में वर्तमान में सीताबाड़ी में सौन्दर्यीकरण, सड़क निर्माण मंदिरों का जीर्णोद्धार, बाउंड्रीवाल आदि कार्य करवाने की कोई कार्ययोजना/प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

पर्यटन विभाग द्वारा विभाग में उपलब्ध वित्तीय संसाधनों एवं प्राथमिकताओं के आधार पर विकास कार्य करवाये जाते हैं।

(2) पर्यटन विभाग के कलेण्डर में बून्दी की तीज व कोटा का दशहरा सम्मिलित है।

वर्तमान में पर्यटन विभाग में फूल डोल लोकोत्सव को पर्यटन से जोड़ने का कोई प्रस्ताव/कार्ययोजना विचाराधीन नहीं है।

(3) जी हां। बारां जिले के किशनगंज कस्बे में आयोजित फूल डोल लोकोत्सव का आयोजन स्थानीय लोगों के आर्थिक सहयोग से किया जाता है।

पर्यटन विभाग में वर्तमान में उक्त लोकोत्सव को और अधिक भव्य बनाने के लिए आर्थिक सहयोग देने का कोई प्रस्ताव/कार्ययोजना विचारधीन नहीं है।

हिंगौनिया गौशाला (जयपुर) में गायों की अकाल मृत्यु

19. **श्री धीरज गुर्जर** (जहाजपुर): क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) प्रदेश में वर्तमान में कितनी सरकारी/गैर सरकारी पंजीकृत गौशालाएं कितनी-कितनी क्षमता की कहां-कहां पर संचालित हैं? जिलेवार सूची सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि जयपुर स्थित हिंगौनिया गौशाला पूर्णत: राजकीय नियंत्रण में संचालित है एवं काफी लम्बे समय से उक्त गौशाला में इसकी क्षमता से कई गुणा अधिक गौधन रखे जाने के कारण गत तीन वर्षो में कई गायें यहां पर अकाल मौत का शिकार हुई हैं? यदि हां, तो क्यों? कारण सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री धीरज गुर्जर)

(3) जयपुर स्थित हिंगौनिया गौशाला में विगत पांच वर्षो में कितनी गायों की मृत्यु हुई है? वर्षवार, माहवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या सरकार प्रदेश की गौशालाओं में गायों की अकाल मृत्यु पर नियंत्रण रखने का विचार रखती है? यदि हां, तो इस हेतु सरकार की क्या कार्य योजना है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) राजस्थान गौशाला अधिनियम, 1960 के अन्तर्गत स्वयंसेवी संस्थाओं/ट्रस्टों द्वारा संचालित गौशालाओं का निदेशालय गोपालन द्वारा पंजीयन किया जाता है। इस अधिनियम के अन्तर्गत प्रदेश की पंजीकृत गौशालाओं का जिलेवार व इन गौशालाओं में उपलब्ध गौवंश का विवरण परिशिष्ट 'अ' पर संलग्न है।

(2) हिंगौनिया में गौशाला नहीं है, यहां पशु पुनर्वास केन्द्र है। यह पशु पुनर्वास केन्द्र नगर निगम जयपुर के अधीन संचालित है तथा इसमें स्थित अस्पताल पशुपालन विभाग के अधीन है। पशु पुनर्वास केन्द्र में क्षमता से अधिक गौधन नहीं रखा जा रहा है एवं यहां गाय अकाल मौत का शिकार नहीं हुई है।

(3) पशु पुनर्वास केन्द्र हिंगौनिया में विगत 05 वर्षों में गौवंश की मृत्यु का माहवार एवं वर्षवार विवरण परिशिष्ट 'ब' पर संलग्न है।

(4) जी हां। गौवंश सरंक्षण एवं संवर्धन हेतु राज्य सरकार द्वारा संचालित योजनाओं का विवरण परिशिष्ट 'स' पर संलग्न है।

पंजीकृत गौशालाओं में संधारित गोवंश के लिए पशुपालन विभाग की निकटवर्ती पशु चिकित्सा संस्था व चल पशु चिकित्सा इकाई द्वारा चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है तथा पशुधन आरोग्य योजनान्तर्गत नियमित निःशुल्क दवा का वितरण किया जा रहा है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

बगरू क्षेत्र में संचालित राजकीय बालिका महाविद्यालय

20. **श्री कैलाश वर्मा** (बगरू): क्या उच्च शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(श्री कैलाश वर्मा)

(1) विधान सभा क्षेत्र बगरू में कितने राजकीय बालिका महाविद्यालय संचालित हैं और उनमें कौन-कौन से संकाय में कितनी-कितनी छात्रायें अध्ययनरत हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) राजकीय बालिका महाविद्यालय खोलने के क्या-क्या मानदण्ड निर्धारित हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार बगरू में राजकीय बालिका महाविद्यालय खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र बगरू में एक भी राजकीय बालिका महाविद्यालय संचालित नहीं है।

(2) प्रदेश में राजकीय महाविद्यालय खोलने के निर्धारित मापदण्डों की प्रति परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(3) निर्धारित मानदण्डों के पूर्ण होने और संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर बगरू में राजकीय बालिका महाविद्यालय खोले जाने पर विचार किया जा सकेगा।

(प्रति पुस्तकालय में रखी गयी)

पीपल्दा के नहरी क्षेत्र में कराये गये कार्यों पर व्यय राशि

21. **श्री विद्याशंकर नन्दवाना** (पीपल्दा): क्या सिंचित क्षेत्र विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) विधान सभा क्षेत्र पीपल्दा में गत दो वर्षों में माइनर व नहरों की खुदाई तथा कच्चे कार्यों पर कितनी राशि व्यय कर कहां-कहां पर कार्य करवाये गये हैं? पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त विधान सभा क्षेत्र के अयानी माइनर टेल क्षेत्र, खातौली डिस्ट्रीब्यूटरी पर नीमसरा रोड के नीचे, माइनर पर कोलाना गांव तक, गैता डिस्ट्रीब्यूटरी तथा कजलिया माइनर पर सीसी लाईनिंग का कार्य एवं खेडली पीपल्दा माइनर पर सर्विस रोड तथा ईबीसी 1399 से हथोली गांव तक ड्रेन खुदाई, ईबीसी 1298 से 2165 के मध्य पाइप लाइन डालने का कार्य तथा खेडली माइनर पर कन्स्ट्रक्शन ऑफ सीडी वर्क चेन संख्या 100, रिनोवेशन ऑफ हैड रेग्यूलेटर निर्माण कार्य इटावा कालोनी हेतु कितनी राशि स्वीकृत हुई तथा कितनी राशि व्यय हुई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री विद्याशंकर नन्दवाना)

(3) क्या यह सही है कि उक्त कार्य अत्यधिक घटिया क्वालिटी के होने के बाद भी विभाग की मिलीभगत से कार्यो का भुगतान उठाया जा चुका है? यदि हां, तो क्या सरकार इस सारे प्रकरण की उच्च स्तरीय जॉच करवाने का विचार रखती है? हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) पीपल्दा विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत गत दो वर्षो में सीएडी विभाग के माध्यम से माईनरों व नहरो की खुदाई तथा कच्चे कार्यो पर राशि रुपये 64.69 लाख व्यय की गई है। कार्यो एवं व्यय राशि का विवरण (परिशिष्ट - अ) संलग्न है।

(2) पीपल्दा विधानसभा क्षेत्र के अन्तर्गत अयानी माइनर टेल क्षेत्र, खातौली डिस्ट्रीब्यूटरी पर नीमसरा रोड के नीचे, माइनर पर कोलाना गांव तक, गैता डिस्ट्रीब्यूटरी तथा कजलिया माइनर पर सी सी लाईनिंग का कार्य एवं खेडली पीपल्दा माइनर पर सर्विस रोड तथा ईबीसी 1399 से हथोली गांव तक ड्रेन खुदाई, ईबीसी 1298 से 2165 के मध्य पाइप लाइन डालने का कार्य तथा खेडली माइनर पर कन्स्ट्रक्शन आफ सीएडी वर्क चेन संख्या 100, रिनोवेशन ऑफ हेड रेग्यूलेटर निर्माण कार्य इटावा कालोनी हेतु स्वीकृत राशि एवं व्यय राशि का विवरण (परिशिष्ट-ब) संलग्न है।

(3) उपरोक्तानुसार बिन्दु संख्या 2 में वर्णित कार्यो पर स्वीकृत राशि के विरुद्ध भुगतान की वर्तमान स्थिति एंव भुगतान हेतु अपनायी गयी प्रक्रिया का कार्यवार विवरण (परिशिष्ट-ब) संलग्न है। उक्त सभी कार्यो के भुगतान अनुबन्ध की शर्तो अनुरूप एवं विभागीय प्रक्रिया/निर्देशों का अनुपालन कर सम्पादित किये जा रहे है। इन कार्यो की जांच मुख्य अभियन्ता स्तर के अधिकारी से करवा ली जाएगी।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

जामडोली (जयपुर) के विमंदित गृह में बच्चों की मृत्यु की जांच

22. **श्री घनश्याम तिवाड़ी** (सांगानेर): क्या सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि जामडोली, जयपुर में विमंदित बच्चों का पुनर्वास केन्द्र संचालित है?

(2) क्या यह भी सही है कि अप्रैल, 2016 में उक्त पुनर्वास केन्द्र में बच्चों की मौतें हुई हैं? यदि हां, तो कुल कितने बच्चों की मौतें हुई और कुल कितने बच्चे बीमार हुए? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

(3) क्या यह सही है कि डाक्टरों की टीम ने बच्चों की मौत होने के कारणों की रिपोर्ट पेश की है? यदि हां, तो उक्त रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या सरकार द्वारा उक्त पुनर्वास केन्द्र में बच्चों की हुई मौत की कोई जांच करवाई गई है? यदि हां, तो किससे? जांच रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(5) उक्त घटना के लिए कौन-कौन दोषी पाये गये तथा सरकार ने उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। राज्य सरकार द्वारा जामडोली, जयपुर में राजकीय मानसिक विमंदित महिला एवं बाल कल्याण पुनर्वास गृह का संचालन किया जा रहा है।

(2) जी नहीं। अप्रैल 2016 में उक्त पुनर्वास केन्द्र में एक ही बच्चें की मृत्यु हुई है 12 अन्य आवासियों की मृत्यु जे. के. लॉन एवं सवाई मानसिह चिकित्सालय में भर्ती के दौरान हुई। इस प्रकार कुल 13 आवासियों की मृत्यु हुई एवं 31 बच्चे (13 आवासियों की मृत्यु सहित) बीमार हुये। विवरण परिशिष्ट-अ एवं ब पर संलग्न है।

(3) सवाई मानसिह मेडिकल कालेज, जयपुर के वरिष्ठ चिकित्सकों की टीम द्वारा दिनांक 28.04.2016 को गृह का निरीक्षण कर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की है। उक्त निरीक्षण रिपोर्ट परिशिष्ट-स पर संलग्न है।

(4) जी हां। राजकीय मानसिक विमंदित महिला एवं बाल कल्याण पुनर्वास गृह जामडोली जयपुर में हुई आवासियों की मृत्यु के सम्बन्ध में जांच हेतु प्रशासनिक सुधार विभाग, राजस्थान सरकार के आदेश दिनांक 09.05.2016 के द्वारा श्री सुदर्शन सेठी, प्रमुख शासन सचिव, ग्रामीण विकास एवं पचायती राज विभाग की अध्यक्षता में तीन सदस्य समिति गठित कर जांच करवाई गई। कमेटी के गठन के आदेश की प्रति परिशिष्ट-द पर संलग्न है तथा जांच रिपोर्ट की प्रति परिशिष्ट-द पर संलग्न है।

(5) उक्त घटना के क्रम में मानसिक विमंदित महिला एवं बाल कल्याण पुनर्वास गृह जामडोली जयपुर में कार्यरत अधीक्षक, वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी, मनोचिकित्सक व दो केयर टेकर एवं उप निदेशक, निदेशालय विशेष योग्यजन जयपुर, उपनिदेशक सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, जयपुर (शहर) को प्रथम दृष्टतया लापरवाही मानते हुये निलम्बित किया गया

(सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री)

एवं निदेशक, निदेशालय विशेष योग्यजन को पदस्थापन आदेशों की प्रतीक्षा में रखा गया है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

वैर में राशन डीलरों के विरुद्ध कार्यवाही

23. **श्री भजन लाल जाटव** (वैर): क्या खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र वैर में विभागीय अधिकारियों व राशन डीलरों की मिलीभगत के कारण समय पर खाद्य सामग्री उपलब्ध नहीं हो पा रही है? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त के विरुद्ध उच्च स्तरीय जांच करवाने का विचार रखती है? हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) विगत दो वर्षों में उक्त विधान सभा क्षेत्र के किन-किन राशन डीलरों के स्टाक व सप्लाई आदि की प्रक्रिया की कब-कब व किन-किन अधिकारियों द्वारा जांच की गई तथा उनमें कितने राशन डीलर दोषी पाये गये तथा उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी नहीं। यह सही नहीं है कि विधान सभा क्षेत्र वैर में विभागीय अधिकारियों व राशन डीलरों की लापरवाही के कारण समय पर खाद्य सामग्री उपलब्ध नहीं हो पा रही है। वैर विधान सभा क्षेत्र के लिये आबंटित नियन्त्रित सामग्री का उचित मूल्य दुकानदारों तक आपूर्ति व वितरण खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के निर्देशानुसार करवाया जा रहा है।

(2) विधान सभा क्षेत्र वैर के राशन डीलरों की विगत दो वर्षो में किये गये निरीक्षण व जांच का विवरण परिशिष्ट-अ पर तथा निरीक्षण व जांच में अनियमितताएं पाये जाने पर की कार्यवाही का विवरण परिशिष्ट-ब पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

कोटपूतली में विद्यालयों का क्रमोन्नयन

24. **श्री राजेन्द्र सिंह यादव** (कोटपूतली): क्या शिक्षा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या सरकार प्रदेश में अध्यापकों/व्याख्याता/प्राचार्यों के रिक्त पद भरने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री राजेन्द्र सिंह यादव)

(2) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र कोटपूतली के विद्यालयों में अध्यापक/व्याख्याता/प्राचार्यों के पद रिक्त हैं? यदि हां, तो क्या सरकार रिक्त पदों को भरने का विचार रखती है? हां, तो कब तक? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार प्रदेश के माध्यमिक विद्यालयों को क्रमोन्नत करने का विचार रखती है? यदि हां, तो विधान सभा क्षेत्र कोटपूतली जयपुर की रा.मा.वि. धारिकपुरा व देवता तथा खड़ब को उच्च माध्यमिक विद्यालयों को कब तक क्रमोन्नत कर दिया जायेगा? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। प्रारम्भिक शिक्षा विभाग अन्तर्गत तृतीय श्रेणी अध्यापकों के 15000 पदों पर भर्ती की कार्यवाही प्रारम्भ की गई है। इस भर्ती के सम्बन्ध में माननीय न्यायालय में न्यायिक वाद दायर होने के कारण प्रक्रिया लम्बित है।

माध्यमिक शिक्षा अन्तर्गत प्राचार्यों तथा व्याख्याताओं के रिक्त पदों की वर्ष 2016-17 की डीपीसी सम्पन्न हो चुकी है तथा पदस्थापन की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। व्याख्याताओं के 13098 पदों पर भर्ती हेतु राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा परीक्षा आयोजित की जा चुकी है एवं वरिष्ठ अध्यापक के 6468 तथा वरिष्ठ अध्यापक (विशेष शिक्षा) के 228 पदों पर भर्ती हेतु अभ्यार्थनायें आयोग को भेजी जा चुकी हैं। चयन पश्चात् आशार्थी उपलब्ध होने पर रिक्त पद भरे जा सकेंगे।

(2) जी हां। विधानसभा क्षेत्र कोटपूतली में संचालित राजकीय प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में विभिन्न संवर्ग के रिक्त पदों का विवरण निम्नानुसार है-

क्र.सं.	पदनाम	रिक्त पदों की संख्या
1	प्राचार्य	0
2	व्याख्याता	46
3	वरिष्ठ अध्यापक	105
4	अध्यापक तृ.श्रे.क.	83

रिक्त पद भरने की कार्यवाही का विवरण प्रश्नोत्तर के मांग संख्या-1 में अंकित है।

(शिक्षा राज्य मंत्री)

(3) जी हां। बजट घोषणा वर्ष 2014-15 तथा 2015-16 के अनुसार ऐसी ग्राम पंचायतें जिनमें उच्च माध्यमिक स्तर की शिक्षण सुविधा उपलब्ध नहीं है, उन ग्राम पंचायतों के माध्यमिक विद्यालयों को उच्च माध्यमिक स्तर पर चरणबद्ध रूप से क्रमोन्नत किया जाना है। विधान सभा क्षेत्र कोटपूतली की ग्राम पंचायत खड़ब, देवता तथा द्वारिकापुरा में निजी उच्च माध्यमिक विद्यालय संचालित होने के कारण यहां के माध्यमिक विद्यालयों को उच्च माध्यमिक स्तर पर क्रमोन्नत किये जाने का प्रावधान उपलब्ध नहीं होने के कारण वर्तमान में इन विद्यालयों को क्रमोन्नत किये जाने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

सीतामाता वन्यजीव अभयारण्य को राष्ट्रीय वन्य जीव अभयारण्य घोषित करने की कार्यवाही

25. **श्री गोतम कुमार** (बडी सादड़ी): क्या पर्यटन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या सरकार पर्यटन को बढ़ावा देने हेतु राज्य के वन्य जीव अभयारण्य को राष्ट्रीय वन्यजीव अभयारण्य घोषित करवाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कौन-कौनसे अभयारण्यों को एवं कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार विश्व में उड़न गिलहरी, नित्यवाहिनी नदी प्रवाह एवं प्राकृतिक सौन्दर्य धारी सीतामाता वन्य जीव अभयारण्य को भी राष्ट्रीय वन्य जीव अभयारण्य घोषित करवाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी नहीं। वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम-1972 में "राष्ट्रीय वन्यजीव अभयारण्य" घोषित करने का कोई प्रावधान नहीं है, अपितु "राष्ट्रीय उद्यान" घोषित करने का प्रावधान है।

(2) जी नहीं। अपितु सीतामाता अभयारण्य को राष्ट्रीय उद्यान घोषित करने का एक प्रस्ताव अवश्य राज्य वन्यजीव मण्डल में विचाराधीन है और वर्तमान में इस प्रस्ताव के विभिन्न पहलुओं का अध्ययन किया जा रहा है।

अतारांकित प्रश्नोत्तर

प्रदेश में महिला महाविद्यालय खोलने के मानदण्ड

1.**श्री केसाराम चौधरी** (मारवाड़ जंक्शन): क्या उच्च शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) प्रदेश में महाविद्यालय खोलने के क्या-क्या मानदण्ड निर्धारित हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार ग्रामीण क्षेत्र में महिला शिक्षा को प्रोत्साहन देने हेतु मारवाड़ जंक्शन उपखण्ड पर महिला महाविद्यालय एवं उपखण्ड स्तर रानी में महाविद्यालय खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो, कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) प्रदेश में राजकीय महाविद्यालय खोलने के निर्धारित मापदण्डों की प्रति परिशिष्ट-1 पर एवं निजी महाविद्यालय खोलने की नीति परिशिष्ट-2 पर संलग्न है।

(2) वर्तमान में मारवाड़ जंक्शन पर निजी क्षेत्र में 02 महाविद्यालय तथा रानी उपखण्ड पर निजी क्षेत्र में 02 महाविद्यालय संचालित हैं, जिनकी सूची परिशिष्ट-3 एवं परिशिष्ट-4 पर संलग्न है।

निर्धारित मानदण्डों के पूर्ण होने और संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर मारवाड़ जंक्शन उपखण्ड में राजकीय महिला महाविद्यालय एवं उपखण्ड स्तर रानी में राजकीय महाविद्यालय खोले जाने पर विचार किया जा सकेगा।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

वीरांगनाओं को रोडवेज की बसों में निःशुल्क यात्रा सुविधा

2. **श्री नन्दकिशोर महरिया** (फतेहपुर): क्या सैनिक कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या सरकार शहीद सैनिकों की पत्नियों को राजस्थान रोडवेज में नि:शुल्क यात्रा सुविधा देने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब से व नहीं, तो क्यों?

(2) प्रदेश में वर्तमान में कितनी वीरांगनाएं हैं? उक्त को रोडवेज में

(श्री नन्दकिशोर महरिया)

नि:शुल्क यात्रा सुविधा देने पर कितनी राशि व्यय होने का अनुमान है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार वीरांगनाओं को सरकारी कार्यालयों में उचित मान-सम्मान दिलवाने के लिए विशेष कार्ड जारी करने पर विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) शहीद सैनिकों की पत्नियों को राजस्थान रोडवेज बसों में नि:शुल्क यात्रा सुविधा पूर्व से ही देय है।

(2) प्रदेश में 1464 वीरांगनाएं हैं। नि:शुल्क यात्रा सुविधा पूर्व से ही प्रदान की जा रही है।

(3) राज्य में सभी वीरांगनाओं को राज्य सरकार के सभी विभागों में उचित सम्मान के लिए विशेष पहचान कार्ड जारी किए गये हैं।

अलवर में राजकीय इंजीनियरिंग महाविद्यालय की स्थापना

3. **श्री बनवारी लाल सिंघल** (अलवर शहर): क्या तकनीकी शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) प्रदेश में वर्तमान में कितने राजकीय इंजीनियरिंग कालेज संचालित हैं? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार अलवर में तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा देने हेतु राजकीय इंजीनियरिंग कालेज स्थापित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) प्रदेश में वर्तमान में 12 राजकीय इंजीनियरिंग कालेज संचालित हैं। सूची परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(2) वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता होने पर गुणावगुणों के आधार पर अलवर में राजकीय इंजीनियरिंग कालेज स्थापित किये जाने बाबत विचार किया जा सकेगा।

परिशिष्ट-1

प्रदेश में वर्तमान में संचालित राजकीय इंजीनियरिंग कालेजों की सूची

क्र.सं.	राजकीय इंजीनियरिंग कालेज का नाम
1	अभियांत्रिकी महाविद्यालय, अजमेर।
2	महिला अभियांत्रिकी महाविद्यालय अजमेर।
3	अभियांत्रिकी महाविद्यालय, बीकानेर।
4	कालेज आफ इंजीनियरिंग एण्ड टेक्नोलोजी, बीकानेर।
5	एम.एल.वी. टेक्सटाईल एण्ड इंजीनियरिंग कालेज, भीलवाड़ा।
6	अभियांत्रिकी महाविद्यालय, झालावाड़।
7	अभियांत्रिकी महाविद्यालय, भरतपुर।
8	अभियांत्रिकी महाविद्यालय, बांसवाड़ा।
9	एम.बी.एम. अभियांत्रिकी महाविद्यालय, जोधपुर।
10	कालेज आफ टेक्नोलोजी एण्ड इंजीनियरिंग, उदयपुर।
11	यूनिवर्सिटी कालेज आफ इंजीनियरिंग, कोटा।
12	कालेज आफ डेयरी एण्ड टेक्नोलोजी, उदयपुर।

कोटा शहर में निर्माणाधीन सीवरेज ट्रीटमेन्ट प्लान्ट

4. श्री संदीप शर्मा (कोटा दक्षिण): क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि सरकार ने सीवरेज एवं वेस्ट वाटर नीति, 2016 को स्वीकृति दे दी है? यदि हां, तो उक्त नीति का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त योजना के लिए सरकार द्वारा कितना बजट स्वीकृत किया गया है तथा योजना के प्रथम चरण में किन-किन जिलों को शामिल किया गया है?

(3) क्या सरकार कोटा शहर के सीवरेज सिस्टम में सुधार करने एवं नये कोटा शहर की सीवरेज की लाइनों को बदलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(4) क्या यह सही है कि कोटा शहर के बालिता में निर्माणाधीन सीवरेज ट्रीटमेन्ट प्लान्ट का कार्य अब तक पूर्ण नहीं हो पाया है? यदि हां, तो इसमें विलम्ब के क्या कारण हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। मंत्रिमण्डल की आज्ञा क्रमांक 111/2016 द्वारा "स्टेट सीवरेज एवं वेस्ट वाटर नीति-2016" के प्रारूप का सैद्धान्तिक अनुमोदन किया गया, जिसका विवरण परिशिष्ट 'अ' पर एवं नीति का पूर्ण विवरण परिशिष्ट 'ब' पर संलग्न है।

(2) यह नीति बजट प्रावधान न होकर राज्य की नीति है, विवरण परिशिष्ट 'स' पर संलग्न है। इस नीति के अन्तर्गत चरणबद्ध क्रियान्वयन प्रतिपादित किया गया है जिसके अन्तर्गत प्रथम चरण में राज्य के सभी जिला मुख्यालयों, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र अन्तर्गत के शहरों, हैरिटेज कस्बों, आंशिक सीवरेज सुविधायुक्त शहरों, ऐसे शहर जहां प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 135 लीटर जल-आपूर्ति है तथा जिनकी आबादी 1 लाख से ऊपर है, को शत-प्रतिशत सीवरेज/सेप्टेज सुविधा आगामी पांच वर्षो में उपलब्ध कराने की योजना प्रस्तावित है। 50 हजार से 1 लाख की आबादी वाले शहरों को 10 वर्ष तथा 50 हजार से कम आबादी वाले शहरों को 15 वर्ष की अवधि में सीवरेज/सेप्टेज सुविधा उपलब्ध कराना प्रस्तावित किया गया है। इस योजना अनुसार कार्यवाही वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर सम्भव होगी। वित प्रबन्धन हेतु विस्तृत विवरण नीति में समाहित है, जिसका विवरण परिशिष्ट 'स' व 'द' पर संलग्न है।

(3) कोटा शहर की सीवरेज व्यवस्था हेतु राजस्थान शहरी आधारभूत विकास परियोजना फेज-III के प्रोग्राम लोन Component में प्रावधान शामिल किया गया है। सर्वे एवं विस्तृत रिपोर्ट बनाने का कार्य परियोजना सलाहकार द्वारा किया जा रहा है।

(4) जी हां। इसके विलम्ब का कारण संवेदक द्वारा धीमी गति से काम करना रहा है। न्यास द्वारा धीमी गति से कार्य करने के कारण अनुबन्ध की धारा 2 व 3 के अन्तर्गत कार्यवाही करके संवेदक का काम समाप्त कर बैंक गारंटी राशि 3,10,31,895/- जब्त कर ली गई है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित कालोनियों में मूलभूत सुविधाएं

5. **श्रीमती गीता वर्मा** (सिकराय): क्या नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(श्रीमती गीता वर्मा)

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र बगरू में जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित कालोनियों में पानी, पार्क, सड़कों आदि सुविधाओं का अभाव है? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त कालोनियों में मूलभूत सुविधायें उपलब्ध करवाने का विचार रखती है? हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) सांगानेर बुद्धसिंहपुरा में स्थित मानसागर विस्तार, बुद्धविहार कालोनी जो कि वर्ष 2007 से जयपुर विकास प्राधिकरण के अन्तर्गत आती है? क्या उक्त कालोनियों में जेडीए द्वारा पानी, बिजली, लाइटें व सड़कें आदि की सुविधायें उपलब्ध करा दी गई हैं? यदि नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) यह कहना सही नहीं है कि विधान सभा क्षेत्र बगरू में स्थित जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित कालोनियों में मूलभूत सुविधायें जैसे पानी, पार्क, सडकें, रोड आदि सुविधाओं का अभाव है। अनुमोदित कालोनियों में मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाने के सम्बन्ध में स्थिति यह है कि विधानसभा क्षेत्र बगरू में सहकारी समिति की अनुमोदित कॉलोनियां जिनमें सड़क कार्य करवा दिया गया है/करवाया जा रहा है एवं करवाया जाना प्रस्तावित है का विवरण परिशिष्ट-अ (1+2) पर संलग्न है। शेष कालोनियों में विकास कार्य नियमानुसार जयपुर विकास प्राधिकरण में उपलब्ध संसाधन व प्राथमिकता के आधार पर करवाया जाता है।

निजी खातेदारी की कालोनियों में आंतरिक विकास कार्य राज्य सरकार/प्राधिकरण द्वारा समय-समय पर जारी आदेश एवं निर्धारित निर्देशानुसार मूलभूत सुविधा यथा सड़क, बिजली इत्यादि समस्त आंतरिक कार्य प्रावधानानुसार स्वयं निजी विकासकर्ता द्वारा करवाये जाते हैं। पानी की आपूर्ति के सन्दर्भ में जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा स्वयं की सृजित कॉलोनियों में ही पेयजल आपूर्ति सम्बन्धी कार्य करवाया जाता है। नि जी विकासकर्ता द्वारा विकसित कालोनियों में पेयजल आपूर्ति सम्बन्धी कार्य नि जी विकासकर्ता द्वारा स्वयं के स्तर पर ही किये जाते हैं।

बगरू विधान सभा क्षेत्र की गृह निर्माण सहकारी समिति की अनुमोदित कालोनियों के पार्क में सिविल विकास कार्य पूर्ण होने के

(नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री)

पश्चात पेड़ एवं घास लगाने का कार्य किया जाता है। बुद्धसिंहपुरा स्थित पशु पतिनाथ नगर पार्क में घास व पेड़-पौधे लगा दिये गये हैं। केसर विहार एवं शिवराम कालोनी में वृक्षारोपण का कार्य करवाया जा रहा है।

विकसित करवाये जाने वाले पार्क

(अ) निजी खातेदारी योजना के अन्तर्गतः-

आर.एफ.सी. एनक्लेव कालोनी चैनपुरा, जेवियर आर्केड कालोनी, श्रीराम विहार, विनायक एनक्लेव, शिवनगर-।। वृक्षारोपण का कार्य करवाया जा रहा है।

(ब) गृह निर्माण सहकारी समिति की योजना के अन्तर्गतः-

एयरपोर्ट रोड स्थित रवीन्द्र नगर के दो पार्क, खूसर योजना पार्क में वृक्षारोपण का कार्य करवा दिया गया है। सिद्धार्थ नगर (एच-ब्लाक) पार्क, महावीर नगर, मोहन नगर, बंशीपुरी में वृक्षारोपण का कार्य करवाया जा रहा है।

शेष निजी खातेदारी व गृह निर्माण सहकारी समिति की अनुमोदित कालोनियों में घोषित पार्को का विकास वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता अनुसार प्राथमिकता एवं आवश्यकता के आधार पर किया जाता है।

जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग द्वारा पेयजल व्यवस्था की जाती है कि परियोजना वृत जयपुर शहर के अधीन बगरू विधान सभा क्षेत्र में दो पेयजल परियोजना स्वीकृत हैं जिनका विवरण निम्नाकिंत हैः-

1. खो-नागोरियन क्षेत्र (जयपुर नगर निगम वार्ड नं. 49 एवं वार्ड नं. 50) को आंशिक रूप से लाभान्वित करते हुये बीसलपुर परियोजना से पेयजल आपूर्ति हेतु वितरण केन्द्र का निर्माण एवं पाइप लाइन बिछाने का कार्य प्रगति पर है, जो दिनांक 31.10.2016 तक पूर्ण किया जाना संभावित है। उक्त परियोजना के अन्तर्गत जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित कालोनियों में पाइप लाइन बिछाने का कार्य एवं गैर अनुमोदित कालोनियों में पी.एस.पी. लगाने का प्रावधान लिया गया है। बगरू विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत जयपुर नगर निगम के वार्ड संख्या 49 व 50 में उपरोक्त योजना से अलाभान्वित शेष क्षेत्रों में पेयजल आपूर्ति व्यवस्था की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डी.पी.आर.) तैयार करने हेतु दिनांक 19.08.2016 को कार्यादेश जारी कर दिया गया है तथा माह सितम्बर, 2016 में डी.पी.आर. का कार्य पूर्ण किया जाना लक्षित है।

(नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री)

2. बगरू विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत वार्ड संख्या 48 के सम्पूर्ण क्षेत्र एवं वार्ड संख्या 47 के आंशिक क्षेत्र को बीसलपुर पेयजल परियोजना से लाभान्वित किये जाने हेतु आधारभूत जल संरचनाओं के निर्माण कार्य हेतु राशि रुपये 152.02 करोड़ की स्वीकृत है। स्वीकृत परियोजना के अन्तर्गत मुख्य कार्य के रूप में जगतपुरा फाटक से मुख्य पेयजल लाइन, 6 स्वच्छ जलाशय एवं पम्पिंग स्टेशन, 10 उच्च जलाशय, परियोजना की सीमाक्षेत्र की परिधि पर मुख्य वितरण पाइप लाइन जोड़ने बिछाने तथा जवाहर सर्किल पम्पिंग स्टेशन पर विद्यमान 3 पम्पिंग स्टेशन सेट को बदलने का कार्य सम्मिलित है।

उक्त परियोजना के क्रियान्वयन हेतु कार्य को तीन पैकेज में विभाजित किया गया है।

पैकेज संख्या 1 (जवाहर सर्किल पम्पिंग स्टेशन पर तीन सेट बदलने का कार्य) पूर्ण किया जा चुका है।

पैकेज संख्या 2 (मुख्य परिवहन पाइप लाइनें, राइजिंग मैन तथा परियोजना के वितरण उपक्षेत्रों की सीमा पर रिंग मैन पाइप लाइन जोड़ने बिछाने का कार्य) कार्य हेतु निविदाएं पुनः आमंत्रित किया जाना प्रस्तावित हैं।

पैकेज संख्या 3 (पम्प हाउस एवं जलाशयों का निर्माण का कार्य) कार्य हेतु आमंत्रित निविदाओं के उपरांत जारी कार्यादेश दिनांक 12.10.2015 को पूर्व में निरस्त कर दिया गया जिस पर वादकरण लम्बित है।

ऊर्जा विभाग द्वारा विद्युत व्यवस्था की जाती है कि अवगत कराया गया है कि विधान सभा क्षेत्र बगरू में स्थित जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित कालोनियों में विद्युतीकरण का कार्य जयपुर विकास प्राधिकरण/जयपुर विद्युत वितरण निगम द्वारा किया जाता है। इसके पश्चात कोई भी आवेदक जिसको विद्युत कनेक्शन की आवश्यकता है, आवेदन करने पर नियमानुसार शुल्क जमा कराने के बाद व अन्य औपचारिकताएं पूर्ण करने पर विद्युत कनेक्शन उपलब्ध कराये जा रहे हैं/किये जावेंगे।

(2) सांगानेर में बुद्धसिंहपुरा में स्थित मानसागर विस्तार व बुद्धविहार कालोनी गृह निर्माण सहकारी समिति की योजनाएं हैं। उक्त दोनों कालोनियों में सड़क निर्माण कार्य हाल ही में करा दिया गया है।

(नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री)

जन स्वास्थय अभियांत्रिकी विभाग द्वारा उक्त कालोनी में पानी की व्यवस्था की जाती है। सांगोनर स्थित मानसागर विस्तार, बुद्धविहार कालोनी जो कि वर्ष 2007 से जयपुर विकास प्राधिकरण के अन्तर्गत आती है, कि उक्त कालोनियों में पेयजल सुविधा उपलब्ध है। बुद्धसिंहपुरा में स्थित मानसागर विस्तार में पेयजल पाइप लाइन कुछ क्षेत्रों में बिछी हुई है तथा इस क्षेत्र में पेयजल बुद्धसिंहपुरा में स्थित उच्च जलाशय से विभाग द्वारा किया जा रहा है।

ऊर्जा विभाग द्वारा उक्त कालोनी में विद्युत व्यवस्था की जाती है। सांगानेर बुद्धसिंहपुरा स्थित मानसागर विस्तार, बुद्धविहार कालोनी में विद्युतीकरण जेडीए द्वारा नहीं किया हुआ है। उक्त कालोनियों में नियमानुसार शुल्क जमा कराने के पश्चात कनेक्शन दिये जा रहे हैं। मानसागर विस्तार के कुछ खसरा नम्बर में न्यायालय द्वारा स्थगन आदेश पारित करने के कारण विद्युत कनेक्शन नहीं दिये जा रहे हैं।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

जयपुर शहर में बिना अनुज्ञा-पत्र के संचालित विवाह स्थल

6. श्री देवेन्द्र कटारा (डूंगरपुर): क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि जयपुर नगर निगम द्वारा विवाह स्थलों के संचालन हेतु नियमों के अधीन अनुज्ञा पत्र जारी किये जाते हैं? यदि हां, तो नियमों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या जयपुर शहर में गोपालपुरा बाइपास से ग्राम गजसिंहपुरा तक स्थित विवाह स्थलों को अनुज्ञा पत्र जारी किये गये हैं? यदि हां, तो किन-किन विवाह स्थलों को कब-कब? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार जयपुर शहर में बिना अनुज्ञा पत्र संचालित हो रहे विवाह स्थलों को बन्द करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जयपुर नगर निगम विवाह स्थलों के संचालन हेतु उपविधियां 2012 के अन्तर्गत विवाह स्थलों के अनुज्ञा पत्र जारी किये जाते हैं। उपविधि 2012 की प्रति अनुलग्नक 'अ' पर संलग्न है।

(स्वायत्त शासन मंत्री)

(2) जयपुर शहर में गोपालपुरा बाइपास से ग्राम गजसिंहपुरा तक स्थित विवाह स्थलों के नगर निगम जयपुर द्वारा '7' अनुज्ञा पत्र जारी किये गये हैं। जिनकी सूची अनुलग्नक 'ब' संलग्न है।

(3) जी हां। जयपुर नगर निगम विवाह स्थलों के संचालन हेतु उपविधियां 2012 के तहत नगर निगम जयपुर के द्वारा कार्यवाही की जायेगी।

(प्रति पुस्तकालय में रखी गयी)

राजस्थान सम्पर्क पोर्टल पर दर्ज शिकायतों का निस्तारण

7. **डा. मंजू बाघमार** (जायल): क्या नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) राजस्थान सम्पर्क पोर्टल के माध्यम से प्राप्त होने वाली अतिक्रमण की शिकायतों के निराकरण हेतु जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा क्या प्रक्रिया अपनाई जाती है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि 16 जून, 2016 के राजस्थान सम्पर्क पोर्टल के माध्यम से जयपुर विकास प्राधिकरण के नाम से विद्याधर नगर, सेक्टर-3, बियानी कालेज के पास आम रास्ते पर अतिक्रमण होने की शिकायत दर्ज कराई गई थी? यदि हां, तो इस शिकायत पर अब तक क्या कार्यवाही की गई है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार द्वारा उक्त अतिक्रमण को चिह्नित कर कार्यवाही कर दी गई है? यदि नहीं, तो क्यों?

(4) क्या सरकार विद्याधर नगर जोन के सम्बन्धित प्रवर्तन अधिकारी द्वारा बरती जा रही शिथिलता पर कार्यवाही करने का विचार रखती है? यदि नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) राजस्थान सम्पर्क पोर्टल राज्य सरकार की वैबसाइट है, जिस पर जयपुर विकास प्राधिकरण क्षेत्र में स्थित राजकीय भूमि पर अतिक्रमण सम्बन्धी शिकायतों के प्राप्त होने पर सम्पर्क पोर्टल से शिकायत का प्रिन्ट लेकर निराकरण हेतु राजकीय भूमि पर स्वामित्व एवं अतिक्रमण की रिपोर्ट सम्बन्धित जोन उपायुक्त कार्यालय से प्राप्त कर जविप्रा अधिनियम 1982 अन्तर्गत धारा 72 का नोटिस अतिक्रमी के नाम से जारी किया जाता है, धारा 72 के अन्तर्गत जारी नोटिस का निर्धारित अवधि में जवाब प्राप्त कर

(नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री)

प्राधिकरण स्तर पर जवाब का गुणावगुण के आधार पर परीक्षण किया जाता है। जिसके आधार पर प्राधिकरण द्वारा अतिक्रमण हटाये जाने/अतिक्रमी के विरुद्ध सक्षम न्यायालय में चालान प्रस्तुत किये जाने की कार्यवाही की जाती है।

(2) जी हां। विद्याधर नगर सैक्टर-3, बियानी कालेज के पास आम रास्ते पर अतिक्रमण होने की प्राप्त शिकायत पर दिनांक 08.07.2016 को एक सामूहिक अभियान आयोजित कर अतिक्रमण मुक्त करा दिया गया है।

(3) खण्ड-2 के अनुसार।

(4) जी नहीं। विद्याधर नगर जोन के सम्बन्धित प्रवर्तन अधिकारी द्वारा शिथिलता नहीं बरती गई है।

सिरोही नगर परिषद में अनियमित नियुक्तियां

8. **श्री भजन लाल जाटव** (वैर): क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि सिरोही नगर परिषद में 1 नवम्बर, 2014 के पश्चात् विभिन्न पदों पर परिषद द्वारा अपने स्तर पर नियुक्ति प्रदान की गई है? यदि हां, तो नियुक्ति आदेशों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा करवाई गई जांच में उक्त नियुक्तियों में अनियमितता पाई गई है? यदि हां, तो जांच रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त अनियमित नियुक्ति के लिए कौन-कौन अधिकारी दोषी है व सरकार द्वारा उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई?

(4) क्या सरकार द्वारा उक्त कार्मिकों को दिया गया वेतन वापस वसूलने के लिए कोई कार्यवाही की गई है? यदि हां, तो क्या व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। नियुक्ति आदेश की प्रति परिशिष्ट 'अ' पर संलग्न है।

(2) जी हां। जांच रिपोर्ट के प्रति परिशिष्ट 'ब' पर सलग्न है।

(3) उपनिदेशक (क्षेत्रीय), जोधपुर द्वारा उपखण्ड अधिकारी, सिरोही की अध्यक्षता में गठित जांच कमेटी की रिपोर्ट के अनुसार उक्त अनियमित नियुक्ति के लिए श्री लालसिंह राणावत तत्कालीन आयुक्त, श्री फकीर चन्द

(स्वायत्त शासन मंत्री)

वाघेला, लेखाकार एवं श्री इन्द्रसिंह राठौड़, कनिष्ठ लिपिक, नगर परिषद, सिरोही का दोषी बताया गया है। श्री लालसिंह राणावत तत्कालीन आयुक्त एवं श्री इन्द्रसिंह राठौड़, कनिष्ठ लिपिक सेवानिवृत हो चुके हैं। श्री फकीर चन्द वाघेला लेखाकार के विरुद्ध सीसीए नियम 16 के अन्तर्गत कार्यवाही करने हेतु आयुक्त नगर परिषद, सिरोही को निर्देशित कर दिया गया है।

(4) वर्तमान में प्रकरण माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर में विचाराधीन है। सात प्रकरणों में माननीय न्यायालय द्वारा स्थगन आदेश पारित किया गया है। तीन व्यक्तियों को सेवा से बर्खास्त कर दिया गया है।

(प्रति पुस्तकालय में रखी गयी)

बीसलपुर बांध की भराव क्षमता बढ़ाने की योजना

9. **श्री कन्हैयालाल** (मालपुरा): क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि विगत पांच वर्षों में प्रदेश में अकाल की स्थिति रही है? क्या सरकार ऐसी स्थिति से निपटने के लिए बीसलपुर बांध की भराव क्षमता को बढ़ाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उक्त बांध से निर्धारित कमाण्ड एरिया की सिंचाई व बचे हुए पानी से पेयजल सम्बन्धित जिलों को पेयजल की व्यवस्था हो पा रही है? यदि हां, तो कितने जिलों को पेयजल उपलब्ध करवाया जा रहा है और पेयजल व्यवस्था हेतु क्या अन्य जिलों को भी इससे जोड़ा जायेगा? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी नहीं। बीसलपुर बांध स्थल पर विगत 30 वर्षों के दौरान जल आवक एवं बांध की भराव क्षमता के मध्यनजर बांध की भराव क्षमता बढ़ाई जानी विचाराधीन नहीं है।

(2) जी हां। बीसलपुर बांध से वर्तमान में 4 जिले जयपुर, अजमेर, टोंक एवं नागौर को पेयजल हेतु पानी उपलब्ध करवाया जा रहा है।

बीसलपुर बांध से पेयजल हेतु आरक्षित 16.20 टी.एम.सी. पानी के विरुद्ध 18.99 टी.एम.सी. की पेयजल योजनाओं की स्वीकृति होने से अन्य जिलों का जोड़ा जाना प्रस्तावित नहीं है।

किशनगंज-शाहबाद क्षेत्र में बांधों के सर्वे हेतु राशि की स्वीकृति

10. श्री ललित कुमार (किशनगंज): क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

क्या यह सही है कि किशनगंज-शाहबाद क्षेत्र में डुबराज नदी पर बिलोदा व मामली के बीच लाम्बादेह मिनी डैम सर्वे हेतु 3.00 लाख, जीना तालाब देवरी हेतु 3.17 लाख व जखा तालाब मझोला के सर्वे हेतु 3.00 लाख के प्रस्ताव सरकार को भिजवाये गये हैं? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त कार्यों की डी.पी.आर. के लिए 9.17 लाख रुपये स्वीकृत करने का विचार रखती है? हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

जी हां। किशनगंज-शाहबाद क्षेत्र में डुबराज नदी पर दीलोद एवं मावली के बीच लाम्बादेह मिनी डैम, जीना तालाब देवरी एवं जाखा तालाब मझोला के सर्वे कार्य हेतु विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास योजना अन्तर्गत प्रस्ताव प्रस्तुत किये गये थे, परन्तु सर्वे कार्य विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के प्रावधानों के अनुरूप नहीं होने से प्रस्ताव विभागीय मद में स्वीकृति हेतु, परीक्षण उपरान्त संसाधन उपलब्धतानुसार निर्णय किया जाना प्रस्तावित है।

भादरा में सिद्धमुख सिंचाई प्रणाली की क्षतिग्रस्त नहरों की मरम्मत

11. श्री संजीव कुमार (भादरा): क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र भादरा में सिद्धमुख सिंचाई प्रणाली के अन्तर्गत आने वाली विभिन्न क्षतिग्रस्त नहरों की मरम्मत करने का प्रस्ताव सरकार को भेजा गया है? यदि हां, तो किस-किस वितरिका, नहर व माईनर का तथा कितनी-कितनी राशि का? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त मरम्मत कार्यों को स्वीकृत कर कब तक पूरा करा दिया जायेगा?

उत्तर

(1) जी हां। कार्यों का विवरण परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(2) मरम्मत कार्यों को स्वीकृति उपरान्त वित्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान पूर्ण किया जाना प्रस्तावित है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

गंगनहर में कैंली की समस्या का समाधान

12. **श्रीमती सोनादेवी** (रायसिंहनगर): क्या इन्दिरा गांधी नहर मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि गत चार महीने (मई, जून, जुलाई, अगस्त, 2016) में गंगनहर में तय हिस्से के अनुसार कम पानी दिया गया है? यदि हां, तो क्यों तथा इसके लिए कौन अधिकारी जिम्मेदार हैं?

(2) गंगनहर में कैंली की समस्या का समाधान कब तक हो जाएगा? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। पंजाब राज्य द्वारा तय शेयर से कम पानी दिये जाने एवं छीजत अधिक होने से गंगनहर में पानी की कमी रही। राज्य सरकार एवं विभागीय अधिकारियों द्वारा तय शेयर अनुसार पानी प्राप्त करने हेतु सतत प्रयास किये जाने से कोई अधिकारी जिम्मेदार नहीं है।

(2) गंगनहर में कैंली पानी में उत्पन्न होने वाली नियमित वीड्स है, जिसे समय-समय पर हटाने की कारवाई की जाती है।

प्रदेश में स्टेट मैरिट-कम-मीन्स छात्रवृत्ति प्रारम्भ करने की योजना

13. **श्री गिर्राज सिंह** (बाड़ी): क्या अल्पसंख्यक मामलात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि वर्ष 2011 के बजट में नई स्टेट मैरिट-कम-मीन्स छात्रवृत्ति योजना प्रारम्भ करने की घोषणा की गई थी?

(2) क्या यह भी सही है कि वर्तमान सरकार द्वारा इस योजना को बन्द कर दिया गया है?

(3) क्या सरकार पुनः इस योजना को प्रारम्भ करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जी नहीं। बजट वर्ष 2016-17 में टोकन मनी का प्रावधान है।

(3) बजट वर्ष 2016-17 में योजना को यथावत रखा गया है।

झुंझुनूं जिले में विधवा व वृद्धावस्था पेंशन का भुगतान

14. श्री बृजेन्द्र सिंह ओला (झुंझुनूं): क्या सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि प्रदेश में विधवा व वृद्धावस्था पेंशन दी जाती है? यदि हां, तो कितनी-कितनी?

(2) गत 2 वर्षों में झुंझुनूं जिले में कितने विधवा व वृद्धावस्था पेंशनधारियों को पेंशन का भुगतान नहीं किया गया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार अब वंचित पेंशनधारियों को पेंशन का भुगतान करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। प्रदेश में सामाजिक सुरक्षा योजनान्तर्गत विधवाओं एवं वृद्धजनों को पात्रता की शर्तें पूर्ण करने पर पेंशन स्वीकृत की जाती है। वर्तमान में राज्य में सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनान्तर्गत निम्न दरों से पेंशन भुगतान देय है:

1. 75 वर्ष से कम आयु के पेंशनर को रुपये 500 प्रतिमाह

2. 75 वर्ष से अधिक आयु के पेंशनर को रुपये 750 प्रतिमाह

(2) गत 2 वर्षों में झुन्झनूं जिलें में आज दिनांक तक कम आयु, डुप्लीकेट, एण्ड डेट, अपूर्ण पता, गलत बैक विवरण, पुनः विवाह, राज्य से बाहर व अन्य कारणों से विधवा एवं वृद्धावस्था पेंशनरों के 2158 पेंशन प्रकरण स्टाप श्रेणी में है, जिनका भुगतान नहीं किया गया है। योजनावार विवरण निम्नानुसार है:

विधवा	वृद्धावस्था
215	1943

(3) उक्त स्टाप पेंशन प्रकरणों में पुनः सत्यापन एवं पात्रता की जांच करने के पश्चात् पेंशन प्रकरणों के पात्र पाये जाने पर भुगतान की कार्यवाही की जा रही है।

सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना में रोकी गई पेंशन का भुगतान

15. श्री रमेश (सपोटरा): क्या सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(श्री रमेश)

(1) सरकार द्वारा जनवरी, 2014 से 31 जुलाई, 2016 तक कुल कितने लोगों की पेंशन किन कारणों से रोकी गई।

(2) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा जिन 3 लाख लोगों को मृत बताकर पेंशन रोकी गई थी, वे जांच में जीवित पाये गये हैं? यदि हां, तो सरकार द्वारा गलत सूचना देने वालों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह भी सही है कि 2.40 लाख लोगों की पेंशन वास्तविकता की जांच किये बिना उन्हें अन्य श्रेणी में बताकर बन्द कर दी गई है? यदि हां, तो इसके लिए दोषियों के विरुद्ध सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई व नहीं, तो क्यों?

(4) क्या सरकार उक्त पेंशनधारियों की पेंशन पुन: प्रारम्भ करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) सामाजिक सुरक्षा योजनान्तर्गत पेंशन की विभिन्न योजनाओं में दिनांक 01 जनवरी, 2014 से 31 जुलाई, 2016 तक स्टाप पेंशनर की संख्या 1,72,520 है। पेंशन स्टाप किये जाने का मुख्य कारण पेंशनर की मृत्यु, कम आयु, डुप्लीकेट, एण्ड डेट, अपूर्ण पता, गलत बैक विवरण, पुन: विवाह, राज्य से बाहर होना, पेंशनर के स्वयं अथवा परिवार के सदस्य (पति/पत्नि/पुत्र) के राजकीय सेवा में होने अथवा उसका पेंशनर होना रहा है।

(2) जी नहीं। यह सही नहीं है कि सरकार द्वारा जिन 3 लाख लोगों को मृत बताकर पेंशन रोक दी गयी है वे जांच में जीवित पाये गये हैं। कतिपय लोगों के जीवित होते हुये मृत बताकर पेंशन बन्द किये गये जाने की सूचना मिलने पर सभी जिला कलक्टर्स के यह निर्देश दिये गये हैं कि प्रत्येक मृत बताये गये पेंशनधारी के घर जाकर ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम सेवक, पटवारी और वार्ड पंच की संयुक्त टीम तथा शहरी क्षेत्र में सम्बन्धित नगर निकाय के अधिकारी एवं वार्ड पार्षद की संयुक्त टीम द्वारा सत्यापन करे तथा सत्यापन में अगर पेंशनर जीवित पाया जावे तो उसकी पेंशन एरियर के साथ प्रारम्भ करे तथा गलत सूचना देने वालो के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही की जाने के आदेश दिये गये हैं। सत्यापन की कार्यवाही जिला स्तर पर चल रही है, जो शीघ्र ही सम्पन्न कर ली जायेगी।

(सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री)

(3) जी नहीं। यह सही नहीं है कि 2.40 लाख लोगों की पेंशन वास्तविकता की जांच किये बिना ही उन्हें अन्य श्रेणी में बताकर समाप्त कर दी गई है। कतिपय पेंशनर के पात्र होते हुये भी अन्य श्रेणी में बताकर पेंशन बन्द किये जाने की सूचना मिलने पर सभी जिला कलक्टर्स को यह निर्देश दिये गये हैं कि अन्य श्रेणी में दर्शाये गये प्रत्येक पेंशनधारी के घर जाकर ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम सेवक, पटवारी और वार्ड पंच की संयुक्त टीम तथा शहरी क्षेत्र में सम्बन्धित नगर निकाय के अधिकारी एवं वार्ड पार्षद की संयुक्त टीम द्वारा सत्यापन करे तथा सत्यापन में अगर पेंशनर पात्र पाया जावे तो उसकी पेंशन एरियर के साथ प्रारम्भ करे तथा गलत सूचना देने वालों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही की जाने के आदेश दिये गये है। सत्यापन की कार्यवाही जिला स्तर पर चल रही है, जो शीघ्र ही सम्पन्न कर ली जायेगी।

(4) यदि किन्हीं प्रकरणों में पेंशन स्वीकृतकर्त्ता अधिकारी के स्तर पर पेंशन आदेश को निरस्तीकरण/स्टाप किये जाने के गलत आदेश जारी किये जाने के कारण पेंशनर की पेंशन बन्द किया गया है तो उन प्रकरणों में पेंशनर की पेंशन निरस्त किये जाने की दिनांक से एरियर राशि देने एवं पेंशन नियमानुसार तुरन्त प्रारम्भ करने की कार्यवाही करने के आदेश जारी कर दिये गये है।

प्रदेश के गोदामों में अनाज का भण्डारण

16. **श्री विद्याशंकर नन्दवाना** (पीपल्दा): क्या खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि प्रदेश के गोदामों में गेहूं और चावल रखा हुआ है? यदि हां, तो कहां-कहां और कितना-कितना?

(2) क्या सरकार के पास उक्त के लिये भण्डारण की सुरक्षित व्यवस्था है? यदि हां, तो कहां-कहां? जिलेवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि प्रदेश के गोदामों में क्षमता से अधिक गेहूं और चावल का भण्डारण होने के कारण अनाज खराब हो रहा है?

उत्तर

(1) जी हां। भारतीय खाद्य निगम, क्षेत्रीय कार्यालय, जयपुर से प्राप्त सूचना अनुसार राजस्थान क्षेत्र में भारतीय खाद्य निगम के स्वयं के गोदामों तथा किराये पर लिये गये गोदामों में रखे गये गेहूं एवं चावल का डिपोवार विवरण परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री)

(2) जी हां। भारतीय खाद्य निगम के पास गेहूं और चावल के भण्डारण के लिये सुरक्षित एवं पर्याप्त व्यवस्था है, जिसका जिलेवार विवरण परिशिष्ट-ब पर संलग्न है।

(3) जी नहीं। विगत तीन वर्षों के दौरान राजस्थान क्षेत्र में स्थित भारतीय खाद्य निगम के स्वयं के गोदामों एवं निगम द्वारा किराये पर लिये गये गोदामों में गेहूं और चावल, भण्डारण क्षमता से अधिक भण्डारण के कारण खराब नहीं हुआ है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

प्रदेश में रियायती दर पर दाल वितरण की कार्य योजना

17. **श्री हनुमान बेनीवाल** (खींवसर): क्या खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि सरकार की मांग पर केन्द्र द्वारा आबंटित एक हजार मैट्रिक टन दाल केन्द्र के अनुरोध के बावजूद राज्य सरकार नहीं उठा रही है?

(2) क्या राज्य सरकार उपभोक्ताओं को राहत देने के लिए केन्द्र सरकार से आबंटित दाल को उठाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।.

(3) क्या राज्य सरकार के पास जनता को रियायती दरों पर दाल उपलब्ध करवाने के लिए कोई कार्य योजना विचाराधीन है? यदि हां, तो क्या? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी, हां। दालों के गिरते भावों तथा केन्द्र सरकार से आबंटित दालों को तैयार करने में आने वाली लागत को देखते हुए आबंटित दालों का उठाव नहीं किया जा रहा है।

(2) जी नहीं। राज्य में इस वर्ष अच्छी वर्षा होने से खरीफ की फसल में उत्पादित होने वाली दलहन यथा- मूंग, उड़द, मोठ, चौला इत्यादि की अच्छी पैदावार होने की संभावना है। इन दिनों दालों के भावों में कमी आयी है। वर्तमान में दालों के भावों में उतार-चढ़ाव का विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री)

केन्द्र सरकार से आबंटित दलहन-उड़द तथा तुअर से दालों को तैयार कर वितरित किये जाने के सम्बन्ध में दाल मिल एसोसियेशन के प्रतिनिधियों से मांगे गये प्रस्तावों में दलहन से दाल तैयार करने में 32 प्रतिशत छीजत बताये जाने से दालों का विक्रय मूल्य (परिवहन, मिलिंग, छीजत इत्यादि को देखते हुए) लगभग रुपये 120/- प्रतिकिलो आता है तथा वर्तमान में दालों के भावों में आ रही गिरावट को देखते हुए आबंटित दलहन से दाल तैयार करवाकर विक्रय किया जाना आर्थिक दृष्टि से अलाभप्रद है।

(3) जी हां। प्रमुख शासन सचिव/अतिरिक्त खाद्य आयुक्त की अध्यक्षता में दाल मिलर्स एसोसियेशन के प्रतिनिधियों के साथ समय-समय पर मीटिंग कर दालों के भावों पर नियंत्रण करने पर विशेष नजर रखी जा रही है।

राजस्थान राज्य में दालों पर स्टाक सीमा दिनांक 20.10.2015 से लागू है।

दाल मिलर्स द्वारा पूर्व में 36 दाल वितरण काउन्टर्स खोलकर सस्ती दर पर दाल वितरण का कार्य किया गया था। दालों के गिरते भावों के मद्देनजर अब केवल 6 दाल काउन्टर्स पर सस्ती दर पर उड़द/तुअर दाल रुपये 120/-, मूंग दाल रुपये 96/-, मूंग दाल छिलका रुपये 82/-, मटर दाल रुपये 40/- प्रतिकिलो की दर से वितरित की जा रही है।

दिनांक 29.08.2016 तक कुल 4723.28 क्विंटल दालें वितरित की जा चुकी हैं।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

प्रश्न संख्या-18

(स्थगित)

जयपुर/जोधपुर में पंजीकृत पेइंग गैस्ट हाउस

19. श्री जोगाराम पटेल (लूणी): क्या पर्यटन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) विभाग की जयपुर व जोधपुर शहर की वेबसाईट पर कितने पेईंग गैस्ट हाउस रजिस्टर्ड है तथा कितने पेईंग गेस्ट हाउस बिना विधिवत रजिस्ट्रेशन के ही चल रहे हैं?

(2) क्या यह सही है कि विभाग की आफिशियल पेईंग गैस्ट हाउस

(श्री जोगाराम पटेल)

की जो रोजाना के चार्जेज की टैरिफ बतलाई गई है, उसमें व वास्तव में वसूल की जा रही राशि में अन्तर है? यदि हां, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विभाग की वैबसाईट पर जयपुर एवं जोधपुर के रजिस्टर्ड पेईंग गैस्ट हाउस की सूचना निम्नानुसार है:-

जयपुर- 154

जोधपुर- 100

विभाग में उपलब्ध जानकारी अनुसार जयपुर एवं जोधपुर में बिना विधिवत रजिस्ट्रेशन के कोई भी पेईंग गैस्ट हाउस संचालित नहीं है।

(2) पर्यटन विभाग द्वारा जब भी किसी हाउस को पेईंग गैस्ट हाउस में पंजीकृत किया जाता है तो उसके मालिक को एक सर्टिफिकेट जारी किया जाता है, जिसमें उसके पेईंग गैस्ट हाउस में उपलब्ध कमरों के प्रतिदिन चार्जेज की राशि अंकित की जाती है। इस प्रकार पेईंग गैस्ट हाउस संचालक अंकित टैरिफ से कम राशि तो वसूल कर सकता है किन्तु अंकित टैरिफ से अधिक चार्ज पर्यटक से वसूल नहीं कर सकता है। आदिनांक तक किसी भी पर्यटक से जयपुर एवं जोधपुर कार्यालय में किसी भी पेईग गेस्ट हाउस मालिक द्वारा अंकित टैरिफ से अधिक चार्ज वसूल किए जाने की शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

कोटा जिले में संरक्षित पुरासम्पदाएं

20. **श्री हीरालाल नागर** (सांगोद): क्या कला, साहित्य, संस्कृति एवं पुरातत्व राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) कोटा जिले में पुरातत्व विभाग की कितनी संरक्षित परिसम्पदाएं हैं? सम्पदावार पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त जिले की पुरासम्पदा में से ऐसी कितनी परिसम्पदाएं हैं, जिनका पुरातात्विक महत्व के साथ-साथ धार्मिक महत्व भी है और जहां पर बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं का आवागमन होता है? पुरासम्पदावार नाम सहित पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि सांगोद विधान सभा क्षेत्र स्थित चार चौमा शिवमंदिर अतिप्राचीन एवं कलात्मक धरोहर है, जो अब जीर्ण-शीर्ण में है? यदि

(श्री हीरालाल नागर)

हां, तो इसका निर्माण कब और किसके द्वारा करवाया गया व इसे संरक्षित सूची में कब रखा गया और तब से अब तक इसके जीर्णोद्धार पर कब-कब कितनी-कितनी राशि व्यय की गई? करवाये गये कार्य सहित पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह भी सही है कि चारचौमा शिव मन्दिर में शिवरात्री पर लगने वाले मेले में हजारों श्रद्धालु आते हैं और भारी भीड़ के बीच यहां स्थित कुण्ड में डूबने से अब तक एक दर्जन से अधिक लोगों की म़त्यु हो चुकी है, किन्तु पुरामहत्व की संरक्षित धरोहर होने के कारण अन्य विभाग एवं संस्थायें इस कुण्ड के भीतर सुरक्षा जाल नहीं लगा सकते हैं? यदि हां, तो सरकार लोगों की जीवन रक्षा के लिए उक्त स्थान पर क्या उपाय करने का विचार रखती है? पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखें।

(5) क्या यह भी सही है कि उक्त धार्मिक स्थल पर प्रतिवर्ष भारी संख्या में श्रद्धालु आते हैं किन्तु यहां पर जगह का अभाव होने के कारण उन्हें धर्मशाला व शौचालय आदि की आधारभूत सुविधायें नहीं मिल पाती? यदि हां, तो क्या सरकार संरक्षित धरोहर के क्षेत्र में आधारभूत सुविधाओं के विकास हेतु अनुमति प्रदान करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) कोटा जिले में पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग के अधीन संरक्षित स्मारकों की सूची परिशिष्ट-अ पर तथा केन्द्र सरकार के भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के अधीन संरक्षित स्मारकों की सूची परिशिष्ट-ब पर संलग्न है।

(2) पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग के अधीन संरक्षित स्मारकों में से धार्मिक महत्व के स्मारक, जहां बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं का आवागमन होता है, की सूची परिशिष्ट-स पर तथा भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के अधीन धार्मिक महत्व के संरक्षित स्मारकों की सूची परिशिष्ट-द पर संलग्न है।

(3) सांगोद विधान सभा क्षेत्र स्थित चार चौमा शिव मन्दिर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, जयपुर मण्डल, जयपुर के अधीन केन्द्रीय संरक्षित स्मारक है, जो संरक्षण की दृष्टि से अच्छी अवस्था में है। इस मन्दिर का निर्माण 6वीं शताब्दी में गुप्तवंश के शासको द्वारा गुप्त काल में करवाया गया। यह स्मारक

(कला, साहित्य, संस्कृति एवं पुरातत्व राज्य मंत्री)

प्राचीन संस्मारक एवं पुरास्थल एवं अवशेष अधिनियम 1951 की धारा LXXI के तहत दिनांक 28.11.1951 को संरक्षित घोषित किया गया।

उक्त स्मारक के संरक्षण, वार्षिक मरम्मत एवं रख-रखाव पर गत पांच वर्षों में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा व्यय की गई राशि का विवरण परिशिष्ट-य पर संलग्न है।

(4) भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, जयपुर मण्डल द्वारा इस कुण्ड के संरक्षण एवं सुरक्षा सम्बन्धित व्यवस्था की जा रही है।

(5) यह स्मारक भारत सरकार के भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग द्वारा संरक्षित होने के कारण आधारभूत सुविधाओं का विकास एवं अनुमति भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग द्वारा प्रदान की जाती है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

प्रारम्भिक/माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षकों का सैटअप परिवर्तन

21. श्री नारायण सिंह देवल (रानीवाड़ा): क्या शिक्षा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

क्या सरकार द्वारा प्रदेश के प्रारम्भिक/माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षकों के पदों का समानीकरण किया जाकर सैटअप परिवर्तन कर पदस्थापन काउंसलिंग के माध्यम से किया गया है? यदि हां, तो जालोर जिले में ऐसे कितने शिक्षकों का पदस्थापन काउंसलिंग के माध्यम से किया गया एवं इस पदस्थापन के विरुद्ध कितनी परिवेदना प्राप्त हुई? उक्त परिवेदनाओं का निस्तारण किन नियमों के तहत किया गया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

जी हां। शिक्षा विभाग अन्तर्गत जिला जालौर में 1116 शिक्षकों का प्रारम्भिक शिक्षा सैटअप से माध्यमिक शिक्षा सैटअप में परिवर्तन उपरांत काउन्सलिंग के माध्यम से पदस्थापन किया गया। उक्त पदस्थापन के विरुद्ध 182 अध्यापकों की परिवेदनाऐं प्राप्त जिनका निस्तारण राज्य सरकार के आदेश क्रमांकः प. 17(2)शिक्षा-2/2003 दिनांक 27.6.2016 द्वारा प्रदत्त निर्देशों के तहत किया गया, आदेश की प्रति परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

प्रारम्भिक शिक्षा विभाग अन्तर्गत स्टाफिंग पैटर्न के अनुसार विद्यालयों

(शिक्षा राज्य मंत्री)

में शिक्षकों के पदों की संख्या का निर्धारण कर प्रारम्भिक शिक्षा के अधिशेष तथा माध्यमिक शिक्षा विभाग द्वारा लौटाये गये शिक्षकों का पदस्थापन/समायोजन काउन्सलिंग के माध्यम से समायोजित/पदस्थापित अधिशेष शिक्षकों का विवरण परिशिष्ट "ब" पर संलग्न है। प्रारम्भिक शिक्षा विभाग अन्तर्गत जिला जालोर में कॉउन्सलिंग के माध्यम से समायोजन/पदस्थापन के विरुद्ध किसी तरह की परिवेदना प्राप्त नहीं हुई।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

दौसा के विद्यालयों में पोषाहार हेतु रसोई घरों का निर्माण

22. **श्री शंकर लाल शर्मा** (दौसा): क्या शिक्षा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र दौसा के सभी प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों में पोषाहार बनाने के लिये रसोई घर बने हुये हैं? यदि नहीं, तो विधान सभा क्षेत्र दौसा में रसोई घर विहीन विद्यालयों की कारण सहित सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार उक्त विधान सभा क्षेत्र के सभी प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों में पोषाहार निर्माण हेतु रसोई घर बनाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र दौसा में कुल 372 राजकीय प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालय हैं, जिनमें से 330 विद्यालयों में पोषाहार बनाने के लिये रसोई घर बने हुए हैं। शेष 42 विद्यालयों में रसोई घर का निर्माण नहीं हुआ हैं। विधान सभा क्षेत्र दौसा में रसोईघर विहीन विद्यालयों की सूची नहीं बनाने के कारण सहित विवरण परिशिष्ट "क" पर संलग्न हैं।

(2) जी हां। दौसा जिले के समस्त राजकीय विद्यालयों में रसोई घर निर्माण हेतु राशि आबंटित की हुई है, परन्तु मिड-डे-मील योजनान्तर्गत विधान सभा क्षेत्र दौसा में कुल 42 निर्माण नहीं हो सका है, यथा भूमि की अनुपलब्धता, विद्यालय भवन स्वयं का नहीं होने के कारण आदि। रसोई घर

(शिक्षा राज्य मंत्री)

विहीन विद्यालयों में रसोई घर निर्माण शीघ्र पूर्ण किये जाने के प्रयास किये जा रहे हैं।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

राजस्थान स्वेच्छया ग्रामीण सेवा के कार्मिकों को बकाया का भुगतान

23. श्री रामनारायण (नसीराबाद): क्या शिक्षा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या सरकार द्वारा राजस्थान स्वेच्छया ग्रामीण शिक्षा सेवा नियम, 2010 के तहत राज्य सेवा में समायोजित शिक्षक व कर्मचारियों को ग्रेच्यूटी, अवकाश नगदीकरण, वरिष्ठ/चयनित वेतनमान तथा छठे वेतनमान के ऐरियर का भुगतान प्रबन्ध समितियों के द्वारा किये जाने के लिए आदेश/निर्देश जारी किये गये हैं? यदि हां, तो जारी आदेशों की प्रतियां सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि उक्त आदेशों की पालना नहीं की जा रही है? यदि हां, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार राजस्थान स्वेच्छया ग्रामीण शिक्षा सेवा नियम, 2010 के तहत राज्य सेवा में समायोजित शिक्षक व कर्मचारियों की समायोजन पूर्व की ग्रेच्यूटी, अवकाश नगदीकरण, वरिष्ठ/चयनित वेतनमान तथा छठे वेतनमान के ऐरियर का भुगतान करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। राजस्थान स्वेच्छया ग्रामीण शिक्षा सेवा नियम, 2010 के नियम 5(vii) के अनुसार इन नियमों के अधीन नियुक्ति के पश्चात सरकार में उनके पद ग्रहण की तारीख से पूर्व की कालावधि के लिए राज्य सरकार द्वारा किसी भी मुद्दे, कोई भी बकाया, चाहे वह कुछ भी हो (वेतन, चयनित वेतनमान, सुनिश्चित कैरियर वृद्धि या कैरियर समुन्नति स्कीम के बकाया को सम्मिलित करते हुए) संदत्त नहीं किये जायेगें। नियम 5(viii) के अनुसार कर्मचारी सम्बन्धित सहायता अनुदानित शैक्षिक संस्थाओं से उपार्जित अवकाश के अतिशेष के नगदीकरण का भुगतान प्राप्त करने के लिए स्वतंत्र होंगे। नियम 5(X) के अनुसार कर्मचारी सम्बन्धित सहायता अनुदान प्राप्त शैक्षिक

(शिक्षा राज्य मंत्री)

संस्था से उपादान का संदाय प्राप्त करने के लिए स्वतंत्र होंगे। सरकार के पत्रांक प.8(4) शिक्षा-5/2011 जयपुर दिनांक 08.11.2011 के बिन्दु संख्या 02 के अनुसार राज्य सेवा में कार्य ग्रहण करने से पूर्व जिस गैर सरकारी अनुदानित शिक्षण संस्था में कार्मिक कार्यरत थे, उस संस्था के द्वारा ही अपने निजी वित्तीय स्रोतों से समस्त एरियर राशि का भुगतान किया जायेगा। नियम/आदेशों की प्रतियां परिशिष्ट"क" पर संलग्न है।

(2) जी नहीं। अनुदानित कर्मचारियों के राजकीय सेवा में नियुक्ति से पूर्व के विभिन्न मदों के बकाया भुगतान सम्बन्धित संस्था एवं पूर्व में अनुदानित कर्मचारियों का आपसी मामला है, इस सम्बन्ध में नियमों में सरकार को दोनों पक्षों के मध्य हस्तक्षेप करने का प्रावधान नहीं है।

(3) जी नहीं। क्योंकि नियमों में प्रावधान नहीं होने के कारण विभाग के समक्ष कर्मचारियों/अध्यापकों के राज्य सेवा में नियुक्ति से पूर्व के किसी बकाया का भुगतान करने के प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(प्रति पुस्तकालय में रखी गयी)

प्रश्न संख्या-24

(स्थगित)

प्रदेश के खान विभाग में सलाहकारों की नियुक्ति

25. **श्री घनश्याम तिवाड़ी** (सांगानेर): क्या खान राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि विभाग में गत दो वर्षो में विभिन्न योजनाओं में संभावित कार्यों हेतु सलाहकारों की नियुक्ति की गयी थी? यदि हां, तो किस-किस कार्यों के लिए किस-किस को सलाहकार नियुक्त किया गया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त में से किस-किस सलाहकार ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी एवं किस-किस की रिपोर्ट बकाया है? रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं करने पर सलाहकारों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सलाहकारों द्वारा निर्धारित समय में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं करने पर भी उनको भुगतान किया गया है? यदि हां, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

(4) क्या उक्त सलाहकारों की नियुक्ति से पूर्व वित्त विभाग से कोई अनुमति ली गयी थी? यदि नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। खान एवं भू-विज्ञान विभाग, पैट्रोलियम विभाग, आर.एस.एम.एम.एल. तथा राजस्थान राज्य गैस लिमिटेड में विभिन्न कार्यों हेतु कन्सल्टेन्ट की नियुक्ति की गई है। विभिन्न कार्य एवं कन्सल्टेन्ट का विवरण परिशिष्ट-1 पर उपलब्ध है।

(2) उक्त में से आर.एस.एम.एम.एल. के निम्नांकित कन्सल्टेन्ट्स का कार्य जारी है :-

1. मै. एएमईजीटीएस, चित्तौड़गढ़
2. मै. एस.बी.आई. कैपिटल मार्केट लि.
3. मै. हर्बट एनवायरो केयर सिस्टम प्रा.लि., चेन्नई

शेष सभी कन्सल्टेन्ट्स ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है। रिपोर्ट प्रस्तुत न करने वालों के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की गई है।

(3) जी नहीं। जिन कन्सल्टेन्ट्स द्वारा कार्य पूर्ण कर लिया है, उन्हें ही भुगतान किया गया है एवं जिन्होंने कार्य पूर्ण नहीं किया, उन्हें भुगतान नहीं किया गया है।

(4) जी हां। पैट्रोलियम विभाग के कन्सल्टेन्ट वित्त विभाग की सहमति से नियुक्त किये गये, खान एवं भू-विज्ञान विभाग में कन्सल्टेन्ट भारत सरकार के स्तर से नियुक्त किये गये एवं आर.एस.एम.एम.एल. तथा राजस्थान राज्य गैस लिमिटेड में नियुक्त कन्सल्टेन्ट कम्पनी के निदेशक मण्डल से प्राप्त अधिकारों के अनुसार नियुक्त किये गये।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

अलवर जिले में अवैध खनन पर कार्यवाही

26. डा. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़): क्या खान राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि सरकार प्रदेश में अवैध खनन रोकने में विफल रही है? यदि हां, तो किन कारणों से? कारणों सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(डा. जसवन्त सिंह यादव)

(2) अलवर जिले में गत दो वर्षों में अवैध खनन रोकने हेतु सरकार द्वारा कहां-कहां क्या-क्या कार्यवाही की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त जिले में गत दो वर्षों में अवैध खनन करने वालों के विरुद्ध कितने मुकदमे दर्ज हुए व पेनल्टी के रूप में कितनी राशि सरकार को प्राप्त हुई एवं कितने लोगों को सजा हुई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी नहीं। अवैध खनन की रोकथाम हेतु खान, वन, राजस्व, परिवहन विभाग का पुलिस व प्रशासन के सहयोग से समय-समय पर संयुक्त अभियान चलाया जाता है एवं खान विभाग के स्तर से भी नियमित कार्यवाही कर अवैध खनन पर अंकुश लगाया गया है।

(2) अलवर जिले में गत दो वर्षों एवं चालू वित्तीय वर्ष में अवैध खनन/परिवहन कर्ताओं के विरुद्ध खान, वन एवं पुलिस द्वारा सम्बन्धित थानों में क्रमशः 797, 594 एवं 116 एफ.आई.आर. दर्ज कराई गई है। खान विभाग द्वारा वर्ष 2014-15 में 190 प्रकरण बनाये जाकर 1.79 करोड़ की शास्ति, वर्ष 2015-16 में 225 प्रकरण बनाये जाकर 1.16 करोड़ की शास्ति एवं वर्तमान वित्तीय वर्ष में 60 प्रकरण बनाये जाकर 54.62 लाख की शास्ति वसूली गई है। खान विभाग द्वारा की गई कार्यवाही का विवरण परिशिष्ट-1 पर उपलब्ध है।

इसी प्रकार वन विभाग द्वारा अवैध खनन की रोकथाम हेतु वन क्षेत्रों में पक्की दीवार बनाने, अवैध खनन परिवहन के रास्तों में जल संरक्षण संरचनायें बनाकर रास्ते अवरूद्ध करने एवं वन अधिनियम की धारा 41 एवं 42 के अन्तर्गत कुल 1213 प्रकरण बनाये जाकर अवैध खनन परिवहन में प्रयुक्त वाहन/मशीनरी को जब्त किया गया, विवरण परिशिष्ट-2 पर उपलब्ध है।

(3) उक्त जिले में गत दो वर्षों में अवैध खनन के विरुद्ध दर्ज मुकदमों एवं पैनल्टी वसूली का विवरण खण्ड-2 के उत्तर में दिया गया है। मुकदमों में अब तक सजा नहीं हुई है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

परिशिष्ट-1

लिखित वक्तव्य

संविधान (122वां संशोधन) विधेयक, 2014 के अनुसमर्थन में श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री) का वक्तव्य

अध्यक्ष महोदय,

आज सदन में संविधान (एक सौ बाइसवां संशोधन) विधेयक, 2014 के इस विधान सभा के द्वारा अनुसमर्थन किये जाने पर चर्चा हो रही है।

संविधान के आर्टिकल 368 नियम 2 के उप नियम बी और सी के प्रावधान अनुसार संविधान संशोधन के लिए देश की 50 फीसदी विधान सभाओं से संवैधानिक अनुसमर्थन आवश्यक है।

मुझे यह कहते हुए प्रसन्नता है कि जीएसटी के लिए लाये गये 122वें संविधान संशोधन का अनुसर्मथन करने वाला राजस्थान...राज्य है।

122वें संविधान संशोधन के माध्यम से देश एक नये आर्थिक परिवर्तन आगाज हो रहा है। मुख्य रूप से संविधान संशोधन द्वारा आर्टिकल 246ए में राज्य के कर लगाने के अधिकार व केन्द्र के कर लगाने के अधिकार को सम्मिलित करने का प्रावधान कर भारत सरकार देश की कर प्रणाली में आमूल-चूल परिवर्तन का युग प्रारम्भ हो रहा है।

संविधान संशोधन से यह एक प्रकार से जीएसटी अर्थात वस्तु एवं सेवा कर के रूप में एक एकीकृत अप्रत्यक्ष कर प्रणाली (Integrated Indirect Tax System) देश में लागू हो रहा है। हम यह कह सकते हैं कि देश में केन्द्र व राज्य सरकारों द्वारा लगाये जाने वाले विभिन्न अप्रत्यक्ष करों का एकीकरण जीएसटी के रूप में हो रहा है। यह देश के अप्रत्यक्ष कर (Indirect Tax) के बुनियादी परिवर्तन का आगाज है।

करों के सुधार की चर्चा विशेषत: अप्रत्यक्ष कर सुधार (Indirect Tax Reforms) पर 80 के दशक में भारत सरकार ने एल.के. झा कमेटी बनाई। NDA के पूर्व कार्यकाल में केलकर टास्क फोर्स बनी और वर्ष 2003 में केलकर समिति की सिफारिशें सार्वजनिक की गई। केलकर समिति ने सुझाव दिया कि देश की अप्रत्यक्ष कर प्रणाली में बुनियादी परिवर्तन लाना चाहिए।

देश में वस्तुओं और सेवाओं पर केन्द्र सरकार व राज्य सरकार

वस्तुतः विभिन्न प्रकार के अप्रत्यक्ष कर लगाती है, यह व्यवस्था समाप्त कर उनके स्थान पर विभिन्न करों का एकीकरण कर एक ही प्रकार से वस्तु एवं सेवा कर (GST) लगाये जायें। इस प्रकार के लक्ष्य के संवैधानिक प्रावधान करने के प्रस्ताव के अनुसमर्थन (Ratification) का सदन आज विचार कर रहा है।

वर्ष 2006-07 के केन्द्रीय बजट में पहली बार वित्त मंत्री श्री प्रणब मुखर्जी ने यह घोषणा की थी, कि 01 अप्रैल, 2010 से देश में जीएसटी लागू किया जायेगा।

मूलतः संविधान में राज्य व केन्द्र को कर लगाने के लिए संवैधानिक अधिकार आर्टिकल 110 व 111 में दिये गये हैं। इस अधिकार को विचाराधीन संविधान संशोधन विधेयक के आर्टिकल 246ए नया आर्टिकल बनाकर एकीकृत रूप से जीएसटी के माध्यम से राज्य व केन्द्र को सम्मिलित रूप से जीएसटी कर लगाने का अधिकार देने का प्रावधान किया जा रहा है।

वर्ष 2003 में राजस्थान बिक्री कर अधिनियम 1994 के स्थान पर राजस्थान वैट अधिनियम इसी सदन द्वारा पारित किया गया। राज्य में वैट प्रणाली प्रारम्भ हुई। आज हम कह सकते हैं कि वैट प्रणाली राजस्थान राज्य के आर्थिक बदलाव के लिए अत्यन्त ही महत्वपूर्ण रही तथा राज्य के राजस्व कर में 22% प्रतिशत की शानदार बढ़ोत्तरी हुई।

मैं, यह कह सकता हूं कि जीएसटी वैट व्यवस्था का अगला लॉजिकल स्टेप है।

अध्यक्ष महोदय,

प्रस्तावित संविधान संशोधन आर्टिकल 246ए के अनुसार इस संविधान संशोधन के बाद आर्टिकल 246 व आर्टिकल 254 में उल्लेखित प्रावधानों के अनुसार संसद व प्रत्येक राज्य की विधान सभा को जीएसटी कानून बनाने का वैधानिक अधिकार मिल जायेगा तथा जीएसटी आर्टिकल 246ए में संशोधन के माध्यम से अन्तराज्यीय व्यापार पर भी आईजीएसटी जिसकी कर दरों का निर्धारण आर्टिकल 279ए के माध्यम से बनी जीएसटी काउंसिल करेगी तथा जिन करों का संग्रहण भारत सरकार करेगी, का राज्यों को निर्धारित रीति के अनुसार बंटवारा किया जायेगा। तथा आईजीएसटी वस्तु, सेवा यहां तक की आयात में भी देय होगा।

आज देश में वस्तु और सेवाओं पर विभिन्न प्रकार के कर लगे हुए हैं। इनमें कुछ कर केन्द्र सरकार लगाती है जैसे :- उत्पाद कर (Excise Tax),

सेवा कर (Service Tax), सीमा शुल्क (Custom Duty) CST तथा कुछ कर राज्य सरकार लगाती हैं, जैसे :- वैट, मनोरंजन कर, प्रवेश कर, विलासिता कर (Luxury Tax) व विभिन्न प्रकार के सैस।

एक ही वस्तु पर अलग-अलग कर लगने से उद्योगपति, व्यापारी, उपभोक्ता एवं आमजन को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अब इन सभी करों को एकीकृत रूप में केन्द्रीय वस्तु एवं सेवा कर (CGST), राज्य वस्तु एवं सेवा कर (SGST), एकीकृत वस्तु एवं सेवा कर (IGST) में सभी करों को शामिल करने से जहां देश के अन्दर अप्रत्यक्ष करों के मकडजाल से उपभोक्ताओं को राहत मिलेगी। वहीं व्यापारिक गतिविधियां बढ़ने व सरलीकृत व्यापार व्यवस्था तथा Ease of doing business व समान बाजार के विकसित करने की अवधारणा को बल मिलेगा।

और मैं, दावे के साथ कह सकता हूं कि राजस्थान की विकास दर में GST लागू होने के बाद लगभग 2 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी होने की पूरी-पूरी संभावना है। हम वर्ष 2015-16 में 10.12 प्रतिशत विकास दर का अग्रिम अनुमान लगा सकते हैं।

अध्यक्ष महोदय,

चूंकि GST Destination base Tax तथा इसके लागू होने के बाद करों पर कर नहीं लगेगा तथा कर चोरी रोकने में भी ज्यादा मशक्कत नहीं करनी पड़ेगी।

आज होता क्या है? यदि आज किसी रेस्टोरेंट में भोजन करने जाएं तो पहले खाने पर बिक्री कर (Sales Tax) फिर सेवा पर सेवा कर (Service Tax) तथा अगर होटल बड़ा है फाईव स्टार हो तो, विलासिता कर (Luxury Tax) तथा राज्य द्वारा निर्धारित वैट कर का भुगतान करना पड़ता है।

इसी प्रकार यदि कोई उद्योगपति वस्तु का निर्माण करता है तो सर्वप्रथम उत्पाद कर (Exicse Tax) फिर वस्तु के विक्रय पर बिक्री कर (Sales Tax) टर्न ओवर ठीक हो तो, टर्न ओवर टैक्स व अन्य कई प्रकार के अतिरिक्त कर व सैस अलग से अलग-अलग रूप से दिये हैं।

यानी एक प्रकार से सभी जगह टैक्स देना पड़ेगा और अलग-अलग रिटर्न फाईल करने के कारण परेशानी का सामना करना पड़ता है।

GST के प्रभावी होने से वर्तमान में कर के ऊपर कर लगाने की व्यवस्था पूर्णतया समाप्त होगी तथा व्यापक रूप से (Cascading effect) के

समाप्त होने से उत्पादन व सेवाओं की कीमतों में कमी आयेगी जिससे आमजन को महंगाई से राहत मिलेगी।

जैसा मैंने पहले कहा, कि GST Destination base Tax है। जिस राज्य में वस्तु या सेवा का अंतिम रूप से उपभोग होगा उस राज्य को ऐसी वस्तु व सेवा पर लगे हुए राज्य वस्तु एवं सेवा कर (SGST) व एकीकृत वस्तु एवं सेवा कर (IGST) से प्राप्त राशि सम्बन्धित राज्य में हस्तांतरित (Transfer) होगी। चूंकि राजस्थान सामान्यत: Consumer State है, अत: इस व्यवस्था से राजस्थान को हर हालत में लाभ मिलेगा।

अध्यक्ष महोदय,

प्रस्तावित विधेयक में पैट्रोलियम, क्रूड आयल, हाई स्पीड डीजल, पेट्रो उत्पाद, प्राकृतिक गैस व शराब को GST के अधिकार क्षेत्र से बाहर रखा है। इनसे मिलने वाला राजस्व राज्य को यथावत मिलता रहेगा। पैट्रोलियम उत्पादों पर वर्तमान में लागू वैट व्यवस्था पूर्व की भांति जारी रहने से राज्य को वेट के रूप में भी पर्याप्त राजस्व मिलता रहेगा।

राज्य में कर योग्य वस्तुओं व सेवाओं की प्रत्येक सप्लाई पर CGST एवं SGST लगेगी। CGST केन्द्र सरकार के खाते में जमा होगी जबकि SGST राज्य सरकार के राजकोष में जमा होगी। अब तक सेवाओं पर कर लगाने का अधिकार मात्र केन्द्र सरकार के पास था, परन्तु GST लागू होने से सेवाओं की सप्लाई पर करारोपण का अधिकार राज्य को प्राप्त हो जायेगा। इससे Base of Taxation बढ़ेगा यानि कर का दायरा व्यापक होगा, जिससे राज्य सरकारों को फायदा होगा।

देखा जाए तो देश में प्रस्तावित विधेयक के लागू होने से विभिन्न दर्जनों अप्रत्यक्ष करों के स्थान पर केवल 3 टैक्स रह जायेंगे केन्द्रीय वस्तु एवं सेवा कर (CGST), राज्य वस्तु एवं सेवा कर (SGST), एकीकृत वस्तु एवं सेवा कर (IGST)। चूंकि सम्पूर्ण प्रणाली आनलाइन होगी तथा इसके लिए नॉन प्राफिट कम्पनी GSTN के गठन का प्रावधान किया गया है। जो GST के सम्बन्ध में सम्पूर्ण IT सम्बन्धी सभी आवश्यकताओं को पूरा करेगी।

अब व्यापारी का सीधा सम्बन्ध GSTN की साइट से होगा। रजिस्ट्रेशन हो या रिटर्न टैक्स पेमेन्ट हो या रिफण्ड आदि सारे कार्य पारदर्शी तरीके से GSTN की साईट के माध्यम से आनलाइन होंगे।

राज्य के बाहर से खरीदे गये माल और सेवाओं पर चुकाये गये IGST का इनपुट टैक्स क्रेडिट भी व्यापारी को आनलाइन प्राप्त होगा जिससे व्यापारियों को राहत मिलेगी व वस्तु की लागत में कमी आयेगी।

GST व्यवस्था का तीसरा कर एकीकृत वस्तु एवं सेवा कर (IGST) अन्तरराज्यीय वस्तु विक्रय व सेवाओं पर लगेगा इस IGST कर का प्रशासन तो केन्द्र सरकार द्वारा किया जायेगा। परन्तु चूंकि यह कर राज्य में लगने वाले CGST व SGST का वस्तुतः योग है। अतः IGST में से SGST कम्पोनेन्ट फण्ड का ट्रांसफर भी GST Council द्वारा निर्धारित व्यवस्था से सम्बन्धित राज्यों को होगा।

इसी प्रकार राज्य में उपयोग होने वाले एवं सेवाओं पर राज्य के निवासियों द्वारा अन्य राज्यों में चुकाये गये IGST में से SGST कम्पोनेन्ट भी राज्यों को मिलेगा।

अध्यक्ष महोदय,

प्रस्तावित संविधान संशोधन के अनुसार आर्टिकल 279 में GST Council के गठन का प्रावधान किया गया है। वस्तुतः GST Council सर्वाधिकार प्राप्त GST कानून की सबसे सर्वोच्च संस्था है, केन्द्रीय वित्त मंत्री GST Council के अध्यक्ष होंगे तथा सभी राज्य सरकारों से एक-एक प्रतिनिधि इस GST Council के सदस्य होंगे।

Council में सभी निर्णय 3/4 बहुमत से निर्णित किये जायेंगे। कौंसिल में 2/3 वोट राज्यों के तथा 1/3 केन्द्र के होंगे। कौंसिल के निर्णयों में केन्द्र को राज्यों पर और राज्यों को केन्द्र पर वीटो देने का प्रावधान है।

संविधान की आत्मा संघीय ढांचे की भावना अनुसार इस GST Council में सभी निर्णय आपसी समन्वय, आम राय व 3/4 बहुमत से ही होंगे।

1. GST के कर की दरें क्या होंगी।
2. GST से मुक्त होने वाली वस्तुएं एवं सेवाएं क्या-क्या होंगी।
3. वस्तु एवं सेवा कर में केन्द्र व राज्य में बंटवारे की प्रक्रिया क्या होगी।
4. GST से मुक्त टर्न ओवर की न्यूनतम सीमा क्या होगी।
5 GST की फ्लोर रेट व न्यूनतम व अधिकतम सीमा क्या होगी।
6. राज्य को राष्ट्रीय आपदा या दुर्घटना के समय अतिरिक्त संसाधन का प्रावधान हेतु विशेष दरें क्या होंगी।

7. विशेष राज्यों जैसे अरुणाचल प्रदेश, आसाम, जम्मू एवं कश्मीर, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैण्ड, सिक्किम, त्रिपुरा, हिमाचल प्रदेश व उत्तराखण्ड के लिए GST में विशेष प्रावधान क्या होंगे।

8. GST से सम्बन्धित अन्य विषय।

अध्यक्ष महोदय,

वर्ष 2011 में GST लाने के लिए संसद में 115वां संविधान संशोध विधेयक 2011 प्रस्तुत किया गया था। वर्ष 2011 से 2013 तक यह बिल लोकसभा की स्टेडिंग कमेटी में रहा। अगस्त 2013 में स्टेडिंग कमेटी की सर्वसम्मति रिपोर्ट संसद में प्रस्तुत की गई किन्तु 1 मई, 2014 को लोक सभा भंग होने से यह संविधान संशोधन विधेयक लैप्स हो गया।

अब 03 अगस्त, 2016 को राज्य सभा में व 08 अगस्त, 2016 को लोक सभा में 122वां संविधान संशोधन विधेयक 2014 सभी दलों के समर्थन से पारित हुआ है। चूंकि हमारे संविधान में मजबूत संघीय व्यवस्था स्थापित है तथा केन्द्र व राज्य सरकारों के अधिकारों में स्पष्ट विभाजन किया गया है।

संविधान की 7वीं अनुसूची में केन्द्रीय सूची, राज्य सूची व सम्वर्ती सूची में राज्य व केन्द्र को कानून बनाने के अधिकारों का स्पष्ट विभाजन किया हुआ है।

संघ सूची (केन्द्र सूची) पर कानून बनाने का अधिकार संसद को है तथा राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने का अधिकार राज्य विधान सभाओं का है।

चूंकि इस संविधान संशोधन से संविधान के अनुच्छेद 246ए के अनुसार राज्य विधानसभा के करारोपण के संवैधानिक अधिकार प्रभावित होते हैं। इस कारण से संविधान के अनुच्छेद 368 की प्रक्रिया के तहत आधे राज्यों की विधान सभाओं के अनुसमर्थन करने के बाद ही यह संविधान विधेयक महामहिम राष्ट्रपति महोदय के समक्ष हस्ताक्षर के लिए प्रस्तुत किया जायेगा।

महामहिम राष्ट्रपति महोदय के हस्ताक्षर के पश्चात गजट नोटिफिकेशन होने के पश्चात GST Council बनेगी, GST Council Draft Legislation बनायेगी। जिसमें GST की दर से लेकर कार्य प्रणाली सहित सभी कार्यों के लिए नियम व उप नियम बनायेगी। इसके पश्चात यह विधेयक पुनः संसद में प्रस्तुत किया जायेगा।

संसद के दोनों सदनों से पारण के पश्चात राज्य सरकार अपना SGST हेतु कानून बनायेगी।

अध्यक्ष महोदय,

देश को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए व्यापारिक गतिविधियां बढ़ाने के लिए बाजार व्यवस्थाओं में सरलीकरण के लिए राज्यों में टैक्स की प्रतिस्पर्धा समाप्त करने के लिए यह विधेयक सशक्त राजस्थान और सशक्त भारत बनाने में मील का पत्थर साबित होगा।

निवेश का शानदार वातावरण राजस्थान में बन चुका है जिसका परिलक्षण रिसर्जेंट राजस्थान में देशभर के उद्यमियों द्वारा 3 लाख 46 हजार MOU से होता है, से गति मिलेगी। राज्य चूंकि बीमारू प्रदेशों की श्रेणी से बाहर आ चुका है और अब विकसित राज्य की श्रेणी में आ खड़ा होगा।

समूचे देश में साझा बाजार का विकास होगा। उपभोक्ताओं को ससती वस्तुएं व सेवाएं प्राप्त होगी। साथ ही उपभोक्ता को Maltiple Taxation से राहत मिलेगी।

चूंकि केन्द्र सरकार GST के लागू होने से होने वाली संभावित हानि की भरपाई भी केन्द्र सरकार करेगी। जिससे राज्य सरकार पर कोई आर्थिक भार नहीं आयेगा।

अतः मेरा अनुरोध है कि इसे सर्व सम्मति से पारित किया जावे।

परिशिष्ट-2

लिखित वक्तव्य

संविधान (122वां संशोधन) विधेयक, 2014 के अनुसमर्थन में श्री गुलाब चन्द कटारिया (गृह मंत्री) का वक्तव्य

माननीय अध्यक्ष महोदय, अगस्त क्रांति का बिगुल 8 अगस्त को बजा था और महात्मा गांधी जी ने ''भारत छोड़ो'' मंत्र के साथ देश को आजादी के पूरे आंदोलन में एक बहुत बडी तीव्रता के साथ आंदोलित किया था और 9 अगस्त को आजादी के दीवानों पर बहुत सारे जुल्म ढहाए गये थे। आज इस 8 अगस्त को उन सभी आजादी के दीवानों को स्मरण करते हुए 75 साल हो गये हैं। आज 8 अगस्त को टैक्स टेररिज्म से मुक्ति की दशा में हमारी संसद, दोनों सदनों के सभी सांसद मिलकर एक बहुत बडा, अहम कदाम उठाने जा रहे हैं।

हम एक ऐसा निर्णय कर रहे हैं, जिसमें राज्यसभा, लोकसभा, 29 राज्य और 90 ऐसे राजनीतिक दल, जिनके कोई न कोई नुमाइंदे जीत कर आये हैं। उन सबने एक व्यापक मंथन करके, विचार मंथन करके आज हमें यहां पहुंचाया है और जिस पर हम कुछ समय के बाद अंतिम निर्णय के लिए मुहर लगायेंगे। इसलिए यह बात सही है कि जन्म केाई देता है और लालन-पालन कोई और करता है। कृष्ण को जन्म किसी ने दिया और बड़ा किसी और ने किया। लेकिन यह भी सही है कि यह किसी दल, किसी सरकार की विजय नहीं है। यह भारत की लोकतंत्र की उच्च परम्पराओं की विजय हो।

- GST का मतलब है- Great step by Team India. GST का मतलब है- Great step Towards Transformation. GST का मतलब है- Great step Towards Transparency. इसलिए हम एक नई व्यवस्था से जुड रहे है। एक भारत श्रेष्ठ भारत एक भारत की अनुभूति आती है। जब हम रेलवे की तरफ देखते हैं तो एक भारत की अनुभूति आती है। जब हम अपने डाकखाने देखते हैं तो एक भारत की अनुभूति आती है। जब हम आल इंडिया सिविल सर्विसेज को देखते हैं तो एक भारत की महक आती है। हम आईपीसी-सीआरपीसी की तरफ नजर करते हैं तो हमें एक भारत की पहचान दिखती है जब हम सागरमाला की बात करते हैं, तो ये वसारे उपक्रम एक भारत के भाव को बल देते हैं, ताकत देते हैं। उसी सिलसिले में आज जीएसटी के रूप में वह एक नया मोती हम इस माला में पिरो रहे हैं, जो एक भारत के भाव को ताकत देता है। यह सिर्फ कर व्यवस्था

नहीं है, सब राज्य और केन्द्र मिलकर एक ऐसी व्यवस्था विकसित करें, जिसमें छोटे से छोटा राज्य हो या बड़े से बड़ा राज्य हो, सबको यह व्यवस्था अपनी लगे। यह एक भारत को ताकत देने वाली बात है और इस अर्थ में मैं इसका बड़ा महत्व समझता हूं। कभी-कभी जीएसटी को लेकर संशय भी रहे।

- यह सामूहिक मंथन का नतीजा है फिर भी यह सत्य है कि हम परफैक्ट हो सकते हैं, आगे चलकर कोई कमी नहीं आएगी। कोशिश की है, अच्छा करने का प्रयास किया है और उसका परिणाम मिलेगा। देश अनुभव कर रहा है कि एक मंच, एक मत, एक मार्ग, एक मंजिल और यह मंत्र आज जी.एस.टी. की इस सारी प्रोसैस में हम सबने अनुभव किया है। यह भी सही है कि राज्यों में केन्द्र के प्रति अविश्वास का माहौल था। अपने-अपने अनुभवों के कारण था और इसलिए सबसे बड़ी आवश्यकता थी कि राज्यों और केन्द्र के बीच एक विश्वास पैदा हो।

- लोकतंत्र बहुमत के अंक का खेल नहीं हो सकता है। यह सहमति की यात्रा है।

- इसको राजनीति का मंच नहीं बनने दिया। यह राष्ट्रीय मंच बना। राष्ट्रीय हितों को सर्वोपरि माना गया। यह भारत के लोकतंत्र के उज्जवल पहलुओं में से एक है। राजनीति से ऊपर राष्ट्र नीति होती है। इस बात को हम सबने मिलकर सिद्ध किया। इसका मतलब यह नहीं है कि जो प्रस्ताव हुआ है, उसमें किसी की कोई शिकायत नहीं होगी। यह जरूरी नहीं है कि वहीं शिकायत होंगी, यहां भी कुछ लोग बैठे होंगे जिनको लगता होगा कि इसकी बजाय ऐसा होता तो अच्छा होता। जीएसटी की व्यवस्था के कारण बहुत बड़ी सरलताओं की संभावनाएं हम देखे रहे हैं। आज हम जानते हैं कि हर राज्य में अलग-अलग भांति के फार्म भरना, इतनी लम्बी प्रोसेस होती है। सरकारी अफसरों को भी उन कागजों को देखना है। अब टैक्स सिस्टम के अन्दर, उसकी प्रोसैसिंग के अन्दर, टैक्स के रेट के अन्दर एक यूनिफार्मिटी आ जाएगा। इसका क्लीयर मैसेज जाने वाला है कि Consumer is a king. जी.एस.टी. की सबसी बडी विशेषता यह है, इससे साफ मैसेज जाने वाला है कि Ultimately, Consumer is a king. एक कानून, एक व्यवस्था कंज्यूमर को किंग बनाये, यह अपने-आप में बहुत बड़ा योगदान है।

- इससे छोटे उद्यमियों को लाभ होगा और कंज्यूमर्स को सबसे ज्यादा

लाभ होने वाला है। जो छोटे उत्पादक हैं, उनको जी.एस.टी., सुरक्षा की गारंटी देता है। हमारी इकोनोमी को ड्राईव करने में जो छोटे-छोटे उद्यमकार हैं वह एक बहुत बड़ी ताकत है, हम उनको जितना सुरक्षित करेंगे, उतना ही इसके कारण बहुत लाभ होगा।

- मैन, मशीन मैटेरियल, मनी और मिनट, समय, अगर इनका आप्टिमम यूटिलाइजेशन करने में हमारी व्यवस्थाएं आगे बढ़ती हैं तो इकोनोमी को बढ़ने के लिए और कोई नए अवसर तलाशने नहीं होते हैं।
- आर्थिक दृष्टि से रिसर्च करने वाली एक इंडिपेंडेंट एजेंसी ने अपना सर्वे बताया है कि केवल उनके रुके रहने के कारण भारत में एक लाख चालीस हजार करोड़ रुपयों का वेस्टेज होता है, उसमें सारी की सारी भूमिका चुंगी की भी है। जी.एस.टी. के कारण वये सारे हर्डल्स, अन्य प्रकार के हर्डल्स होंगे तो वे समय रहते निकलेंगे, लेकिन उसके कारण एन्वायर्नमेंट को फायदा होगा। गाड़ियां खड़ी रहती हैं, पैट्रोल जलता रहता है, हमारे बहुत सारे सामान एक जगह से दूसरी जगह पहुंचने में जो देरी होती है, इन सारी चीजों में बहुत बड़ी सुविधा पैदा होने वाली है और उसके कारण एक सरलीकरण आने वाला है। जिसके कारण हम विदेश से जो पैट्रोलियम लाते हैं, उसमें भी कमी आयेगी। हमारे यहां सभी प्रकार की शक्ति रखने वाले राज्य नहीं हैं। हर राज्य एक दूसरे के साथ इंटरडिपेंडेंट है। किसी को एक चीज किसी से लेनी पड़ती है और दूसरी चीज किसी राज्य को देनी पड़ती है, तब उनका कारोबार चलता है। उसमें आज की व्यवस्थाएं बहुत हर्डल पैदा करती हैं। इस एक व्यवस्था के कारण सभी कठिनाईयों को दूर करने में सुविधा होगी और ऐसे राज्यों की इनकम भी बढ़ेगी। आज हमारे देश के जो राज्य पिछड़े हुए माने जाते हैं, इस व्यवस्था के कारण उनकी आय बढ़ाना एक गारंटी होगी। अगर इन राज्यों को शिक्षा में धन लगाना है, हैल्थ सेक्टर में धन लगाना है, इंफ्रास्ट्रक्चर में धन लगाना है, तो उनके लिए इस व्यवस्था की वजह से जो आय बढ़ने वाली है, उस आय से बहुत बड़ा लाभ ऐसे राज्यों को होने वाला है।
- भारत के पूर्वी हिस्सों की भी बराबरी देश के अन्य हिस्सों की तुलना में तुरन्त होनी चाहिए, वरना यह असंतुलित विकास तेज गति से देश की ऊंचाइयों तक पहुंचाने में रूकावट पैदा कर सकता है। जी.एस.टी. के कारण ऐसे राज्यों को एक नया अवसर मिला है। मैं ऐसे राज्यों से अनुरोध करूंगा कि जी.एस.टी. लागू होने के बाद वे ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाएं। जो धन उनके पास आए, अगर उस धन को राज्य की मूलभूत चीजों पर मैन्यूफैक्चरिंग राज्यों के सामने कुछ तकलीफें हैं और कन्जयूमर स्टेट को ज्यादा फायदा होने

वाला है लेकिन भारत सरकार ने जी.एस.टी. के माध्यम से उन्हें कम्पनसेट करने के लिए जी.एस.टी. में प्रावधान किया है और जिन राज्यों को तकलीफ होने वाली है, उनका भी समाधान इसमें होने वाला है।

- केन्द्र और राज्यों के बीच का तनाव भी जयादातर या तो प्राकृतिक संसाधनों को लेकर रहता है या सम्पत्ति को लेकर रहता है कि इतना टैक्स है, हमें क्या मिलता है, हमें यह मिलना चाहिए, हमें वह मिलना चाहिए आदि-आदि इस व्यवस्था के कारण एक ट्रांसपेरेंसी आएगी कि केन्द्र और राज्य से कितना धन एकत्र हो रहा है, किस खजाने में कितना जमा हो रहा है, यह राज्य को भी टैक्स पता होगा और लिखित नियमों के आधार पर उसका बंटवारा भी होगा। जो भी कलेक्शन होगा, वह दोनों की जानकारी में होगा, जिसके कारण बहुत सुविधा बढ़ने वाली है।
- हमारे देश में निवेश बढ़ाने की दृष्टि से टैक्स टू जी.एस.डी.पी. रेश्यो हमेशा एक क्वैश्चन मार्क के साथ चलता रहा है। इस नई व्यवस्था के कारण यह सवालिया निशान हमेशा-हमेशा के लिए मिट जायेगा और इसके कारण राज्य भी अपने निर्णय करके विकास के, इंफ्रास्ट्रक्चर के, सोशल सेकटर की मदद करने की सारी बातों को तेज गति से आगे बढा सकते हैं और मैं समझता हूं कि वह इसे बढा पायेंगे।

माल एवं सेवा कर

लाभ-

1. व्यापारियों के लिए सुलभ कर व्यवस्था- विभिन्न प्रकार के लगभग 17 कर जैसे उत्पाद शुल्क सी.एस.टी. राज्य विक्रय कर प्रवेश कर चुंगी टर्नओवर टैक्स एवं अन्य सैस को यह माल एवं सेवा कर जी एस टी समेकित करेगा।

2. कर राजस्व बढ़ेगा-

कर चोरी पर लगाम लगेगी। इनपुट पर क्रेडिट लेने के लिए व्यवसायी सभी व्यवहारों को बतायेंगे। केन्द्र एवं राज्य दोनों की निगाह होने से कर चोरी की संभावनाएं कम होंगी।

3. कामन बाजार विकसित होगा- अभी अलग-अलग राज्यों में विभिन्न कर दरें होने के कारण राज्य आधारित बाजार अब देशव्यापी कामन बाजार का स्वरूप ले सकेगा।

4. राज्यों की सीमाओं पर चेक पोस्ट की अब आवश्यकता नहीं रहेगी इससे वाहनों के परिवहन में सुगमता रहेगी।

5. निवेश को बढ़ावा मिलेगा- विशेषकर पूंजीगत उत्पादों में निवेश को प्रोत्साहन मिलेगा।

6. मेक इन इंडिया- वर्तमान में अधिकांश उत्पादों में कर पर कर देना होता है। इसी प्रकार विभिन्न राज्यों में असमान कर संरचना से भी व्यवसायियों को काफी कठिनाइया आती हैं। जीएसटी से उत्पादन क्षेत्र को प्रोत्साहन मिलने से मेक इन इंडिया को तेज गति मिलेगी।

7. जीडीपी बढेगा- एच एस बी सी के अनुसार अगले 3 से 5 सालों में जीडीपी में 80 प्रतिशत वृद्धि होगी।

8. कर पालना लागत में कमी- कर चोरी की संभावनाएं कम होने से कर पालना लागत में कमी आयेगी।

9. GST will not be a cost to registered retailers therefore there will be no hidden taxes and the cost of doing business will be lower. This in turn will help Export being more competitive.

व्यापार करने में आसानी से तथा अप्रत्यक्ष लागतों में कमी आने से खुदरा व्यापारियों को प्रोत्साहन मिलेगा।

10. Merits-Reduce the cascading effect of taxes on the final price of the product. Eliminate tax-on-tax effect. Moderate prices and increase consumption. Uniform and Stable Tax Regime. One-Country-One-Tax. Simplify Tax Structure. Increase GDP, tax-GDP ratio and revenue surplus.

इस प्रकार GST लागू होने से कर पर कर का प्रभाव समाप्त होने से वसतुओं की अंतिम कीमत कम होगी। उपभोग सें वृद्धि होगी। समरूप एवं स्थायी कर संरचना। एक देश एक कर। कर संरचना सरल होगी। देश का उत्पाद जीडीपी बढ़ेगा। कर-जीडीपी अनुपात भी बढ़ेगा एवं राजस्व सरप्लस मिल सकेगा।

संविधान 122वां संशोधन विधेयक 2014

लोकसभा द्वारा पारित 06 मई 2015

राज्यसभा द्वारा पारित 03 अगस्त 2016

मुख्य बिन्दु

- 2003 में डा. केलकर के नेतृत्व में गठित टास्क फोर्स के द्वारा वैट आधारित यूनिफार्म जीएसटी (माल एवं सेवा कर) का विचार प्रस्तुत किया।
- बजट 2006 में तत्कालीन वित्तमंत्री पी. चिदम्बरम ने बजट भाषण में माल और सेवा कर के बारे में इसे 2010 में लागू करने की योजना बताई।

- 2009 में इसका डिस्क्रेशन पेपर जारी किया गया।
- 2011 में औपचारिक रूप से संविधान संशोधन प्रस्तुत किया गया।
- 2013 में वित्त मंत्री भारत सरकार की स्टेण्डिंग कमेटी ने रिपोर्ट प्रस्तुत की।
- 2014 में लोकसभा में संविधान संशोधन बिल पेश हुआ जो लोकसभा भंग होने से लैप्स हुआ।
- दिसम्बर 2014 में संशोधनों के साथ संशोधन बिल अनुमोदित किया गया।
- लोकसभा द्वारा पारित 06 मई 2015
- राजयसभा द्वारा पारित 03 अगस्त 2016

राज्यसभा द्वारा किये गये संशोधनों में लोकसभा द्वारा दिनांक 08.08.2016 को सहमति दी गयी।

प्रस्तावित संविधान संशोधन में तीन मुख्य प्रावधानों में परिवर्तित किया गया है-

1. अनुच्छेद 246 ए - राज्य को टैक्स अधिकार है उनको केन्द्र के साथ जोडा जावे।
2. अनुच्छेद 269 ए- आई.जी.एस.टी. का प्रावधान किया गया है क्या
3. अनुच्छेद 279 ए- जी.एस.टी. काउंसिल के गठन का प्रावधान

इंडायरेक्ट टैक्स

माल एवं सेवा कर एक अप्रत्यक्ष कर है तथा अप्रत्यक्ष कर रिग्रेसिव टैक्स है क्योंकि यह गरीब और अमीर सब पर समान रूप से लागू होता है। एक पैंसिल बाक्स अमीर लड़का खरीदता है या गरीब लड़का दोनों ही पर समान एक्साइज डयूटी चुकाते हैं। अप्रत्यक्ष कर रिग्रेसिव होते हैं, अतः इन्हें यथासम्भव कम रखा जाना चाहिए। अधिकांश देशों में औसत माल और सेवा कर की दर 16.8 प्रतिशत है विश्वभर में लगभग 190 देशों में माल एवं सेवा कर एक है या किसी न किसी रूप में लागू है त्था इनकी दर भी 14 से 17 प्रतिशत के बीच है। जो उपयोगिता की वस्तुएं हैं जिनका अधिक उपयोग गरीबों के द्वारा किया जाता है उनमें कर दर को कम रखा जा सकता है और इसी तरह विलासिता की तथा हतोत्साहित करने वाले उत्पादों में यह कर दर अधिक भी रखी जा सकती है।

- जीएसटी की व्यवस्था के कारण बहुत बड़ी सफलताओं की संभावनाएं हम देख रहे हैं। हर राज्य में अलग-अलग भांति के फार्म भरना, अलग-अलग कर दरें होने से व्यवसाय जगत में भी विपरीत परिस्थितियां बनती है। अब टैक्स रेट कर दर में एकरूपता आ जायेगी। इसका सीधा परिणाम होगा कि ग्राहकों को सबसे अधिक सुविधा होगी। छोटी उद्यमियों को भी इससे लाभ होगा।

परिशिष्ट-3

लिखित वक्तव्य

संविधान (122वां संशोधन) विधेयक, 2014 के अनुसमर्थन में श्री राजपाल सिंह शेखावत (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री) का वक्तव्य

अध्यक्ष महोदय, देश में Indirect Tax व्यवस्था में सुधारों की दिशा में GST लागू किया जाना एक महत्वपूर्ण कदम है। संसद के दोनों सदनों द्वारा देश में GST लागू करने हेतु 122वें संविधान संशोधन विधेयक को पारित किया गया है। राज्य विधान सभा से अनुसमर्थन हेतु यह विधेयक प्रस्तुत किया जा रहा है।

भारत के संविधान में केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकारों के अधिकारों का स्पष्ट उल्लेख किया गया है। संविधान की सातवीं अनुसूची में संघ सूची, राज्य सूची एवं समवर्ती सूची के रूप में विषयों का स्पष्ट विभाजन किया गया है। संघ सूची पर कानून बनाने का अधिकार संसद को है, तो राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार राज्यों की विधानसभाओं को है। चूंकि वस्तु एवं सेवा कर के अन्तर्गत वस्तुओं एवं सेवाओं पर केन्द्र एवं राज्य को समान रूप से कर लगाने का अधिकार दिया जाना प्रस्तावित है, अतः इस हेतु संविधान में संशोधन आवश्यक है।

122वें संविधान संशोधन विधेयक, 2014 की मुख्य विशेषताएं:

इस संविधान संशोधन विधेयक के अनुसार वस्तुओं व सेवाओं की Supply पर केन्द्र तथा राज्य सरकारों द्वारा एक साथ GST आरोपित किया जायेगा। इस संविधान संशोधन विधेयक द्वारा लागू होने वाला GST, Destination and Consumption Based Tax होगा तथा जिस राज्य में वस्तु या सेवा का उपभोग होगा। उसे यह कर प्राप्त होगा। राज्य के बाहर से प्राप्त माल व सेवाओं की Supply पर चुकाये गये कर का Input Tax Credit, राज्य के Dealer को उपलब्ध रहेगा जिससे उसकी लागत में कमी आयेगी।

GST में केन्द्र सरकार के द्वारा वर्तमान में आरोपित Excise Duty, Additional Excise Duty, Service Tax, Special Additonal Duty (SAD), Counter Veiling Duty (CVD) तथा राज्य सरकार द्वारा आरोपित VAT, Entry Tax, Entertainment Tax Luxury Tax तथा CST समाहित हो जायेंगे। राज्य की Local

Bodies द्वारा भविष्य में Entertainment Tax लगाया जा सकेगा जिससे हमारी स्थानीय संस्थाएं वित्तीय रूप से ज्यादा आत्म-निर्भर हो सकेंगी।

इस विधेयक में GST को देश में सुचारु रूप से लागू करने हेतु GST Council के गठन का प्रावधान किया गया है। Union Finance Minister इस Council के अध्यक्ष होंगे तथा Union State Finance Minister व राज्य सरकारों के वित्त मंत्री अथवा राज्य सरकार द्वारा Nominated अन्य मंत्री इस Council के सदस्य होंगे।

देश में GST लागू करने के संबंध में समस्त महत्वपूर्ण विषयों पर GST Council निर्णय लेकर केन्द्र तथा राज्य सरकारों को अनुशंषा करेगी। GST Council द्वारा समस्त निर्णय Three Fourth Majority के आधार पर लिये जायेंगे। निर्णय प्रक्रियामें शामिल समस्त राज्यों का कुल मतभार Two third तथा केन्द्र सरकार का मतभार One third होगा। अत: GST Council में निर्णय समन्वय व आम राय के आधार पर लिए जायेंगे।

GST लागू होने पर कर दरों का निर्धारण GST Council द्वारा किया जायेगा जिसमें राज्यों द्वारा आरोपित कर दर हेतु एक Rate Band का प्रावधान भी किया गया है। GST Council द्वारा किसी विशेष परिस्थिति अथवा प्राकृतिक आपदा के समय अतिरिक्त संसाधन जुटाने हेतु विशेष कर दर लागू करने की अनुशंषा का प्रावधान भी किया गया है।

Alcoholic liquor for human consumption के GST के दायरे से बाहर रखा गया है। पांच पैट्रोलियम उत्पादों (Crude oil, Petrol, High speed diesel, ATF & Natural Gas) को फिलहाल GST के दायरे से बाहर रखा गया है। इन्हें GST में शामिल करने का निर्णय यथोचित समय पर GST Council द्वारा किया जाएगा। अत: पैट्रोलियम उत्पादों पर वर्तमान में लागू वैट व्यवस्था जारी रहेगी और राज्य को वैट के रूप में राजस्व मिलता रहेगा।

इस संविधान संशोधन विधेयक के अनुसार वस्तुओं एवं सेवाओं के Inter-state Transactions पर केन्द्र सरकार द्वारा करारोपण किया जायेगा। इस कर का विभाजन केन्द्र व राज्यों के मध्य निर्धारित प्रक्रिया के तहत होगा।

GST से व्यापार एवं उद्योग जगत, केन्द्र व राज्य सरकारों तथा उपभोक्ताओं को होने वाले लाभ :-

व्यापार एवं उद्योग जगत के लिए-

व्यापारी बन्धुओं की दृष्टि से देखा जाए तो कर प्रणाली सरल, स्पष्ट एवं पारदर्शी होगी। Registration, Return, Tax Payment व Refund आदि सभी कार्य online होंगे। इससे व्यापारियों, उद्योगपतियों एवं सेवाप्रदाताओं का

कर अधिकारियों से physical interface कम से कम होगा व सम्पूर्ण कर प्रणाली transparent होगी। व्यापारियों को राज्य के बाहर से खरीद किये गये माल एवं सेवाओं पर चुकाये गये IGST का Input Tax Credit भी प्राप्त हो सकेगा जिससे उनकी लागत में कमी आयेगी।

GST लगने से सम्पूर्ण देश में indirect tax rate तथा structure एक समान हो जाएगा। इससे निश्चितता बढ़ेगी व व्यापार करना सरल होगा। व्यापार में transaction लागत कम होने से भारतीय वस्तुओं एवं सेवाओं की Internationl market में competitivenses बढ़ेगी व export को गति मिलेगी।

केन्द्रीय व राज्य सरकारों को लाभ-

समस्त प्रक्रियाओं के online हो जाने से कर प्रशासन में लगें अधिकारियों पर work load कम हो सकेगा तथा कर अधिकारी इसके स्थान पर Data Base में उपलब्ध सूचनाओं का Business Intelligence Tool के माध्यम से विश्लेषण कर राजस्व हित में प्रभावी कार्यवाही यथा Audit, Scrutiny करते हुए evasion की रोकथाम कर सकेंगे।

उपभोक्ता को लाभ-

GST से Cascading Effect, अर्थात कर के ऊपर कर लगाने की व्यवस्था, समाप्त होगी। Cascading Effect के समाप्त होने से कीमतों में कमी आएगी, जिससे inflation का प्रभाव भी कम होगा और आमजन को महंगाई से राहत मिलेगी।

GST लागू होने पर राज्य को मिलने वाला Revenue compensation :

वैट लागू करने के क्रम में केन्द्र सरकार द्वारा चरणबद्ध रूप से CST की दर को कम करने का निर्णय लिया गया। 1 अप्रैल, 2007 से CST की दर को 4 प्रतिशत से घटाकर 3 प्रतिशत तथा बाद में 1 जून, 2008 से और कम कर 2 प्रतिशत कर दी गयी थी। CST को कम करने से राज्यों को होने वाली राजस्व हानि के लिये केन्द्र सरकार द्वारा वर्ष 2007-08 से 2012-13 तक CST compensation दिया गया है।

इस संविधान संशोधन विधेयक में GST लागू होने से अगले 5 वर्षों तक कर राजस्व हानि के compensation का प्रावधान किया गया है। इस प्रकार GST लागू होने पर राज्यों की राजस्व हानि संबंधी आशंकाओं का समाधान इस विधेयक में किया गया है।

वर्तमान में राज्य में VAT, Entry Tax, Entertainment Tax, Luxury Tax तथा संग्रहित CST से वर्ष 2015-16 में प्राप्त कुल राजस्व रुपये 27349

करोड़ था जिसमें से GST में समाहित होने वाले करों से प्राप्त राजस्व रुपये 18362 करोड़ है तथा GST में शामिल नहीं होने वाले पैट्रो पदार्थों तथा Alcoholic liquor से प्राप्त कर राजस्व रुपये 8986 करोड़ रुपये था।

GST Preparedness-

राज्य स्तर पर केन्द्र एवं राज्य सरकार के कर अधिकारियों के लिये प्रस्तावित Model GST Law संबंधी Training प्रथम चरण में अगस्त, 2016 में आयोजित की जा चुकी है। द्वितीय चरण में संभाग स्तरों पर माह अक्टूबर, 2016 तक समस्त कर अधिकारियों को Training दी जायेगी।

GST को लागू करवाने में Information Technology की अत्यन्त महत्वपूर्ण भूमिका होगी। GST की सम्पूर्ण प्रणाली I.T. आधारित होगी। अत: एक मजबूत I.T. ढांचे की बुनियाद पर ही GST को सफल बनाया जा सकता है। GST में डीलर व कर प्रशासन के बीच Physical Interface कम से कम होगा।

इस हेतु Goods and Services Tax Network करदाता व कर प्रशासन के बीच एक माध्यम की भूमिका निभाएगा। राज्य में GST संबंधी I.T. व्यवस्थाओं के लिए राष्ट्रीय स्तर पर GSTN द्वारा सुझाये गये विकल्पों में से Model-2 का चयन किया गया है, जिसमें GSTN द्वारा राज्य के लिए Front end तथा back end दोनों system विकसित किये जायेंगे। GST में प्रयुक्त होने वाले GSTN से संबंधित Training नवम्बर व दिसम्बर, 2016 में आयोजित की जावेगी।

निष्कर्ष:

केन्द्र सरकार द्वारा आरोपित होने वाले Central Goods and Services Tax (CGST) तथा Integrated Goods and Services Tax (IGST) संबंधी कानून संसद द्वारा पारित किये जायेंगे जबकि राज्य सरकारों द्वारा आरोपित होने वाले State Goods and Services Tax (SGST) संबंधी कानून राज्यों की विधान सभाओं द्वारा पारित किया जायेगा।

GST लागू होने पर वस्तुओं एवं सेवाओं की Supply Chain Cascading Effect के समाप्त होने से कीमतों में कमी आएगी, जिससे आमजन को महंगाई से राहत मिलेगी।

अध्यक्ष महोदय, वर्तमान स्वरूप में लोकसभा एवं राज्यसभा द्वारा पारित 122वें संविधान संशोधन विधेयक के देश व राज्य हित में होने से मैं इसके अनुसमर्थन का प्रस्ताव करता हूं।

जय हिन्द।

परिशिष्ट-4

लिखित वक्तव्य

संविधन (122वां संशोधन) विधेयक, 2014 के अनुसमर्थन में श्रीमती वसुन्धरा राजे (मुख्य मंत्री) का वक्तव्य

अध्यक्ष महोदय, राज्य विधान सभा का यह सत्र भारत वर्ष में GST व्यवस्था लागू करने हेतु 122वें संविधान संशोधन विधेयक का अनुसमर्थन करने हेतु याद किया जायेगा।

संविधान संशोधन विधेयक के अनुसार GST लागू होने पर Service पर tax केन्द्र के साथ-साथ राज्यों को भी प्राप्त हो सकेगा तथा वस्तुओं के Retail level तक की sale पर tax राज्य सरकारों के साथ-साथ केन्द्र सरकार को भी प्राप्त हो सकेगा।

इस कर व्यवस्था में सम्पूर्ण देश में indirect tax rate तथा Tax structure एक समान हो जाएगा। इससे कर व्यवस्था प्रणाली में स्थायित्व आयेगा व व्यापार करना सरल होगा। व्यापार में transaction लागत कम होने से तथा Cascading Effect के समाप्त होने से भारतीय वस्तुओं एवं सेवाओं की International market में competitivenses बढ़ेगी व export को गति मिलेगी तथा कीमतों में कमी आएगी, जिससे आमजन को महंगाई से राहतत मिलेगी।

राजस्थान देश के अन्य राज्यों की तुलना में अपेक्षाकृत एक Consuming State है तथा GST के destination based tax होने के कारण राजस्थान राज्य को इस व्यवस्था से लाभ होना सम्भावित है।

यहां मैं सदन को याद दिलाना चाहती हूं कि हमने वर्ष 2006 में कर सुधार हेतु VAT कर व्यवस्था लागू की थी, तथा GST कर व्यवस्था इसी की अगली कड़ी है। किसी भी नई व्यवस्था को लागू करते समय कई तैयारियां करनी होती हैं। हमने राज्य में VAT लागू करते समय इन तैयारियों के क्रम में कई समितियों का गठन किया गया था जिसके फलस्वरूप उद्योग एवं व्यापार जगत की कठिनाइयों का निराकरण किया गया।

हमारे इस अनुभव के आधार पर हमने GST व्यवस्था लागू करने हेतु तैयारियां पहले से ही शुरू कर दी थीं। इस कड़ी में UDH Minister की अध्यक्षता में State level GST consultation Committee, PSF की अध्यक्षता में Empowered Committee of State on GST और CCT की अध्यक्षता में Steering Committee on GST का गठन शामिल है।

इसी क्रम में जिला स्तर पर GST लागू करने में आने वाली कठिनाइयों के निराकरण हेतु मैं जिला स्तर पर भी GST समितियों के गठन की घोषणा करती हूं।

देश में GST लागू करने के संबंध में समस्त महत्वपूर्ण विषयों पर GST Council निर्णय लेकर केन्द्र तथा राज्य सरकारों को अनुशंषा करेगी। GST Council को कर दर का निर्धारण करते समय राज्यों के वर्तमान राजस्व स्तर को बनाये रखने के साथ-साथ आम उपभोक्ता पर एक उचित स्तर से अधिक करभार आरोपित ना हो का ध्यान रखना होगा।

इस संविधान संशोधन विधेयक में GST लागू होने पर राज्यों की राजस्व हानि संबंधी आशंकाओं का समाधान भी किया गया है। इसके अनुसार GST लागू होने से अगले 5 वर्षो तक किसी प्रकार की कर राजस्व की हानि होने पर केन्द्र सरकार द्वारा compensation दिया जायेगा। यहां पर यह उल्लेख करना भी प्रासंगिक होगा कि वैट लागू करते समय भी राजस्व हानि की आशंका जताई गई थी परन्तु यह आशंका निर्मूल साबित हुई।

GST को लागू करने की प्रक्रिया में देश के समस्त राज्य तथा केन्द्र, सामूहिक निर्णय प्रक्रिया में शामिल हो रहे हैं। देश को एक Pan India Market बनाने के लिए केन्द्र व राज्य मिलकर GST के रूप में एक नवीन कर व्यवस्था को अपनाने जा रहे हैं जो कि Co-operative Federalism का एक अदभुत उदाहरण होगी।

मैं आशा करती हूं कि GST कर व्यवस्था न सिर्फ देश के कर सुधारों की दिशा में एक महत्वपूर्ण Milestone साबित होगा अपितु यह केन्द्र व राज्यों के पारस्परिक सौहार्दपूर्ण संबंधों की दिशा में भी अभूतपूर्व कदम होगा।

निष्कर्ष रूप में GST राष्ट्र हित व राज्य हित के अनुरूप है। GST के लागू होने से हमारे देश व राज्य के विकास को गति मिलेगी तथा निवेश व रोजगार के अवसर बढ़ेंगे।

अध्यक्ष महोदय, 122वां संविधान संशोधन विधेयक देश व राज्य हित में है।